Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ३८वां दिवस [संख्या २१

बुधवार, १६ मार्च, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, डॉ० चन्द्रकला।

पुलिस के सिपाहियों द्वारा बसों में बिना किराया दिये यात्रा करना

६५८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि पुलिस के सिपाही सिटी बस तथा अन्य सवारियों में बिना किराया चलते हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि निश्चित सवारियां बिठाने, रौंग साइड में न बैठने, आदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है ?

(३) क्या यह भी सच है कि उनकी गलत कार्यवाहियों का विरोध करने पर वे अपनी सत्ता की धौंस दिखाते और उसका नाजायज लाभ भी उठाते हैं ?

(४) क्या पुलिस विभाग में फैले इस भ्रष्टाचार को दूर करने की तरफ सरकार का ध्यान है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) इस प्रकार की कोई खास आम शिकायत सरकार के सामने नही आई।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार पुलिस के सम्बन्ध में जनमत से परिचित है या परिचित होते हुए भी अपरिचित होने का बहाना करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : परिचित हो तब भी जब तक कि शिकायत नहीं हो तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि पुलिस के कर्मचारियों की पुलिस थानों में शिकायत की जाती है तो उसी विभाग के होने के कारण उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जाती है और क्योंकि दर्ज नहीं की जाती इसीलिए कार्यवाही नहीं की जाती ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात नहीं है, कुछ केसेज़ में एक्शन्स भी लिये हैं और दो-तीन शिकायतें उदयपुर की हुई थीं तो उनमें एक्शन लिया है, आप भी कोई स्पेसि-

(श्री रामकिशोर व्यास)

कि इन्स्टान्स नोटिस में लायें तो एक्शन लिया जायगा ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि जयपुर सिटी बस के सम्बन्ध में पुलिस थाने में शिकायत की गई पर उस शिकायत को दर्ज नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर मेरे नोटिस में लाया जाय कि फलां आदमी ने रिपोर्ट की थी और वह दर्ज नहीं की गई तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या पुलिस के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही कराने के लिये गृह मंत्री तक पहुंचना पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : आपने बताया न कि किसने शिकायत की, किस तारीख को की; यह बताने पर एक्शन लिया जायगा ।

श्री पी. के. चौधरी : कितने केसेज़ गवर्नमेंट में इस प्रकार के दर्ज किये गये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पशु चिकित्सा संबन्धी विशेष शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रों को विदेश भेजने की योजना

६५६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छात्रों के पशु चिकित्सा सम्बन्धी विशेष शिक्षा दिलाने के लिये विदेश भेजने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो कितने छात्रों को और कब तक ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

नगर विकास मण्डल, जयपुर

६६६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें :

(१) अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को प्लॉट बेचने के अलावा और क्या क्या काम है ?

(२) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड विकास कार्यों की ओर से सर्वथा उदासीन रहा है ?

(३) क्या यह सच है कि बनी पार्क क्षेत्र में अब तक भी सड़कों पर पर्याप्त रोशनी तथा सार्वजनिक पानी पीने की व्यवस्था नहीं हुई है ?

(४) सिन्धी कोलोनी को बसे कई साल हो जाने पर भी वहां बोर्ड की ओर से विकास का कोई काम क्यों नहीं किया गया है ? वहां पर सड़कों, रोशनी (Street Lights), पानी, सफाई आदि की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : नगर विकास मण्डल किसी क्षेत्र के लिये स्कीम तैयार करके सरकार के समक्ष मंजूरी को प्रस्तुत करता है । स्कीम मंजूर होने के पश्चात् प्रार्थना-पत्र लिये जा कर एलॉटमेंट किया जाता है और वे सुविधायें अर्थात् लेवलिंग, सड़क बनाना, बिजली देना, पानी

Page No.3

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

देना इत्यादि कार्य किये जाते हैं और जिनको प्लॉट्स दिये जाते हैं उनसे रुपये हासिल करके पट्टे बना दिये जाते हैं।

(२) जी नहीं। गत वर्ष में बहुत सी सड़कें बनाई जा चुकी हैं व बनाई जा रही हैं। बहुत कुछ पानी उपलब्ध करने का कार्य किया जा चुका है व किया जा रहा है। बिजली पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है मगर पूर्ण रूप से सब स्कीमों में बिजली नहीं दी जा सकी है। बिजली के खम्भों का ऑर्डर दिया जा चुका है और आशा है कि खम्भे पर्याप्त रूप में मिलने पर समस्त क्षेत्रों में बिजली भी पहुंच सकेगी।

(३) बनी पार्क के अधिकांश क्षेत्र में रोशनी तथा पानी की व्यवस्था की जा चुकी है परन्तु जिन क्षेत्रों का एलॉटमेंट गत वर्ष किया गया था उनमें भी बहुत से क्षेत्रों में तो पानी की व्यवस्था की जा चुकी है और बाकी में की जा रही है। आशा है कि एक दो माह में यह कार्य पूर्ण रूप से हो सकेगा। रोशनी के लिये बिजली के खंभे अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, ऑर्डर दिया जा चुका है। खम्भे आने पर बिजली का भी पूर्ण प्रबन्ध कर दिया जायगा।

(४) सिन्धी सोसाइटी को २५.७५ एकड़ जमीन १,६४,१५६ रु० में बेची गई थी। अभी तक अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के पास केवल २५,००० रु० जमा हुए हैं बाकी कीमत जमा होने पर सड़क, रोशनी, व पानी की व्यवस्था हो सकेगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के पास योजना बनाने के अलावा कुछ और भी कार्य है। जो योजना बनाई है उसके अलावा कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जो बिल्कुल उपेक्षित पड़ा हुआ है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई बात नहीं है।

डॉ चन्द्रकला : क्या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड अपनी बनाई हुई योजनाओं को ही कार्यान्वित करता है और पहले किसी भी सरकार द्वारा बनाई गई योजनायें थीं उसकी ओर भी ध्यान देता है कि वे भी आगे बढ़ाई जावें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें कोई रुकावट नहीं है। वह स्कीम बना कर गवर्नमेण्ट को भेजता है। उसके बाद प्लॉट नीलाम करते हैं या एलॉट करते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : पहले जयपुर की बनाई हुई योजना जो अधूरी रह गई उसको पूरा करना अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड अपना काम समझता है या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप योजना बतायें तो कह सकता हूं, ऐसे तो क्या कहा जा सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के पास ऐसी योजना की कोई सूचना नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न इससे कवर नहीं होता। यह अलग से प्रश्न है, आप अलग से प्रश्न पूछें तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजनैतिक दलों की गतिविधि की सूचना देने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता

६६१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) :

Page No.4

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि राजनैतिक दलों के कार्य की सूचना एकत्र करने के लिये सरकार कुछ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ?

(२) यदि हां, तो इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च किया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसी सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीधे ही राज्य सेवा में उच्च पदों पर ले लिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार राज्य सेवा में लिया गया है ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि पुलिस विभाग में राजनैतिक दलों की गतिविधि की सूचना देने के कारण से किसी व्यक्ति को नियुक्ति मिली है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपका प्रश्न नहीं समझ नहीं सका ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने राजनैतिक दलों की गतिविधि की सूचना देने के कारण सब इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : भू-स्वामी संघ की समय-समय पर गतिविधि की सूचना देने वाले को नियुक्ति दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए नोटिस की जरूरत है ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कतई नोटिस की जरूरत नहीं है, प्रश्न का तीसरा पार्ट है उसमें साफ लिखा है, "क्या यह सही है कि ऐसी सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीधे ही राज्य सेवा में उच्च पदों पर ले लिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को पिछले ३ वर्षों में इस प्रकार राज्य सेवा में लिया गया है ?"

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब दिया जा चुका है, "जी नहीं ।"

श्री भैरोंसिंह : आप मेरी इनफॉर्मेशन को कोन्ट्राडिक्ट कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : भूस्वामी आन्दोलन के कारण किसी को लिया या नहीं, आप जानकारी क्या करेंगे । उसको लिया या नहीं या भू-स्वामी होने के नाते लिया या नहीं, दोनों बातें ?

श्री भैरोंसिंह : 'हां' या 'नहीं' दोनों चलेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : भू-स्वामी को, किसको लिया गया है यह मालूम नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : देवीसिंह को सब इन्सपेक्टर नियुक्त किया गया, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने बताया उस आदमी को नियुक्त किया होगा, मगर जहां तक मेरा ख्याल है भू-स्वामी की इन्फॉर्मेशन

(श्री रामकिशोर व्यास)

देने से नहीं किया होगा। उसका एपॉन्टमेन्ट ऑर्डनरी कोर्स में हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जावे कि देवीसिंह का डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट नहीं हुआ बल्कि एक खुले कम्पीटीशन में हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम ढीपरी, तहसील पीपलदा में खाल को बंधाने सम्बन्धी व्यवस्था

६६२. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम ढीपरी, तहसील पीपलदा के पूर्व में खाल के आ जाने से आवागमन में भारी असुविधा होती है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि ग्राम के दक्षिण में इसी खाल पर बांध बंध जाने से लगभग ५०० बीघा जमीन खेती योग्य निकल सकती है ?

(ग) यदि हां, तो क्या इस खाल के बांधे जाने पर सरकार कोई विचार कर रही है ?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) हां।

(ख) जांच करने पर निश्चित रूप से बताया जा सकता है।

(ग) इस समय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ६६३.

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

हाई स्कूल चाकसू हेतु नगरपालिका द्वारा स्वीकृत धनराशि

६६४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि हाई स्कूल, चाकसू के लिए नये कमरों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत हेतु स्थानीय नगरपालिका द्वारा ३,०००) की धन राशि स्वीकृत की जा चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो फिर उसे लोकल बोडीज़ ने क्यों रोक रखा है ?

(ग) उपरोक्त हाई स्कूल के भवन की समस्या का समाधान कब तक हो जायगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद और प्रकाशन

६६५. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.6

(श्री भीमसेन)

(१) सरकार ने अब तक कौन कौन से अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करवाया है ?

(२) राज्य में अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा जानने वालों की क्या औसत है ? अशिक्षित जनता तक राज्य के कानूनों की जानकारी कराने के लिये राज्य के पास क्या साधन हैं तथा उन साधनों का उपयोग अब तक किस प्रकार किया गया है ?

(३) राज्य में अब तक कुल कितने अधिनियम लागू हैं तथा इनमें से कितने अंग्रेजी तथा कितने हिन्दी में प्रकाशित हैं ?

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राज्य सरकार सदैव यह इरादा रखती है कि जो जो अधिनियम समय समय पर राज्य में लागू किये जायें उनका हिन्दी अनुवाद मूल अधिनियम के साथ ही या मूल अधिनियम के प्रकाशित होने के कुछ समय के बाद ही यथा संभव तुरन्त प्रकाशित किया जाय। अतः उन अधिनियमों की, जिनका कि हिन्दी अनुवाद अब तक प्रकाशित हो चुका है, सूची (क) में अंकित है जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राजस्थान की जन संख्या में शिक्षितों की औसत ८.६५ फी सदी आती है। इनमें से अंग्रेजी भाषा जानने वाले कितने हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं किन्तु यह माना जा सकता है कि ऐसे शिक्षितों की संख्या बहुत कम है।

अशिक्षित जनता तक राज्य के कानूनों की जानकारी कराने के लिये कोई विशेष साधन अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है।

(३) राज्य में अब तक तीन प्रकार के अधिनियम लागू हैं :

(१) वे कानून जो राज्य की विधान सभा ने लगाये।

(२) वे कानून जो भारतीय संग्रह ने लागू किये।

(३) वे कानून जो उन इकाइयों में वर्तमान राजस्थान राज्य में विलीनीकरण के पहिले ही वहां की विधान संस्था द्वारा लागू किये गये थे और जो अब तक वहां लागू हैं। राजस्थान लेजिस्लेचर तथा भारतीय संसद द्वारा ३१ मार्च, १९५७ तक लागू किये गये समस्त अधिनियमों की सूची विधि विभाग द्वारा प्रकाशित रेफरेन्सर ऑफ इनेक्टमेंट्स और उसके सप्लीमेंट में छापी जा चुकी है। बाद । लागू किये गये अधिनियमों की सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। इन अधिनियमों में जिनका अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित हो चुका है उनकी सूची (ग) भी सदन की मेज पर रख दी गई है। राजस्थान लेजिस्लेचर के अधिनियम जो मूल हिन्दी में पारित हुए हैं उनकी भी सूची (ख) में अलग दिखा दिया गया है। केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद यूनियन सरकार द्वारा कराया जा रहा है और अब तक करीब २०० अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद ला मिनिस्ट्री की प्रकाशन शाखा द्वारा प्रकाशित भी हो चुका है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री भीमसेन : कौन कौन से अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद कराया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री जनार्दनराय नागर : जब राज्य हिन्दी है तो हिन्दी का अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिये, फिर ये हिन्दी में अनुवाद क्यों कराते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, सदन की और दफ्तरों की भाषा, सदन ने अपने निर्णय से हिन्दी भाषा माना है। इसलिये कोई भी अधिनियम आए तो हिन्दी में आना चाहिये और अगर आवश्यकता हो तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में आना चाहिये। यह मुझे यहां पर उल्टा दिखता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चहूंगा कि यह उल्टी पेंडी जो है वह कब तक दूर हो जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर है।

श्री जनार्दनराय नागर : उत्तर आपने प्रश्न आया उसका दिया है मगर सदन की और दफतर की भाषा हिन्दी है तो अधिनियम हिन्दी में ही आने चाहिये, राष्ट्रीय भाषा में आने चाहिये। मैं मानता हूं कि सदन की भाषा हिन्दी है और अधिनियम हिन्दी में ही आने चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक हो सकता है हिन्दी में ही आना चाहिये। मगर हिन्दी में ही आए यह जरूरी नहीं होता; मूल अंग्रेजी में तैयार होते हैं और जिस समय उनको लेजिस्लेचर में रखते हैं उस समय तक उसका हिन्दी अनुवाद नहीं हो पाता इसलिये अंग्रेजी में रखते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरी बाधा यह नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि सदन की भाषा हिन्दी है इसलिए हिन्दी में ही रखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : कानून में ऐसी बात नहीं है, अंग्रेजी में ला सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अमेन्डमेन्ट बिल पेश होता है तो उसमें भी अंग्रेजी के कोटेशन्स रखे जाते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : चूंकि असली बिल अंग्रेजी में था इसलिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल : फिर अनुवाद की जरूरत ही क्यों रहे ?

श्री शंकरलाल : अब तक कितने ऐसे अधिनियम हैं जो अंग्रेजी भाषा में हैं और उनका हिन्दी में अनुवाद कब तक हो जावेगा ?

श्री मूलचन्द डागा : क्लिष्ट भाषा में अनुवाद होता है तो क्या उसको सरल भाषा में कर देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : साधारण भाषा में होना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि टेक्निकल टर्म्स का अनुवाद तो वैसा ही होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

अध्यक्ष, नगरपालिका, सीकर

६६६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश सीकर ने चेयरमेन, म्युनिसिपल बोर्ड, सीकर के विरुद्ध अवैधानिक एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को एक पत्र लिखा था ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त

Page No.8

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

आरोपों की जांच के लिये सरकार ने डिप्टी डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ को सीकर भेजा था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री- बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, कुछ अनियमिततायें जिलाधीश, सीकर ने अंकित की थीं।

(२) जी हां।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनका क्या फैसला हुआ और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसका निर्णय हुआ। चार दिन एडजोर्न रहा। आगे के लिए कह दिया गया कि इस प्रकार की अनियमिततायें न करें !

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ऐसी कौन सी अनियमिततायें थीं जिनके कारण ऐसा करना पड़ा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिन मामलों में बोर्ड की सेन्क्शन पहले लेनी थीं वे बाद में लीं और बाद में लेने की थीं वे पहले ले लीं। कोई विशेष। अनियमिततायें नहीं थीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि आर्थिक धन-राशि भी बिना सेन्क्शन लिए ही खर्च कर दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाद में सेन्क्शन ले ली।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पहले तो बिना सेन्क्शन लिये ही खर्च कर दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एमर्जेन्सी में ऐसा कई चेयरमेन करते हैं। जांच करने पर रिपोर्ट भी यही आई और यही साबित हुआ कि माइनर इर्रेगुलेरिटीज़ थीं जिनके लिए आगे के लिए आगाह कर दिया गया कि ऐसा न करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या ये आरोप इतने गोपनीय हैं कि उनको सदन के सामने नहीं रखा जा सकता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सदन के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर भी विश्वास करना चाहिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : आखिर वे इर्रेगुलेरिटीज़ क्या थीं कि जिनको सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका प्रश्न यह था कि जिलाधीश सीकर ने चेयरमेन, म्युनिसिपल बोर्ड सीकर के विरुद्ध अवैधानिकता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को एक पत्र लिखा था। मैंने कहा कि वे माइनर इर्रेगुलेरीटीज़ थी।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री मोहरसिंह।

पंचायतों के वार्डों का विभाजन

६६७. श्री **मोहरसिंह** (चुरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पंचायतों को वार्डों में किस आधार पर विभाजित किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि चूरू तहसील की ल्होसना बड़ा पंचायत में ल्होसना बड़ा गांव के ३ वार्ड बनाये गये हैं जिनमें एक ३२ घरों का है, दूसरा ४७ घरों का तीसरा ७२ घरों का है ?

(श्री मोहरसिंह)

(३) वार्डों के आकार में इतना अन्तर रखने के क्या कारण है ?

(४) क्या अब यह अन्तर दूर किया जावेगा ?

उपस्वायत शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सदस्यों की संख्या के आधार पर ।

(२) जी हां । तीन वार्ड बनाये गये हैं । घरों की जानकारी नहीं है कि किस वार्ड में कितने घर हैं क्योंकि वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर होता है तथा यह भी देखा जाता है कि वार्डों का विभाजन करते समय उन वार्डों के विभाजन के लिए कोई आम रास्ता या अन्य कोई निशान का सहारा लेना पड़ता है जिससे वार्डों को अलग अलग जाना जा सके । इन्हीं कारणों से वार्डों का बराबर की जन संख्या का होना संभव नहीं है । कुछ में कम और ज्यादा जन संख्या हो सकती है लेकिन बहुत कम अन्तर से ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) यदि कोई अन्तर पाया जावेगा तो दूर किया जावेगा ।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही नहीं है कि बिना किसी आधार पर वार्ड बनाये जा रहे हैं, कहीं १० घर हैं तो कहीं ७० घर; यह अन्तर क्योंकर है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी सूचना देंगे तो जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । सरकार के सामने कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री मोहरसिंह : इस प्रकार की सूचना क्या कई मर्तबा नहीं दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपने सूचना दी है लेकिन ऐसी जानकारी नहीं हो सकी है, आयन्दा के लिए इन्सपेक्टरों को हिदायत कर दी गई है कि यदि कहीं इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हो तो दुरुस्ती कर दे और चुनाव हो रहे हैं वे बाकायदा हों ।

श्री मोहरसिंह : क्या जब तक दुरुस्ती नहीं होगी चुनाव रोक दिये जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां की शिकायत है वहां के लिए कह दिया है । इन्सपेक्टर वार्डों को देख लेता है और यदि कोई गड़बड़ी होती है तो दुरुस्ती कर देता है । रास्तों वगैरह को भी देखना पड़ता है । १०-५ मकानों में फर्क हो सकता है । फिर भी आगे के लिए इस प्रकार की हिदायतें कर दी गई हैं ।

श्री मोहरसिंह : यदि वाटर लिस्ट के अन्दर लगे घरों के अनुसार ही वार्ड बना दें तो उसमें क्या कोई सरकार को एतराज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाउस नम्बर दे रखे हैं ।

श्री गिरधारीलाल : इसमें जनता की राय ली जाती है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ४२ हजार पंच हैं और ८० हजार वार्ड हैं, उनकी राय लेना बड़ा मुश्किल है ।

श्री गिरधारीलाल : क्या इस प्रकार की, चुनाव से पहले सूचना दी जावेगी तो चुनाव रोक दिये जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले से ही

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हिदायतें जारी कर दी गई हैं, कोई छोटा–बड़ा वार्ड हो तो उसको देख लिया जाय और ठीक कर लिया जाय।

श्री गिरधारीलाल : सूचनायें दी गई हैं और उन पर कार्यवाही नहीं हुई है और कहा जाता है यहां कि ऐसी जानकारी नहीं है वह तो फिर इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई हैं।

श्री मोहरसिंह : दुरुस्ती फिर भी नहीं होगी तो क्या आप चुनाव रोक देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, ऐसी शिकायतें आवेंगे चुनावों से पहले तो चुनाव रोक देने की कोशिश करेंगे। चुनाव हो जाने के पश्चात् तो रोकने की ताकत मेरी नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल : चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी वह सूचना आने के बाद की गई है ! इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्ड बनने की सूचना पहले हो जाती है। इसके लिए इन्सपेक्टर से पहले ही कह दिया गया है कि दुरुस्ती करना हो वहां कर दी जाय।

श्री मोहरसिंह : आपने कहा कि कोशिश करेंगे लेकिन डेफिनिट कहिये कि दुरुस्ती न हो जाय तब तक चुनावों को रोक देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किस जगह गड़-बड़ी हो रही है, यह मैं देखूंगा।

श्री गिरधारीलाल : गांव का नाम आपको पहले ही बता दिया गया। पहले ही इसकी सूचना दी जा चुकी है और फिर भी चुनाव की तारीख घोषित कर दी, क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किस गांव का ?

श्री मोहरसिंह : ल्होसना बड़ा पंचायत और ल्होसना बड़ा गांव के लिए आपको कहा गया था तो क्या इन्सपेक्टर ने यह नहीं लिखा कि उतने ही घर हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिए लिखा गया जो आपके सामने टेलीफोन भी कर दिया कि इनकी शिकायतों की दुरुस्ती करके चुनाव कराये जांय। यदि दुरुस्ती नहीं हुई है तो अब भी लिख कर दें।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री चन्दनमल वैद : मैं एक प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। घरों की संख्या की जानकारी आपको नहीं है लेकिन आबादी की जानकारी है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नही है। यह पहले ही कह दिया है।

श्री चन्दनमल वैद : आबादी की जानकारी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस समय नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : टेलीफोन से काम कराना चाहते हैं। आपने कह दिया कि टेलीफोन कर दिया था, इससे क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : टेलीफोन तो आपको करेंगे, आपकी डेफिनिट शिकायतों को दूर करके करेंगे।

Page No.11

श्री गिरधारीलाल : दुरुस्ती तो नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी. के. चौधरी ।

राजस्थान प्रदर्शनी १९५७

६६८. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Public Relations be pleased to state:

(a) On what date the administrative sanction for organising Rajasthan Exhibition in Jaipur in November, 1957 was granted ?

(b) Is it correct that the work on the site of the Exhibition was started by the Director of Public Relations prior to the receipt of the administrative sanction for the same by him ?

मंत्री, जन सम्पर्क विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) On 30th Oct., 1957.

(b) Yes, in view of the anticipated Government sanction.

श्री पी. के. चौधरी : Was it regular for the D. P. R. to start working before the administrative sanction for the work was received ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes. The thing is that Five Year Plan Week was to be celebrated, and sanction was issued much earlier in the month of June. The Exhibition was part of the Five Year Plan and it was also done last year.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that before the administrative sanction was received, the D. P. R. or the Collector took rent from the Stall holders and kept it with him and also spent amounts from that ?

श्री रामकिशोर व्यास : Might have been, because he was allowed to open personal deposit account of Exhibiition on 7th Oct , 1957, a fortnight earlier.

श्री पी० के० चौधरी : Whether any expenditure was made out of that amount without obtaining Government sanction and whether that amount was kept by him or in Government treasury ?

श्री रामकिशोर व्यास : There was no question of depositing in Government treasury. A separate account was opened for it.

श्री पी० के० चौधरी : Where was the account kept ?

श्री रामकिशोर व्यास : I just told you, a separate account was opened.

श्री पी० के० चौधरी : Where, with whom ?

श्री रामकिशोर व्यास : With some Bank. Personal deposit account of the exhibition.

श्री पी० के० चौधरी : I could not follow, Sir.

श्री अध्यक्ष : A personal deposit account was opened. He does not know where.

नगर विकास मंडल जयपुर में हरिजनों का प्रतिनिधित्व

६६६. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, जयपुर के कौन कौन सदस्य हैं तथा चेयरमैन कौन हैं ?

(२) क्या इन सदस्यों में हरिजनों में से भी अभी कोई सदस्य है ?

(३) यदि नहीं, तो शहर एवं शहर के बाहर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की काफी संख्या होते हुए भी उनकी ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं लिए जाने का क्या कारण है ?

(४) अब इस बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जावेगा या नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) इसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

१. श्री कैलाशनाथ भार्गव, मेम्बर
२. श्री रमेशचन्द्र शर्मा, मेम्बर
३. श्री बी. एन. काक, मेम्बर
४. श्री श्याम बिहारीलाल सक्सेना, मेम्बर
५. श्री आर. एन. शिवपुरी, मेम्बर सेक्रेटरी।

(३) कोई नहीं।

(४) जनता की ओर से केवल दो प्रति-निधि हैं। ऐसी दशा में शिड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि लिया जाना संभव नहीं है।

(५) इसका उत्तर भाग चार में दे दिया गया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : हरि-जनों का प्रतिनिधि नहीं लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत अर्से से बोर्ड बना हुआ है, पहले से ही हरिजनों का प्रतिनिधि नहीं लिया गया है। नया कानून बनने के बाद विचार किया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : यह बोर्ड कब बना ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

नगरपालिका बीकानेर

६७०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सन् ५३–५४ की बीकानेर म्युनि-सिपल बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट में एक बिल के फर्जी होने और उसका भुगतान दुबारा किये जाने का उल्लेख है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : अब तक आपने क्या कार्यवाही क ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड से पूछा गया और बोर्ड ने समाधान करके भेज दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : समाधान क्या किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यही किया कि जो ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है वह ठीक बात नहीं है, पेमेन्ट ठीक ही हुआ है; इसमें किसी प्रकार की शिकायत की गुंजाइश नहीं।

Page No.13

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह फर्जी बिल किनका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक ठेकेदार से काम करवाया गया था लेकिन उस साल में उसको पेमेन्ट नहीं हुआ। उसका पेमेन्ट नेक्स्ट इयर हुआ। ऑडिटर को यह सदेह हुआ कि उसका डबल पेमेन्ट हो गया है। लेकिन जब समाधान कर दिया गया तो अब उनको भी कोई शिकायत नहीं रही।

बंदियों की भर्ती

६७१. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सन् १९५१ से अब तक जेलों में प्रतिवर्ष कुल कितने बन्दी भर्ती किये गये तथा उनमें से कितने अभियुक्त और कितने दंड प्राप्त बन्दी थे ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : १ अप्रेल सन् १९५१ से ३१ मार्च सन् १९५७ तक १,८७,९३५ बन्दी भर्ती किये गये, जिनमें १,२०,८९६ अभियुक्त व ६७,०३९ दण्ड प्राप्त बन्दी थे।

श्री तनसिंह : मैंने ईयर वाइज़ आंकड़े मांगे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह भी मेरे पास हैं जो इस प्रकार हैं :

वर्ष	दंडित	अभियुक्त	टोटल
१९५१–५२	७,६७४	१९,१७८	२६८,७२
१९५२–५३	९,००३	२७ ०७३	३६,०७६
१९५३–५४	१०,१६१	१८,३८१	२८,५४२
१९५४–५५	१०,०७०	१६,६८८	२६,७५८
१९५५–५६	१८,५६१	१९,८२८	३८,३८९
१९५६–५७	११,५७०	१९,७२८	३१,२९८
टोटल	६७,०३९	१,२०,८९६	१,८७,९३५

एक साल के फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां भर्ती होने के लिये क्या क्वालिफिकेशन्स हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अदालतें भेजती हैं, पुलिस भेजती है।

नगरपालिका, बाड़मेर

६७२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर नगरपालिका का हिसाब कब ऑडिट किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट में नगरपालिका पर कई गम्भीर अनियमितताओं के आरोप हैं ?

(३) क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस प्रश्न का उत्तर २०।११।५७ को दिया जा चुका है।

श्री तनसिंह : आज का उत्तर जो मुझे मिला है उसमें और पहले वाले उत्तर में काफी अन्तर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वही उत्तर आज का है।

छोटी सादड़ी (चित्तौड़) में कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट इवीक्शन एक्ट का लागू किया जाना

६७३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या विधि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार कस्बा छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़ में कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन एक्ट लागू करने का विचार कर रही है ?

Page No.14

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(२) यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) नहीं ।

(२) कस्बा छोटी सादड़ी के निवासियों में सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा है कि वहां पर कन्ट्रोल ऑफ रेन्टएरड एविक्शन एक्ट लागू किया जाय ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो सरकार स्वयं ऐसा विचार नहीं रखती है क्या कि वह लागू किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह एक्ट वहां लागू किया जाता है जहां कि आबादी पांच हजार हो ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इन कस्बों की आबादी पांच हजार से ज्यादा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ज्यादा है तो इस पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६७४

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जो सूचना चाही गई है वह प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः इसको आयन्दा के लिए रख दिया जाय ।

कृषि विभाग द्वारा ट्रकों की खरीद

६७५. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन् १९५०-५१ में इस विभाग ने ६ मोरिस ट्रकों के लिए टेन्डर मांगे थे ?

(२) क्या यह सही है कि ६ की अपेक्षा १४ ट्रक खरीदे गये ? यदि हां, तो कुल लागत क्या हुई ?

(३) क्या यह सही है कि ठेकेदार से कोई एग्रीमेन्ट नहीं लिखाया गया इसलिए ८ स्टूडीबेकर ट्रक सरकार को खरीदने पड़े ?

(४) क्या यह सही है कि ये ट्रक खरीद के बाद बेकार पड़े हैं ?

(५) यह खरीद किससे की गई और किस के हुक्म से की गई ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ६ मोरिस ट्रकों के लिए कोई टेन्डर सन् १९५०-५१ में नहीं मांगे गये । टेन्डर केवल ६ डीज़ल ट्रकों के मांगे गये थे ।

(२) हां, कुल लागत ३,०१,००० रुपये की हुई ।

(३) चूंकि ६ ट्रकों का ही टेन्डर मांगा गया इसलिये ठेकेदार १६ मोरिस ट्रक देने के लिए बाध्य नहीं था । बाद में १४ ट्रकों की मंजूरी होने से बाकी के ८ स्टूडीबेकर ट्रक खरीदे गये ।

(४) इन चौदह ट्रकों में से कोई खाली नहीं पड़ा रहा ।

(५) यह खरीद वेस्टर्न इन्डिया मोटर कम्पनी, जयपुर से गवर्नमेन्ट के हुक्म से की गई थी ।

श्री तनसिंह : सन् १९५०-५१ में टेन्डर्स नहीं मांगे गये तो ६ ट्रकों के खरीदने का टेन्डर कब मांगा गया ? क्या उसमें केवल मोरिस ट्रक्स ही भेजने का टेन्डर था या स्टूडीबेकर का भी टेन्डर मांगा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बात इस तरह की है कि साल के अन्तिम दिनों में जो

Page No.15

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसके लिए प्रोविजन था उसके अन्तर्गत टेंडर मांगे गये। देरी होने के कारण उस साल तो वे ट्रक खरीदे नहीं गये। डीज़ल के ट्रक्स के लिये टेन्डर मांगे गये थे उसके बाद में नेक्स्ट इयर जो प्रोविज़न था उसके अन्तर्गत वे छः ट्रक्स देने को तैयार थे, दूसरे ट्रक्स उस मौके पर नहीं थे। प्राइसेज़ ऊंची जा चुकी थीं स्टुडीबेकर ट्रक्स हैं हम उसी प्राइज़ में देने को तैयार हैं। उस हालत में उन ट्रक्स में से १४ ट्रक्स तो उस समय खरीद लिए गये, कन्ट्रोल्ड प्राइस पर खरीदे गये। इस वजह से सरकार को लाभ हुआ। प्राइसेज़ काफी ऊंची जा चुकी थीं, दूसरे टेन्डर्स मांगे जाते तो प्राइसेज़ काफी ऊंची जा चुकी थी उसके अनुसार कीमतें देनी पड़ती। इस कारण ८ तो स्टुडीबेकर और ६ दूसरे ट्रक्स लिये गये।

श्री तनसिंह : क्या इस फर्म से ६ ट्रकों की सप्लाई के लिए कोई एग्रीमेन्ट एग्ज़ीक्यूट करवाया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीमेन्ट एग्ज़ीक्यूट नहीं करवाया गया।

श्री तनसिंह : उस साल जब ट्रक्स नहीं खरीदे गये तो क्या उसके एडवान्स के तौर पर १४ हजार रुपया जमा किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ठीक से पता नहीं है।

श्री तनसिंह : मोरिस ट्रक में ऐसा क्या वैज्ञानिक आधार है जिससे मोरिस ट्रक्स ही इस कार्य के लिए उपयुक्त माने गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मोरिस ही ठीक माने गये ?

(विराम)

६ तो मोरिस ट्रक खरीद लिये। हमने कोई मेक नहीं दिया था, हमने तो डीज़ल ट्रक्स मांगे थे और ८ स्टुडिबेकर ट्रक खरीदे। मोरिस की क्वालिटी के ६ डीज़ल ट्रक ही थे और इससे ज्यादा मोरिस की क्वालिटी अवेलेबल नहीं थी इसलिये उसी दाम पर, चूंकि वह दे रहा था, इसलिए स्टुडिबेकर ले लिये।

श्री तनसिंह : इनकी कीमतें दूसरों के क्वोटेशन्स की रेटों से भी मिलान की गई थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: यह मिलान करने के बाद ही निर्णय लिया गया था और जिन्होंने सप्लाई किया उन्होंने कहा कि ६ पर्टीकुलर के खरीद रहे हैं आप तो ८ स्टुडीबेकर भी इसी रेट से दे देंगे और गवर्नमेंट को लाभ हुआ इस डील से क्योंकि बाद में ट्रकों के दाम बाजार में ऊंचे चले गये थे जिस वक्त यह खरीद की गई थी।

श्री तनसिंह : आपने यह बताया कि उनमें से कोई भी ट्रक बेकार नहीं पड़ा रहा, पर ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि ६ ट्रक खरीद के बाद में काफी अर्से तक बेकार पड़े रहे।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह दूसरा मामला है, वे ये ट्रक नहीं थे।

Just after their registration 9 trucks were purchased for blasting work in 1952-53 of course remained idle due to rainy season but these were not within the above mentioned fourteen trucks.

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह मेरे प्रश्न का नहीं है। मैंने स्पष्ट

(श्री तनसिंह)

पूछा था और उसके उत्तर में कहा गया कि ५०-५१ में टेन्डर कॉल नहीं किये गये। During the year 1950-51 the department invited tenders for supply of 6 Morris trucks. मैंने उस सिलसिले में पूछा था और आपने जवाब दिया कि टेन्डर ही कॉल नहीं किये। यह और किसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है, पर इसका नहीं है। अतः अब उन्हें मौका दिया जावे कि वे इसे देख लें और उत्तर बाद के लिये रख दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं इसी प्रश्न को समझ कर जवाब दे रहा हूं। आप समझने में भूल कर रहे हैं। ५०-५१ में टेन्डर मांगे थे, पर मनी के सैंक्शन का टाइम उस समय निकल गया था, इसलिये उस समय ट्रक्स नहीं खरीदे जा सके। पर नया बजट पास होते ही सैंक्शन मिल गई और तब वे ट्रक खरीद लिये गये और ये दूसरे ट्रक्स, जिनकी आप बात करते हैं, ५२-५३ में खरीदे गये थे और ब्लास्टिंग के काम के लिये खरीदे गये थे और बरसात में ब्लास्टिंग का काम होता नहीं, इसलिये ४ महीने वे पड़े रहे। तो ये दोनों अलग-अलग मामले हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पॉवर हाउस, निवाई

६७६. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या निवाई स्थित पॉवर हाउस की शक्ति द्विगुणित हो जाने पर बौंली कस्बे में बिजली सप्लाई की जा सकेगी ?

(ख) यदि नहीं, तो फिर कौन-कौन से कस्बों को सप्लाई की जावेगी ?

विद्युत मन्त्री (रामकिशोर व्यास) : (क) निवाई विद्युत गृह की जनन क्षमता बढ़ाई नहीं जा रही है।

(ख) नहीं, बौंली ग्राम को वर्तमान में ग्रामीण विद्युतकरण के लिये योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। वर्तमान में निवाई विद्युतगृह से किसी भी ग्राम को प्रदाय सप्लाई बढ़ाने के कोई सुझाव नहीं हैं।

गवर्नमेंट डिस्पेन्सरी, आबू रोड

६७७. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Medical & Public Health Department be pleased to state :

Is the Government aware that there is no male doctor at Abu Road dispensary in Sirohi district and that this dispensary is not provided with equipments which a class I dispensary should normally have?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): आबू रोड डिस्पेन्सरी अब प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में परिणत कर दी गई है तथा वहां मेल डॉक्टर तथा लेडी डॉक्टर दोनों कार्य कर रहे हैं।

गम्भीरी नदी, (चित्तौड़)

६७८. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन): क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला चित्तौडगढ़ में गम्भीरी बांध बन्धने के पूर्व सर्वे कर्त्ता अधिकारियों ने इस बांध से कितने हजार बीघा जमीन सिंचाई हो जाने की फाइनल रिपोर्ट दी थी ?

(२) उक्त बांध से इस समय कुल कितना बीघा जमीन पीवल हो रही है और वह किस प्रकार ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ३३,००० एकड़ जमीन पीवल होने की रिपोर्ट दी गई थी।

(२) पिछले साल से पिलाई शुरू हुई हैं, उस साल १०३६ एकड़ जमीन पीवल हुई थी। इस वर्ष ३३०० एकड़ जमीन पीवल में आई। योजना अभी सम्पूर्ण नहीं हुई है और इस वक्त तक आंशिक सिंचाई ही हो रही है। काम सम्पूर्ण होने के बाद करीब पांच सालों में सिंचाई का पूरा विकास होगा।

श्री जयचन्द्र मोहिल : यह योजना कब तक सम्पूर्ण हो जायगी?

श्री रामकिशोर व्यास : पांच साल में इसका फुल रियलाइज़ेशन होना शुरू हो जावेगा।

हरिजनों के लिये जयपुर में आदर्श बस्तियों की स्थापना

६७६. **श्री धर्मपाल** (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर में हरिजन बस्तियों के लिये कहां-कहां जगह तजवीज की गई है?

(ख) कहां कहां आदर्श बस्तियां तैयार हो गयी हैं और सरकार ने कितनी-कितनी सहायता दी है?

(ग) क्या चांदपोल के बाहर हरिजन बस्ती स्थापित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो वह कब तक कार्य रूप में परिणत की जावेगी?

(घ) आदर्शनगर में कितने प्लॉट किस रेट पर दिये गये हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जयपुर नगर में हरिजन बस्तियों के लिये निम्नलिखित जगह तजवीज की गई हैं :

(१) गांधीनगर, हरिजन बस्ती, स्टेशन के पास, यहां की भूमि का अलॉटमेन्ट हो रहा है।

(२) आगरा रोड पर अमृतपुरी, यह स्वीकार हो चुकी है, इस योजना का पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है।

(३) चांदपोल दरवाजे के बाहर, (४) हींदा की मोरी के बाहर, (५) बोरी घोड़ा निकास के पास; ये तीन, चार और पांच की योजनाएं नगर विकास मण्डल के विचाराधीन हैं।

(ख) गांधी नगर के पार हरिजन बस्ती में काफी मकानात तैयार हो चुके हैं। वहां हरिजनों के विकास व्यय अधिक होते हुए भी केवल एक रुपया प्रतिवर्ग गज के हिसाब से भूमि दी गई है तथा बहुतों को भवन निर्माण के लिये ऋण भी दिया गया है।

(ग) चांदपोल दरवाजे बाहर हरिजन बस्ती की एक योजना अवश्य बनी है पर इसी क्षेत्र में बस स्टेन्ड ले जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। अतः यह योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकती है।

(घ) आदर्शनगर में अब तक कुल ३४ हरिजनों को प्लॉट दिये गये हैं। ८५०० रुपया नजराना प्रति एकड़ और २६५) दस आने अर्बन एसेसमेन्ट के लिये गये हैं।

श्री धर्मपाल : चांदपोल के बाहर जो योजना है वह बस स्टेंड बनाने के लिये कैंसिल की जा रही है तो क्या हरिजनों के आबाद करने के बजाय यह ज्यादा जरूरी है?

Page No.18

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा न कि अभी यह प्रश्न विचाराधीन है, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड इस पर विचार करेगा।

श्री धर्मपाल : क्या सरकार यह महसूस करती है कि हरिजनों को रिहायश की कठिनाइयां हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात जरूर है।

डॉ० चन्द्रकला : इनमें से स्लम्स क्लियरेन्स स्कीम के अन्तर्गत भी कोई कार्य लिये जावेंगे क्या और लिये जावेंगे तो वे कब प्रारंभ होंगे और कब क्रियान्वित किये जावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है।

श्री मूलचन्द डागा : जब सरकार अस्पृश्यता को मिटाना चाहती है तो फिर हरिजन बस्तियां अलग क्यों बसाते हैं ? यह क्यों जरूरी समझते हैं कि उनकी बस्तियां अलग-अलग बसाई जावें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसलिये कि जहां वे इस समय रह रहे हैं वहां स्थान की कमी है। अधिक बसने की गुंजाइश नहीं है।

सुखानिया बांध (बांसवाड़ा)

६८०. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बांसवाड़ा जिले के सुखानिया बांध के टूटने से कितने जन-धन का नुकसान हुआ तथा क्षतिग्रस्त लोगों को मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया या ठेकेदार द्वारा ?

(२) क्या बांध जिन कारणों से टूटा उनकी जांच के लिये कोई कमीशन नियुक्त किया गया था ?

(३) यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) सुखानियां बांध के टूटने से एक आदमी की मृत्यु हुई और करीब ३६,०००) का नुकसान हुआ। क्षतिग्रस्तों को मुआवजा सरकार द्वारा दे दिया गया है और उसका एवजाना ठेकेदार से वसूल करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(२) बांध टूटने के कारणों की जांच के लिये समिति नियुक्त की गई है।

(३) रिपोर्ट अभी आई नहीं।

श्री मोगजी भाई : बांध टूटने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह समिति की रिपोर्ट आने पर मालूम हो सकेगा।

डॉ० चन्द्रकला : यह समिति कब नियुक्त हुई और कब तक यह अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोगजी : यह समिति कब नियुक्त की गई और उसकी रिपोर्ट कब तक आ जावेगी ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट जल्दी ही आ जावेगी।

श्री मोगजी : क्या ठेकेदार ने अवधि के अन्दर काम पूरा नहीं किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा।

सरकार द्वारा जिला बोर्डों को कन्ट्रीब्युशन दिये जाने की व्यवस्था

६८१. **श्री शिवनाथसिंह** (गूंडा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री शिवनाथसिंह)

(क) क्या सरकार जिला बोर्ड अधिनियम सन् १६५४ की धारा १५७ के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में जिला बोर्डों को विकास कार्यों के लिये कन्ट्रीब्युशन देने का विचार रखती है।

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

(ग) क्या पिछले वर्ष भी इस प्रकार की कोई योजना थी।

(घ) यदि हां, तो क्या किसी जिला बोर्ड को कोई रकम दी गई है, यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) निर्देशक स्थानीय निकाय की सिफारिश आ चुकी है। कानून के मुताबिक जितना कॉन्ट्रीब्युशन दिया जा सकेगा इसी वित्तीय वर्ष में दिया जावेगा।

(ग) जी हां।

(घ) गत वर्ष जिला बोर्ड जयपुर को १,६६,४६४ रु० ४ आना ६ पाई दिये गये थे।

श्री शिवनाथसिंह : जयपुर जिला बोर्ड के अलावा अन्य को क्यों नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई।

श्री शिवनाथसिंह : स्कीम जिला बोर्ड ने भेजी थी या आपने डिमान्ड की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियम के अन्तर्गत जो जिला बोर्ड काम कराता है उसको कॉन्ट्रीब्युशन १/३ सरकार देती है।

श्री शिवनाथसिंह : पिछले साल झुंझुनूं जिला बोर्ड ने स्कीम भेजी थी काम की, पर उसे सहायता नहीं मिली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सैंक्शन्ड स्कीम होनी चाहिये।

श्री शिवनाथसिंह : तो वह स्कीम इस तरह का डिफेक्ट निकाल कर वापिस भेज दी क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, पर्टीकुलर्स तो मुझे याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ कारण था।

श्री शिवनाथसिंह मेरा प्रश्न स्पष्ट है। झुंझुनूं जिला बोर्ड ने स्कीम भेजी। फिर उसको सहायता क्यों नहीं दी गई, जब कि जयपुर को दे दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं उस पर्टीकुलर स्कीम के बारे में तो अर्ज नहीं कर सकता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ? पर अर्ज यह कर रहा था कि अगर सैंक्शन्ड स्कीम हो तो १।३ रकम सहायता के तौर पर सरकार देती है।

एक माननीय सदस्य : १।३ हिस्सा होता है या ३।४ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह नियम में लिखा है।

श्री जगदीशप्रसाद : स्कीम आने के बाद सैंक्शन करते हैं तो सैंक्शन्ड स्कीम का क्या अर्थ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्कीमें तैयार होकर सरकार के पास पहले आती हैं। सरकार उन्हें एग्ज़ामिन कराती है। मान लीजिये सड़कें बनाना हैं या पॉवर हाउस बनाना है या पानी के नल लगाने हैं तो उन स्कीमों

Page No.20

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

को सरकार अपने विभाग के इन्जीनियरों के मार्फत एग्ज़ामिन कराती है, एक्सपर्टस् की राय ली जाती है और फिर जैसी उनकी राय होती है उस पर सरकार अपनी सैंक्शन उस स्कीम को देती है, उसमें काट छांट करने की जरूरत हुई तो काट छांट करती है, घटाना बढाना हुआ तो वह भी करती है। उस सैंक्शन के बाद सरकार सहायता देती है।

श्री जगदीशप्रसाद : इस प्रकार की स्कीमें झुंझनू, सीकर या और दूसरे टोंक आदि जिलों ने भेजी हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कौन से साल की बात करते हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद : पिछले साल की कह रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें ऐसा है कि कई स्कीमों को एग्ज़ामिन किया जा रहा है। बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं कि जिनमें एस्टीमेट ही नहीं है और कुछ ऐसी हैं जिनमें कुछ और चीजें बाकी हैं।

श्री शिवनाथसिंह : क्या सरकार ऐसा समझती है कि ये स्कीमें ठीक हो जावेंगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ स्कीमें ठीक हो जावेंगी तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पैसा मिल जावेगा ?

ग्राम बेड़मां (चित्तौड़) में पकड़ी गई अफीम

६८२. **श्री सतीशचन्द्र,** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सन् १६५६ में बेड़मां ग्राम तहसील अरनों, चितौड़गढ़ जिले में एक मन और दस सेर अफीम पकड़ी गई थी ?

(२) क्या वह अफीम एस० डी० ओ०, प्रतापगढ़ के न्यायालय में पुलिस द्वारा जमा कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अब उस अफीम की जगह गुड़ रखा हुआ है ? यदि हां, तो इस घोटाले में किसका हाथ था और उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, एक मन दस सेर और बारह छटांक अफीम पकड़ी गई थी।

(२) जी हां, पुलिस ने जब्तशुदा अफीम को अदालत प्रतापगढ़ के मालखाने में जमा कराया। बाद में शेरअली मुलजिम की प्रार्थना पर कि जो स्टफ अदालत में पेश किया गया है वह अफीम नहीं है, इसे खोला गया तो मालूम हुआ कि अफीम की जगह कोई और चीज रखदी गई है जिसके कैमीकल एग्ज़ामिनेशन से ज्ञात हुआ कि यह मिट्टी मिला हुआ एलवा है। इस मामले में एस० आई० ख्यालीलाल तथा बी० जे० हबीबखां को अपराधी पाया गया और दोनों को सस्पेन्ड कर दिया गया। यह केस आवश्यक कार्यवाही के लिए एन्टी करप्शन विभाग को सौंप दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र : इनको सस्पेंड कब किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ८-२-५८ को।

श्री सतीशचन्द्र : यह अदालत में पेश होने के बाद अफीम मिट्टी और गुड़ हो गई या पहले ही ?

Page No.21

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो बाद की ही शिकायत मालूम होती है जिस समय जमा कराई गई थी।

श्री मूलचन्द डागा : अफीम की जगह दूसरा सामान भी एक मन और दस सेर ही था?

श्री रामकिशोर व्यास : उतना हो होना चाहिए। खाना पूर्ति तो पूरी ही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

प्रसूति केन्द्र, सोजत सिटी

६८३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): Will the Minister for Medical & Public Health Deptt. be pleased to state :-

(1) Is it a fact that there is a Maternity Centre in Sojat City?

(2) If so, who was the last incumbent posted for maternity post and when was she transferred?

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां

(२) मिस के० जे० अलायम्मा सोजत मैटर्निटी सेन्टर में थीं जिनका स्थानान्तरण दिनांक १५-११-५७ को किया गया था।

श्री तेजाराम : उसके बाद में दूसरे सब्स्टीट्यूट के आॅर्डर्स कब हुए और उसने अपनी ड्युटी कब ज्वाइन की?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब मिस पी० एम० परियम्मा की नियुक्ति की गई है और इन्होंने वहां पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ड्युटी ज्वाइन करने की तारीख तो मुझे मालूम नहीं है।

श्री तेजाराम : आॅर्डर्स कब किए?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आॅर्डर्स की तारीख नहीं है, लेकिन इन्फोर्मेशन यह है कि उन्होंने वहां काम शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

पम्पिंग सेट्स के लिए तकावी

६८४. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Agriculture Minister be pleased to answer :

(1) How much Taccavi Loan was given for pumping sets from 1952 to 1955 in Bayana, Weir and Rupbas Tehsils of Bharatpur District and to whom and when?

(2) How many have purchased the pumping sets and who was or is the officer who certified their purchase?

(3) How many have repaid the loan and how many have not? What action has the Government taken against defaulters and when?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : A sum of Rs. 24952/-has been advanced to eleven parties for the purchase of pumping sets in Bayana, Weir and Rupbas Tehsils. The names of the parties are given in the enclosed statement.

8 Parties have purchased the pumping sets. The Tehsildar concerned has certified their purchases.

Out of the eleven loanees, one party has repaid the loan. From

Page No.22

(श्री नाथूराम मिर्धा)

7 parties instalments due are being recovered regularly. No instalments have become due for one party. Action is being taken by the Collector, Bharatpur under PDR Act for recovering the total amount from two persons who have not purchased the pumping sets. Action was taken by the Collector on 15-3-54 and 19-7-54 respectively by attaching the properties of the cencerned persons.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये।

प्रश्न संख्या ६८५

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

भूमि कटाव

६८६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना): क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सीकर जिले में कितनी भूमि कटाव के कारण बह गई है तथा सरकार इसके प्रतिरोध और अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस विषय में कोई सर्वेक्षण (Survey) नहीं किया गया है। इसके प्रतिरोध और अन्न के उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में सर्वे (सर्वेक्षण) हो जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : सर्वे कब तक कराने का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बात यह है कि यह नया ही डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। इसको तो शुरू हुए अभी गिनती के ही चार पांच महीने हुए हैं और अभी ही ऑफिसर वगैरह का अपॉइन्टमेंट हुआ है और ज्यों ज्यों हमारे प्लान में इसका प्रोवीज़न होगा काम बढ़ता जायेगा। अभी सात-आठ जिलों में ही काम शुरू हुआ है। ज्यों ज्यों स्टाफ बढ़ता जायेगा त्यों त्यों काम भी आगे बढ़ता जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

सरकार द्वारा बंद पड़ी कपड़ों की मिलों को पुनः चालू करवाने की व्यवस्था

६८७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में इस समय कितनी कपड़ा मिलें कब से बंद हैं और क्यों तथा सरकार ने उनको चालू करवाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(ख) उपरोक्त मिलों के बंद हो जाने से प्रत्येक मिल में कितने मजदूर बेकार हुए हैं ?

(ग) क्या इन मजदूरों से वेतन बकाया हैं ? अगर हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) इस समय ३ मिलें बन्द हैं :

महादेव काटन मिल, भीलवाड़ा	६-६-५६ से
महाराजा किशनगढ़ मिल्स	१७-८-५६ से
कोटा टैक्सटाइल मिल्स	२४-७-५७ से

इन्हें चालू करने के बाबत इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) मिलों के बन्द होने से बेकार मजदूरों की संख्या इस तरह हैं :

भीलवाड़ा में ४००
किशनगढ़ में ६६२
कोटा में ४७०

(ग) इन मिलों में से किशनगढ़ मिल के मजदूरों का वेतन बकाया है । उसके दिलाने के लिए पेमेंट ऑफ वेजेज़ अथॉरिटी के समक्ष दावे पेश कर रखे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : जो मिलें आर्थिक घाटे के कारण बंद हैं क्या सरकार उन्हें लेने का सोच रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न तो इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट से संबंधित है लेबर डिपार्टमेन्ट से नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह दावे कब पेश कर दिए गए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तारीख मेरे पास है । यह केसेज़ ५७ के हैं और जुलाई, ५७ से सब केसेज़ पेन्डिंग हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : वे किस स्टेज़ पर हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा था कि ये केसेज़ एस० डी० ओ० के पास पेश किये गये थे और एस० डी० ओ०. ने ही दोनों पार्टीज़ में कम्प्रोमाइज़ करा दिया था, परन्तु वह कम्प्रोमाइज़ ब्रेक कर दिया इसलिए वह केसेज़ अब तहसीलदार के पास भेज दिये गये हैं और उनके पास पेन्डिंग है और इनको तय करने की अन्तिम तारीख अब २४ मार्च है ।

श्री मुरलीधर व्यास : महादेव कॉटन मिल, भीलवाड़ा को २ लाख रुपया सरकार ने सन् ५७ में कर्ज़ के रूप में दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि आप यह जानकारी इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट से ले सकते हैं । लेबर डिपार्टमेन्ट का इससे कोई संबंध नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : मील बन्द होने से मजदूरों को वेतन नहीं मिला इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : किशनगढ़ मिल बन्द होने के कारण ...

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मिल मालिकों का सामान कुर्क किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेट, अजमेर ने यह ऑर्डर दिया था कि मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए कोई प्रोपर्टी अटैच करली जाये और ८५ हजार के करीब का अटैचमेन्ट एक पार्टी का कर दिया गया है और जब तक सारी तनख्वाहों का निर्णय नहीं होगा तब तक यह कोर्ट में जमा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज ।

नगरपालिकाओं की स्थापना

६८८. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नगरपालिका की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है तथा कस्बा बौंली व बामनवास, जिला सवाई माधोपुर की जनसंख्या ६००० से ऊपर होने पर

Page No.24

(श्री पृथ्वीराज)

भी नगरपालिका की स्थापना क्यों नहीं की गई

(ख) क्या अब भी सरकार उपरोक्त दोनों स्थानों में नगरपालिका की स्थापना के लिये सोच रही है ? यदि हां, तो अब कब तक स्थापना हो जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) नगरपालिका स्थापित करने के संबंध में सरकार की यह नीति है कि जिन कस्बों की जनसंख्या ५००० से १०,००० के बीच में है उनमें तभी नगरपालिका स्थापित की जाये जब कि :

१. कस्बा व्यापारिक हो।

२. कस्बे वाले नगरपालिका स्थापित किये जाने के विषय में उत्सुक हों।

बामनवास में नगरपालिका स्थापित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। कस्बा बौंली के निवासियों की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं है।

(ख) इस स्तर पर प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

गौशाला, सीकर

६८६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गौशाला, सीकर के विकास के लिए सरकार ने १ मार्च, १६५० से २८ फरवरी, १६५७ तक कितना कितना रुपया किस किस कार्य के लिए दिया और उसमें कितनी प्रगति हुई ?

(२) उपरोक्त दिये गये रुपये के हिसाब की जांच की एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राजस्थान सरकार ने श्री गौशाला, सीकर को केवल सन् ५५-५६ में ४,८०० रुपये, १० गायें, १ सांड हरियाणा नस्ल का व हरा चारा आदि के लिए दिये।

गौशाला में दी हुई रकम को अभी पूर्णतया खर्च नहीं की है। गौशाला के प्रबन्धक की दी हुई सूचना के अनुसार अच्छी नस्ल की गायें न मिलने के कारण वे नहीं खरीदी गईं। हरा चारा तथा उनके रहने के लिए तथा सिंचाई के साधन वगैरह पर तो रकम खर्च की जा चुकी है। जो रकम गायें खरीदने की है उस रकम को वे खर्च नहीं कर पाये हैं, यह रकम कुल ३,००० रु० है। अब उन्होंने अच्छी नस्ल की गायें रोहतक तथा हिसार जिलों में ढूंढ निकाली हैं और शीघ्र ही खरीद ली जायेंगी।

(२) श्री गौशाला सीकर को दी हुई रकम की जांच अभी तक चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था इन गौशालाओं को जो रकम सहायता के रूप में दी जाती थी उसकी जांच चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा कराई जाये और उस रकम का उपयोग निश्चित समय में किया जावे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इस दी गई रिपोर्ट को सरकार नहीं मानती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार नहीं मानती है और हमने पता कर लिया है कि तीन हजार रुपये उनके पास में पड़े हुए हैं गायें खरीदने के लिए।

श्री भैरोंसिंह : यह रुपये किनके पास में पड़े हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गौशाला मैनेजर के पास।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो कहा गया कि अच्छी नस्ल की गायें नहीं मिलीं इसलिए नहीं खरीदी गई तो क्या नागौर की नस्ल कमजोर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई सवाल पूछना है इसलिए आप उलटा-सुलटा पूछेंगे ही। मैं आपको बता दूं कि नागौर की गायें सीकर और झुंझुनू में नहीं चलती हैं। वहां तो हरियाना और हिसार का ही ब्रीड चलता है। उन्हें वे गायें खरीदने के लिए रुपया दिया गया था। उन्होंने आदमी भेजकर गायें खरीदने के लिए इन्तजाम कर लिया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें वास्तविक बात तो यह है कि जिस समय यह रुपया दिया गया था तो वहां के प्रबन्धक महोदय ने उस रुपये को मकान आदि में लगा दिया और अब रुपया इकट्ठा करके यह खरीद की जा रही है। इसकी वास्तविक जांच नहीं हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको ४८००) रु० दिया गया था जिसमें से १८००) रु० तो पानी के लिए कुएं वगैरह के लिए था और बाकी के ३ हजार रुपये गायें खरीदने के लिए दिये गये थे। उन्होंने कहा कि रुपया हमारे पास में है और गायें खरीद रहे हैं। हमने पूछा तो कहा कि आपके तीन हजार रुपये हुए पड़े हैं और इनकी गायें खरीद कर रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह रुपया ५५-५६ में दिया गया था उस वक्त उन्होंने रुपये का मिसएप्रोप्रियेशन किया। खजान्ची कोई रुपया गबन करके बाद में रुपया तिजोरी में रखता है तो क्या सरकार उसको मान लेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मिसएप्रोप्रिएशन नहीं किया गया है और न अपने काम में लिया है। मैं आपको बता दूं कि अब हमने नियम बदल दिया है। अब हम उनको रोकड़ में रुपया नहीं देते हैं और उनको, गौशालाओं को गायें और सांड ही खरीद कर दे देते हैं। पुराने जमाने में यह नियम नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह लोन दिया गया, तो क्या मैनेजर की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया था कि इतने समय के अन्दर गायें खरीद ली जायेंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह लोन नहीं सब्सिडी है, सहायता दी थी। यह सहायता गायें खरीदने के लिए दी गई थी और गायें खरीदी गई।

सन् ५५-५६ में दिया था। तारीख मुझे एग्ज़ेक्टली याद नहीं है।

प्रश्न संख्या ६६०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

मनोनीत हरिजन पंच, तहसील पंचायत, पदमपुर

६६१. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या ग्राम पंचायत व तहसील पंचायत में हरिजन पंच निर्वाचित होने के बाद भी

(श्री श्योपतसिंह)

हरिजन पंच मनोनीत किया जाता है ? अगर नहीं, तो पद्मपुर तहसील में एक हरिजन पंच होते हुए भी दूसरा हरिजन पंच मनोनीत क्यों किया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : हरिजन पंच निर्वाचित होने के पश्चात् मनोनीत नहीं किया जाता है । पद्मपुर तहसील में इस हरिजन पंच के निर्वाचित होने का मालूम न होने के कारण ऐसा हो गया था । मनोनीत पंच को पृथक किये जाने के लिए सरकार द्वारा show cause नोटिस दिया जा चुका है ।

श्री धर्मपाल पंवार : अगर दो हरिजन मेम्बर हो जायं तो क्या आपत्ति है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानूनन आपत्ति है । ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा पंच किसकी सिफारिश पर मनोनीत किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मुझे तहकीक नहीं है कि किसकी सिफारिश पर हुआ था । सिफारिश डिपार्टमेन्ट ने की होगी ।

श्री रामकरणसिंह : दूसरे हरिजन पंच को मनोनीत करने से पहले जांच नहीं की गई कि एक हरिजन पंच वार्ड से चुनाव में जीतकर आ चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गलती इसलिए हुई कि जब उनका रिज़ल्ट आया तो यह नहीं लिखा हुआ था कि हरिजन पंच भी चुनकर आया है । रिज़ल्ट देखने से मालूम हुआ कि वहां पर हरिजन पंच भी चुनकर भेजा गया है इसलिए उन्होंने मनोनीत कर दिया ।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि पद्मपुर पंचायत की सिफारिश नहीं होने के बावजूद फिर भी कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपसे यह नहीं कहा कि पद्मपुर पंचायत ने सिफारिश की है । मैंने तो कहा कि डिपार्टमेन्ट ने सिफारिश की होगी ।

श्री चन्दनमल वेद : क्या यह सही है कि उस लिस्ट में हरिजन लिखा हुआ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में यही था कि उसमें हरिजन नाम नहीं था ।

श्री लादूराम : क्या इसमें चुनाव में जीत कर आने वाले को हरिजन मेम्बर नहीं माना जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह माना जाता है ।

श्री लादूराम : तो अगर चार हरिजन पंच चुनाव में जीत कर आ जांय तो क्या मनोनीत नहीं किये जा सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं; कानून ऐसा है कि अगर कोई हरिजन नहीं हो तो मनोनीत किया जा सकता है ।

श्री लादूराम : तो फिर यह रिज़र्वेशन क्यों किया जाता है ? मनोनीत के क्या मायने हैं ?

श्री अध्यक्ष : मनोनीत तब किया जाता है जब कि हरिजन कोई चुनकर नहीं आता है ?

श्री लादूराम : अगर चार हरिजन पंच चुनकर आ जाते हैं तो एक हरिजन पंच को इस प्रकार से लेप्स क्यों कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : अगर चार चुनकर आ जाते हैं तो सरकार और किसी को मनोनीत नहीं करेगी ।

श्री लादूराम : अगर चार हरिजन पंच एक वार्ड से चुनाव जीतकर आ जाते हैं तो फिर मनोनीत क्यों किये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कानून ऐसा ही है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको म्युनिसिपैलिटी का ख्याल होगा । पंचायतों में ऐसा नियम है ।

सड़क निर्माण

६६२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या यातायात मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिनेन्द्रप्रसाद, मनमोहनलाल गोयल जयपुर वाले को कुथुन रोड व दौसा से लालसोट तक गिट्टी व डामर की नई सड़कें बनाने का ठेका दे रखा है ?

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों का ठेका कब से किन किन मीलों का तथा कौन कौन सी सड़कों का कितने कितने रुपयों में दे रखा है ?

(ग) क्या ठेके का काम पूरा हो गया, अगर नहीं, तो कब तक पूरा होगा ?

(घ) क्या ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठावेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) जी हां, कुछ भागों का ।

(ख) दौसा-सवाई माधोपुर रोड

मील तक	ठेके देने की तारीक	रकम
२ से ३	१४-२-५६	७,८६०)रु.
६ से १२	४-२-५७	३६,५५६)रु.
१३ से १७ व १६	३१-१-५७	४१,४०३)रु.
२५ से २८	४-२-५७	४३,०७५)रु.
२४ घाटा लालसोट	३-१-५७	४,८८०)रु.
लालसोट-कोथून रोड		
२१ से २३	११-३-५७	५६,२४७)रु.
२४ से २६	२-११-५५	३७,०५६)रु.

(ग) जी नहीं; द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ।

(घ) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

१२.८ म० प०

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

स्थगन प्रस्ताव

डूंगरगढ़ (जिला चूरू) के थानेदार द्वारा सार्वजनिक कार्य कर्त्ताओं को कारावास में लेना

श्री अध्यक्ष : अब एक स्थगन प्रस्ताव आया है जो इस प्रकार है :

"तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू, के थानेदार द्वारा व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण सार्वजनिक कार्यकत्ताओं को गिरफ्तार करके सार्वजनिक रूप से पिटाई करने से इलाके में भय एवं आतंक छाया हुआ है । अत: इस अहम सार्वजनिक महत्व की घटना पर विचार करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगत की जाय ।"

यह प्रश्न कोई विशेष सार्वजनिक महत्व का नहीं है । यह न तो किसी विशेष घटना के बारे में है और न इसमें किसी विशेष तारीख या थानेदार विशेष का उल्लेख किया गया है । इसलिए इसे सदन के सामने प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है । गृह मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि वे

(श्री अध्यक्ष).

इस विषय में तारीख २२-३-५८ को जानकारी देंगे।

१२.६ म० प०

समितियों का मनोनयन
कार्य-सलाहकार समिति का गठन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया और कार्य संचालन की नियमावली के नियम ४७ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के लिए मनोनीत किया गया है :

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता,

राजा श्री मानसिंह,

श्री भैरोंसिंह, डि० नं० १४,

श्री हरिदेव जोशी, और

श्री मोहब्बतसिंह ।

गृह समिति का गठन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम १७६ के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को गृह समिति (हाउस कमेटी) के लिऐ मनोनीत किया गया है :

श्री उपाध्यक्ष,

राजा श्री मानसिंह,

श्री सज्जनसिंह,

श्री रघुवीरसिंह और

श्रीमती गंगादेवी ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ।

सभा की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मोंगजी ने तारीख १०-३-५८ से १४-३-५८ तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

१२.१० म० प०

सार्वजनिक महत्व के विषय पर वक्तव्य
कोटा से १८७३१ मन गेहूँ की निकासी पर रसद मन्त्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : आज मांग संख्या १३ पर बहस होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (खाद्य मन्त्री) : आज की लिस्ट में मेरा वक्तव्य है।

श्री अध्यक्ष : जी हां, आपका स्टेटमेंट पहले दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्री दयाकृष्ण विजय की आवश्यक सूचना पर मैं प्रस्तुत करता हूं कि श्री शिवलाल माधव, बारां वाले ने तारीख ८-२-५८ को सरकार के सामने यह दरख्वास्त पेश की कि उसने कलेक्टर, कोटा से ६-१-५८ को १८,७३१ मन गेहूं का टेन्डर देकर खरीद किया है। इस गेहूं को इस व्यापारी ने पुराना तथा घुन लगा हुआ तथा बाजार में नहीं बिक सकने वाला बतलाया था और इस दरख्वास में उसने बाजार भाव ६॥ से १० रु० फी मन होना बताया और इस प्रार्थना-पत्र में यह भी निवेदन किया कि उसे इस माल को बैंगलोर, मैसूर, मद्रास आदि स्थानों पर निर्यात करने के लिए इजाजत दी जाये, वरना

Page No.29

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यह गेहूं बिल्कुल खराब हो जावेगा और इससे उसे काफी नुकसान होगा । इस पर सरकार ने ता० २३-२-५८ को इस फर्म को ज़ोन से बाहर ले जाने की परमिट जारी करने के आदेश डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ को दिये जिस पर ता० २४-२-५८ को परमिट जारी किया गया ।

इस परमिट के आधार पर इस फर्म ने ७ गेहूं के वेगन करीबन ४,००० मन कोटा जंक्शन पर भिन्न भिन्न स्थानों पर तारीख १-३-५८ को एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोटा के पास पहुंच कर निवेदन किया कि पार्टी को जो माल सरकार ने बेचा था उससे भिन्न माल रेलवे वैगनों में लदाकर बाहर भेजा जा रहा है जिसे फौरन रोका जाये । इस सूचना के प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर और तहसीलदार लाड़पुरा एवं ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि एवं अन्य व्यापारी इन वैगनों में लदे हुए माल की जांच करने को कोटा जंक्शन पर पहुंचे । इन वैगनों में से एक वैगन में बाजिया गेहूं और दूसरे वैगनों में मिश्रित सफेद और लाल गेहूं का होना पाया गया । इसकी जांच करने के पश्चात् इन लोगों ने एक रिपोर्ट कलेक्टर कोटा को प्रेषित की । इस जांच से यह जाहिर हुआ कि पार्टी ने वह गेहूं जिसका कि उसने परमिट प्राप्त किया था उससे भिन्न गेहूं यानी बाजिया सफेद और लाल गेहूं जो कि उसको सरकार द्वारा नहीं बेचा गया था वैगनों में भर कर बाहर भेजने की कोशिश की । इस पर कलेक्टर, कोटा ने उद्योग सचिव को इत्तला दी और कुल बातों से जानकारी दिलाई । इस पर पार्टी को दिया हुआ परमिट कौंसिल किया गया और कलेक्टर को यह आदेश दे दिये कि वह फौरन रेलवे को इत्तला करदें कि माल बाहर रवाना न किया जाये । इसके साथ साथ में यह भी कह दिया गया कि डेमरेज इत्यादि की सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । इस आदेश की तामील में कलेक्टर ने माल को भेजने से रुकवा दिया और डेमरेज की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली । इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि १७०० रु० का घाटा राज्य सरकार ने उठाया है, दुरुस्त नहीं है ।

मैं सदन की जानकारी के लिये यह भी बताना उचित समझूंगा कि यह कहना कि यह माल २२ रु० फी मन के हिसाब से खरीद किया गया था, दुरुस्त नहीं । यह माल सितम्बर और अक्टूबर, १९५६ में कायदे के अनुसार टेन्डर्स लेकर निम्न दरों से खरीद किया गया :

नाम तहसील		गेहूं सी ५९१ की दर फी मन	गेहूं मालवी की दर फी मन
१.	किशनगंज	१९ रु०	२० रु०
२.	छीपाबड़ोद	,,	२० रु०
३.	सांगोद	,,	२० रु० ८ आ.
४.	चेचट	,,	२० रु०
५.	कनवास	,,	२० रु० ४ आ.
६.	लाडपुरा	१८ रु० ३ आ.	,,
७.	बारां	१८ रु० ५ आ.	,,
८.	रामगंज मंडी	,,	१९ रु० २ आ.
९.	बी. डी. ओ. अन्ता	,,	२० रु० ३ आ.
१०.	छबड़ा	,,	१९ रु० ११ आ.

Page No.30

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इन दरों के अन्दर बोरियां तथा बोरियों में भरने के चार्जेज़ और रेलवे स्टेशन से जिले के अंदरूनी भागों में पहुँचाने के ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज़ शामिल हैं। यह गेहूं जो खरीद किया गया था इसके कायदे के अनुसार टेन्डर लेकर बेचा गया और ४२ व्यक्तियों ने कोटा आकर अपने टेन्डर्स दिए थे और सबसे ज्यादा जिसका टेन्डर था वह मंजूर किया गया।

इन परिस्थितियों में जब कि पार्टी ने यह कह कर कि उक्त माल जो उसने सरकार से टेन्डर में खरीदा है वह पुराना व खराब है और बाजारों में बिकने लायक नहीं है तथा उसके रोके रखने से माल बिल्कुल सड़ जावेगा उसे परमिट इस माल के ले जाने ....

श्री मुरलीधर व्यास : आवाज सुनाई नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष : इस पेराग्राफ को फिर से पढ़ दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) इन परिस्थितियों में जब कि पार्टी ने यह कह कर कि उक्त माल जो उसने सरकार से टेन्डर में खरीदा है वह पुराना व खराब है और बाजारों में बिकने लायक नहीं है तथा उसके रोके रखने से माल बिल्कुल सड़ जावेगा उसे परमिट इस माल के ले जाने का दिया गया। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि दरअसल इस फर्म ने वह माल जिसके कि आधार पर उसने यह परमिट हॉसिल किया था, वह माल न भेज कर, दूसरा माल भेजने की कोशिश की तो तुरन्त ही उसके खिलाफ कार्यवाही की जाकर माल को रोक दिया गया और इस सम्बन्ध में सरकार को धोखा देने का जो प्रयास किया गया उसके लिये कलेक्टर, कोटा को आदेश दे दिये गये हैं कि वे उसके खिलाफ दफा ४२० दंड संग्रह के आधीन मुकदमा चलाने की कार्यवाही करें। ऐसा भी मालूम हुआ है कि इस फर्म ने हाई कोर्ट में रिट पेश किया है जिसकी सुनवाई आज ही होने वाली है।

कोटा के अन्दर माल की कोई कमी नहीं और भी व्यापारियों के पास लाखों मन गल्ला मौजूद है और बाजार में भी काफी गल्ला बिक रहा है और वहां इस वक्त भाव भी करीबन ११ रु० से लेकर १३ रु० के हैं।

ऐसी परिस्थिति में जो कुछ कार्यवाही की गई है वह वाजिब है और इस विषय में जो कार्यवाही आगे की जा रही है वह सदन की जानकारी के लिए बतला दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। इस परमिट को देने से पहले क्या सेक्रेटेरियट से कलेक्टर द्वारा जानकारी प्राप्त की गई थी या नहीं? परमिट देने से पहले कलेक्टर को एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया था या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह जो एप्लीकेशन यहां भेजी गई थी उसके साथ सारा रेकॉर्ड मौजूद था और टेन्डर मौजूद था।

श्री भैरोंसिंह : स्टॉक के बारे में जानकारी की गई या नहीं? जिस गेहूं के बारे में परमिट मांग रहा है वह मौजूद था या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टेन्डर देकर गवर्नमेंट से ही तो वह गल्ला खरीदा गया या १२ रु० ७ आ० में, फिर उसमें डाउट क्या था?

श्री भैरोंसिंह : वह गल्ला वहां पर मौजूद था या नहीं ? इसकी जानकारी आपको थी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह गल्ला गवर्नमेंट से ही तो खरीदा गया था ।

श्री भैरोंसिंह : वह गल्ला बेच चुका था और बेचने के बाद गलती से पर्मिट दिया गया है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस तारीख को दर्ख्वास्त आई और पर्मिट दिया गया उस समय अनाज स्टॉक में था, बाद में नहीं रहा तो पता नहीं । इसकी पूरी जांच की जा रही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक पॉइन्ट पर और क्लेरिफिकेशन चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपने तो बहस ही शुरू करदी ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या विभिन्न कलेक्टर्स को इस प्रकार का आदेश दिया गया है और क्या फाइल वहां से आई उसमें भी यह बात है कि कोई पर्मिट इस प्रकार के व्हीट के लिये नहीं दिया जायगा, इस प्रकार का आदेश सेक्रेटेरियट से दिया गया है ? यह भी बताया जाय कि इस प्रकार का पर्मिट इसी व्यापारी को दिया गया है या और भी किसी व्यापारी को दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह गवर्नमेन्ट का ही गेहूं था और गवर्नमेन्ट से ही उसने खरीदा था इसलिये उसको पर्मिट दिया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रश्न आप समझे नहीं । प्रश्न यह है कि इन्टर ज़ोनल के लिये और भी व्यापारियों को पर्मिट दिया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा था कि यह गवर्नमेन्ट से टेन्डर देकर खरीदा हुआ अनाज था, जिसके बारे में उसने कहा कि इसको यहां कोई लेने वाला नहीं है, इसलिये उसको बाहर भेजने का पर्मिट दिया गया । जिस समय उसने खरीदा उस समय १२ रु. ७ आ. का भाव था और बाद में कम होकर ११ रु. का हो गया था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रश्न स्पष्ट है; क्या उसी व्यक्ति को पर्मिट दिया गया और किसी दूसरे को नहीं दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी और को देने का प्रश्न नहीं था ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपके पास कोटा के व्यापारी आये थे जिन्होंने कहा कि हमको दीजिये, आप चाहें तो मैं उनका नाम बता सकता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इस बात से इन्कार नहीं करता । जिम्मेदारी मेरी है, मैं उस समय बीमार था, व्यापारी मेरे पास आये थे, लेकिन वे यहां के मार्केट का गेहूं बाहर भेजने के पर्मिट के लिये आये थे और यह माल गवर्नमेन्ट से खरीदे गये गल्ले के लिये दिया गया था ।

१२. १६ म० प०

अनुदान की मांगों पर मतदान

मांग संख्या १३—मुख्य शीर्षक २६—पुलिस

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या १३. इस पर कट मोशन्स ज्यादा हैं इसलिये इस पर बहस ३. ३० बजे तक होगी, उसके बाद मंत्रीजी उत्तर देंगे ।

Page No.32

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, सन् १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३, ६३, ५५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव निम्न क्रम से प्रस्तुत हुए :

श्री लक्ष्मीचन्द, (८३)

२६. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस विभाग में रु० १) की कटौती की की जाय (जिला जालौर की सांचौर तहसील में पुलिस की अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)।"

श्री तनसिंह, (१६७)

27. That the demand No, XIII, Major head 29-Police be reduced by Re. 1/- (To discuss the high handedness of Police at Barmer)"

श्री चन्दरसिंह यादव, (३६)

२८. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में १००) की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार रोकने के बारे में वाद-विवाद करने हेतु)।"

श्री सूबेदारसिंह, (१६३)

२६. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में से १) रु० कम कर दिया जाय (पुलिस में बढ़ती हुई अनियमितताओं को रोकने में सरकार की असमर्थता पर विचार करने के लिये)।"

श्री लच्छूराम (८१)

३०. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष २६-पुलिस में से १) रु० कम कर दिया जावे (सिपाहियों की वेतन वृद्धि पर विचार करने के लिये)।"

श्री रामेश्वरदयाल, (१३३)

३१. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में से १) रु० कम कर दिया जाए (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के विशेष आई० जी० पी० की नियुक्ति के उपयोग पर विचार करने के लिये)।"

33. "That the demand No. 13, Major head-29 be reduced by Rs. 100/- (To discuss the Abolition of D. I. G.'s office from Kota)."

श्री लक्ष्मण हीरात, (८६)

३२. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में से एक रु० कम कर दिया जाए (उदयपुर जिले के कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों में पुलिस कर्मचारियों से जनता तंग है, इस पर विचार करने के लिये)।"

श्री मूलचन्द डागा, (१०३)

३४. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में से १००) रु० कम कर दिये जायें (पाली तहसील में पुलिस मकानों की कमी पर विचार करने के लिये)।"

३५ "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में से १००) रुपये कम कर दिये जायें [पुलिस सिपाहियों (Constables) के न्यूनतम वेतन पर विचार करने के लिये]।"

३६. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में से १ रुपया कम

Page No.33

(श्री मूलचन्द डागा)

कर दिया जावे (पुलिस विभाग द्वारा मुकदमों की तफतीश में अव्यवस्था व उनकी पैरवी की कमियों पर विचार करने के लिये) ।"

श्री बहादुरसिंह, (१०)

३७. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिये जायें (पुलिस विभाग में पद-वृद्धियों में नियमितता न रखने पर विचार करने के लिये) ।"

३८. मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिये जायें (धौलपुर में चोरियों के रोकने में सरकार की असमर्थता पर विचार करने के लिये) ।"

३६. मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिये जायें (भ्रष्टाचार रोकने में सरकार की असमर्थता पर विचार करने के लिये) ।"

श्री फतहसिंह, (४१)

40. "That the demand No. 13 Major head 29-Police be reduced by Rs. 1/- (To discuss atrocities of the Police personnel)"

४५. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के कार्य की आलोचना करने हेतु) ।"

श्री शिवचरणदास, (१५७) :

४१. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में से १) रु० कम कर दिया जाये (भीलवाड़ा जिले में पुलिस की अव्यवस्था पर विचार करने के लिये) ।"

श्री गिरधारीलाल, (४७) :

४६. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में से १००) रु० कम कर दिये जायें (भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड पर होने वाले खर्च पर वाद-विवाद करने हेतु) ।"

१६६. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में से १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कॉन्सटेबिलों की तनख्वाह व मंहगाई भत्ता बढ़ाने के विषय को लेकर वाद-विवाद करने हेतु) ।"

श्री बालमुकुन्द, (११) :

४७. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में से १) कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में पुलिस कर्मचारियों का जनता के साथ दुर्व्यवहार पर विचार करने के लिये) ।"

श्री पी० के० चौधरी, (१२१) :

48. "That the demend No. XIII Major head 29 Police be reduced by Rs. 100/- (To discuss high handed attitude of the Police towards the public)."

49. "That the demand No. XIII Major head 29-Police be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Police in conducting an enquiry into the circusmtances and causes of the explosion that took place in the house of Bundaka near Durgah Khaja, Ajmer as a result of which 5 persons died)."

50. "That the demand No. XIII Major head 29-Police be reduced

Page No.34

(श्री पी. के. चौधरी)

by Rs. 100/- (To discuss the reversion of 9 Police sub-Inspectors of Eic-Ajmer State)."

श्री मुरलीधर व्यास, (१०७) :

५१. "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में से १००)रु० कम कर दिये जावें (विभाग के संरक्षण, भ्रष्टाचार व तस्कर व्यापार को बढ़ाने में प्रत्यक्ष सहयोग देते हैं इस पर विचार करने के लिये) ।"

श्री जगदीशप्रसाद माथुर, (६५) :

५२. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में १००) रु० की कटौती की जावे (पुलिस कॉन्स्टेबलों में कम वेतन एवं अन्य सुविधाओं से व्याप्त असन्तोष पर विचार करने के लिये) ।"

५३. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में १००) रु० की कटौती की जावे (पुलिस मेस अलाउन्स की अव्यवस्था पर विचार करने के लिये) ।"

५४. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में १०० रु० की कटौती की जावे (भूतपूर्व नरेशों के यहां पुलिस पहरा रखने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये)।"

६०. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में १००) रु० की कटौती की जावे (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विचार करने के लिये) ।"

६१. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में १००)रु० की कटौती की जावे (पुलिस विभाग में आई० पी० एस० संगठन के औचित्य पर विचार करने के लिए) ।"

श्री भैरोंसिंह, (१४)

१६३. "मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा पुलिस कॉन्स्टेबिल्स की तनख्वाह में कम से कम ५) रु० माहवार की वृद्धि करने तथा अन्य सुविधायें प्राप्त न करवा सकने की स्थिति पर विचार करने के लिये)।"

श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, सांचोर तहसील में पुलिस की सुव्यवस्था न होने के कारण चोरी और डकैतियां इस वर्ष बहुत बढ़ गई हैं और वहां की जनता का रहना दुश्वार हो गया है । जितनी चोरियां और डकैतियां हुई हैं वे सांचोर तहसील में जहां पर पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकियां है उनके नजदीक-नजदीक ज्यादा हुई हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि बरणवा में डकैती हुई है वह पुलिस स्टेशन से दो मील पर है, केसुरी में डकैती हुई है वह पुलिस चौकी से दो मील है, बांसण में हुई है वह पुलिस स्टेशन से आठ मील दूरी पर है और आरवा में हुई है वह आठ मील की दूरी पर है । सांचोर में इस समय तक जितनी चोरियां और डकैतियां हुई हैं, वे स्थान पुलिस स्टेशन के नजदीक होते हुए भी अब तक उन चोरियों और डकैतियों का पता नहीं लगा है ।

आरवा की डकैती का वर्णन मैं करूंगा । उसे सुनकर, अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा । वहां की स्त्रियों के साथ किस प्रकार का डाकुओं द्वारा दुर्व्यवहार हुआ, इस सबको देखने से बड़ा आश्चर्य हुआ । जब इस घटना की सूचना पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गई तब भी पुलिस घटना के स्थान पर नहीं पहुंची । इस सूचना के मिलने के दो दिन के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और डकैतों का पीछा करने के लिए जाती है । लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब सूचना उनके पास पहुंचती है तो वे प्रश्न करते हैं कि डाकुओं

Page No.35

(श्री लक्ष्मीचन्द)

को पकड़ने में वे क्यों मरें, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। वे क्यों ४० रुपये के लिए बलिदान दें जनता की भलाई के लिए। यह प्रश्न खड़ा होता है। इसके अलावा कहीं पुलिस ऑफिसर डाकुओं को मारने का, डकैतियों को खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। पुलिस ऑफिसरों द्वारा कालबेलिया डाकू का खात्मा किया गया और उसको खत्म करने के लिए वे लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर खेलें। इसी प्रकार दलपतसिंह नाम का कॉन्सटेबल जालम डाकू के पकड़ने के सिलसिले में मारा गया, लेकिन आज उसके बच्चे दाने दाने को मोह- ताज हो रहे हैं। इन सब बातों का वर्णन, जब पुलिस स्टेशन पर चोरी या डाके की इत्तला पहुंचाई जाती है, तो पुलिस वाले करते हैं। मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, सरकार से प्रार्थना करूँगा कि इन चोरी और डकैतियों का मुख्य कारण जो है वह सरकार है, जिसके हाथ में सुरक्षा की प्रणाली है। सरकार की तरफ से इन छोटे कर्मचारियों को किसी किस्म की व्यवस्था नहीं दी गई है, वह उनको ४० रुपये देकर उनकी जान लेना चाहती है। इस- लिए सरकारी कर्मचारी आज पुरुषार्थी नहीं हैं। इन कर्मचारियों को पुरुषार्थी बनाने के लिए उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, उनको मरने देने के पहले उनकी भुजाओं को मजबूत करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी कल्या- णसिंह डाकू को खत्म करने में श्री ताराचन्द, एस. पी. और खुमानसिंह, कॉन्सटेबल मारे गये हैं। इस कॉन्सटेबल को ७०० रुपये मरने के लिए दिये गये हैं। क्या उसकी जिन्दगी ७०० रुपये के बराबर तुली हुई थी? यही कारण है कि पुलिस कर्मचारी डाकुओं को पकड़ने के सिलसिले में प्रयत्न नहीं करते हैं, डाकुओं का मुकाबला नहीं करते हैं। क्योंकि उन लोगों को किसी किस्म की सुविधा आप नहीं देते हैं। इसी कारण सांचोर तहसील में डकैतियां बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि पुलिस की सुव्यवस्था नहीं है। इस ओर मैं माननीय गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि पुलिस की व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है, यह मानकर कि वह मूव हो गया, मैं अपना भाषण शुरू करता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि मैं बड़े इत्मिनान से और बड़े धैर्य से मान- नीय मन्त्री महोदय के भाषण समय समय पर पुलिस विभाग की वकालात करते हुए सुनता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि वास्तव में पुलिस ने इस स्वतन्त्रता के युग में कुछ प्रगति की है। मैं यह नहीं कहूँगा कि उनके भाषण सर्वथा तथ्यों के आधार पर न होकर केवल अनु- मान ही अनुमान पर रहते हैं। मैं मानता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पुलिस में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और वे स्वयं सोचने लगे हैं, उनमें से बहुत लोग सोचने लगे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस में ऐसा वर्ग है कि जो अभी इस समय भी पुराने समय के ख्वाब देख रहा है और इस कारण कानून को हाथ में लेकर काम करने की उनकी रुचि है और उनमें इस प्रकार का उत्साह है। इस प्रकार वे सरकार को खुश करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की पुलिस को देखकर हम कभी कभी सोचने लगते हैं कि हम इस युग में हैं या किसी और युग में हैं? क्या उस युग में हैं जब पुलिस वास्तव में राजा मानी जाती थी? मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा टाइम न लेकर, ज्यादा लम्बा

(श्री तनसिंह)

न कह कर कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ और उन उदाहरणों में प्रगट होगा कि केवल नीचे के व्यक्ति ही इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करते हैं लेकिन नीचे के व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए संरक्षण देने से यह स्पष्ट प्रगट हो जाता है कि राज्य सरकार भी इस प्रकार के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान कर रही है ।

मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक नरसिंघा वल्द सुआ जाट पीपटाली को सिणदरी के थानेदार ने १०—६—५७ को शाम के पांच बजे पकड़ा और ११—६—५७ को शाम के सात बजे नरसिंगा व पन्नालाल के साथ गिड़ा के लिए रवाना किया । १३—६—५७ को पुलिस थाना बाड़मेर में उसे पेश किया गया और १४—६—५७ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया । १०—६—५७ से १४—६—५७ के लिए अगर यह मान लें कि इतना पीरियड मजिस्ट्रेट के पास पेश करने में लगाया गया तो गलत होगा, क्यों कि सिणदरी से बालोतरा में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है और वह स्थान केवल ३० मील है, लेकिन उसे पहले गिड़ा के लिए ले जाया गया और फिर बाड़मेर के थाने में ले जाया गया, इसमें जो खर्च हुआ, उसका इन्द्राज़ है और मजिस्टेट के सामने पेश किया गया, उसके खर्चे का भी इन्द्राज़ है । इसके बाद एक आश्चर्य की घटना घटती है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब नरसिंगा को पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट कहता है कि चार दिन के बाद क्यों पेश किया है, पहले आपने पेश क्यों नहीं किया, आपने विधान की अवहेलना क्यों की है, इस पर मजिस्ट्रेट से वह कागज वापिस देखने को ले लिया और वह कागज लेकर पी० एस० आई० ने थानेदार को दे दिया और वह थानेदार कागज को लेकर मुलजिम के साथ में वापिस सिणदरी आ गया और जमानत पीछे की तारीख में ले ली । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस छोटी घटना के अलावा मैं अन्य बड़ी घटनायें भी आपके सामने रख कर इस बात का दृष्टान्त रखूंगा कि केवल वहां छोटी मोटी गड़बड़ी ही नहीं होती है । बड़ी बड़ी भी होती हैं, यही नहीं किन्तु उन गड़बड़ियों को संरक्षण हमारी सरकार की ओर से दिया जाता है ।

दूसरी एक और घटना है कि तारीख २—११—५६ को गुड़ा में एफ. आई. आर. नं० २७ एक जुर्म १४७, ३७६ में दर्ज हुआ और वह २६—६—५७ तक पेंडिंग पड़ा रहा । मुल्जिमान उड़ासर के थे जो गुड़ा से १६ मील दूर है । १३—११—५७ तक तफतीश पूरी हुई और १७—६—५७ को मुस्तगीस की दरख्वास्त पर १७ में से ६ मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जो थाने में बैठे हुए थे । एस. एच. ओ. और एस. आई. कहते हैं कि मुलजिम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए देरी हो रही है, लेकिन स्वयं उन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करते हैं जो थाने में बैठे हुए थे । ११—६—५७ को मुस्तगीस कहता है कि मुलजिमान थाने में बैठे हुए हैं, तब उन्हें उस समय गिरफ्तार किया जाता है । इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि वे लोग चाहते हैं कि मुस्तगीस उनकी खुशामद करें और उन्हें रिश्वत पेश करें । इस प्रकार रिश्वत लेकर काम किया जाता है ।

मैं इन छोटे उदाहरणों के बाद बड़े उदाहरणों की तरफ आता हूँ. जिनमें केवल छोटे-छोटे एस. एच. ओ. और सी. आई. तक ही शामिल नहीं है, बड़े-बड़े एस. पी. और, डिप्टी एस. पी. भी शामिल हैं । एक घटना है बाड़मेर की, कि वहां हस्तीमल नाम के एक

(श्री तनसिंह)

गरीब व्यक्ति से जो एक खोमचा बेचा करता था, पुलिस की झड़प हो गई । पुलिस वाले ने उससे माल देने को कहा । उस खोमचे वाले ने उन्हें मना कर दिया कि पहले जो माल लिया, उसका पैसा ही नहीं देते हो और उसने पुलिस वालों से यह भी कह दिया कि तुम्हारा विश्वास मुझे नहीं, मैं माल नहीं दूंगा जब तक पैसा नहीं लाओगे । पुलिस वाले इस बात को कैसे बरदाश्त कर सकते थे, उन्होंने उसका खोमचा ढुला दिया उस खोमचे वाले ने एस. पी. को रिपोर्ट की, एस. पी. ने उसे कहा कि फलां तारीख को तुम आ जाना । वह तारीख तो मुझे याद नहीं जिस दिन उसे बुलाया गया था, लेकिन उस समय दिन का वक्त था, कचहरी लग रही थी । उस समय एस. पी. मौजूद नहीं । वह डिप्टी एस. पी. के पास गया । डिप्टी एस. पी. के अर्दली ने ही उसका खोमचा बिखेरा था, उसके हाथ उसे अन्दर बुलवाया गया । खोमचे वाले ने सोचा कि कुछ बात कहेगा, लेकिन अन्दर उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया, डंडों से पीटा गया कि उसका हल्ला आस पास बैठने वाले हम और मुन्सिफ ने सुना, लेकिन उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी कि उनकी इस कार्यवाही को देखने वाला कोई है । मैं आपको बताऊं कि केवल इतना ही नहीं हुआ, उस पर जो धक्का मुक्की हुई थी, उसका डाक्टरी मुआयना हुआ और उसके पास जब एस. पी. से वहां की कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट जब मिलने के लिए जाते हैं । जो मैं बता रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं, सम्भवतः क्योंकि उनका राज्य है, इसलिए कहदें कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी सूचना है कि उनके साथ बड़ी असभ्यता का व्यवहार किया गया और उन्हें निकाला गया और कहा गया कि इस विषय में कुछ सुनना नहीं चाहता । मैं आपको बताऊं कि हमारी तो हिम्मत भी नहीं पड़े जब कि कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट, जिनका कि राज्य है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कहें कि इस प्रकार उस खोमचेवाले को मारा पीटा गया, यह बेजा है, उनके द्वारा सुपरिंटेंडेंट का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित कराया जाय, तो उनको इस प्रकार असभ्यतापूर्ण ढंग से निकाला जा सकता है । हमारी हिम्मत कैसे हो कि इस तरह की बात करें ।

अब जो एस. पी. महोदय बाडमेर रहे हैं काफी अरसे तक, उनका उदाहरण दूंगा । इन एस. पी. महोदय पर सरकार का बड़ा वरदहस्त है इसके कारण उसके नीचे सरकार की छत्रछाया में एस. पी. महोदय अपनी इच्छानुसार, जो कार्य कराना होता है, जो कुछ लिखना, बोलना, करना चाहते हैं, इसमें उनको हिचक नहीं होती । मैं उदाहरण दूं आपको कि १८२ स्टेट वर्सेज़ लादू, गोकुलराम, साकिन मलवा, १८२ में एक्विट हुआ और मजिस्ट्रेट ने हर्जाना दिलाने का फैसला दिया, जब इस प्रकार का फैसला दिया तो एस. पी. साहब नाराज हुए और उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने वह लेटर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है उसके कुछ उदाहरण मैं पढ़ कर सुना दूं :

"I am constrained to bring to your notice a case in which the First class Magistrate has shown unreasonable attitude to-wards police. This attitude of the First class Magistrate cannot by any stretch of imagination be called reasonable and judicious. It is sheer malice. I further request you kindly to look into the matter

Page No.38

(श्री तनसिंह)

personally and prevail upon the Magistrate to take reasonable view in such matters so that relations between the police and magistracy may remain cordial."

तो यह एक इस प्रकार का पत्र है जिसको देख कर हर आदमी अन्दाज लगा सकता है कि हमारी पुलिस किस प्रकार न्याय की व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है और उन पर जुर्माना हो जाता है तो किस प्रकार की बौखलाहट पुलिस को होती है।

एक बार उन्हीं एस. पी. महोदय की गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी, उसमें उनकी धर्मपत्नी और बच्चे जा रहे थे, उसे ड्राइवर सोनसिंह चला रहा था जो उस समय एक्टिंग कलेक्टर थे उन्होंने एतराज किया और सोनसिंह से लाइसेंस मांगा तो उसके पास लाइसेंस नहीं था, इस मामले की उन्होंने डी. आई. जी. को इत्तला दी कि मोटर पर चढ़ कर इस प्रकार मिस्यूज़ किया जाता है, लेकिन सोनसिंह के खिलाफ बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर को लिखा। इन एस. पी. साहब ने ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर को १५-१०-५७ को एक पत्र लिखा है, उसमें एक पैराग्राफ आता है :

"In the end I may again warn you that if you happen to do any further act in compliance to the illegal order even by the so-called collector, both of you shall be proceeded against legally for malicious and vexatious act."

यह इस पत्र की भाषा है, उन्हें सामान्य शिष्टाचार तक का ख्याल नहीं वे कहते हैं :

"illegal order by the so called Collector."

यह "सो कॉल्ड कलेक्टर" का अभिप्राय इस एस. पी. के दिमाग में है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारी पुलिस किस प्रकार अपने आपको बड़ा समझती है, उनके सामने मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी हो उसकी कोई कद्र नहीं। जब कि आम लोग साधारण मजिस्ट्रेट की इज्जत करते हैं, उनको इस प्रकार पुलिस पत्र दे कर, दबाव डाल कर न्याय में अड़चन डालती है। मैं ये बेअर एग्ज़ाम्पल्स रखता हूँ। केवल इस ही से सरकार को खुश नहीं होना चाहिये कि हम कामयाब हो रहे हैं, डकैतियां खत्म हो रही हैं, डाकुओं को खत्म कर दिया गया है। जन-साधारण के सम्पर्क को और पुलिस की कार्यवाहियों को ठीक तरह से नियन्त्रित करने की ओर कदम उठाना चाहिये, अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक तरफ तो अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो दूसरी ओर जनता की दुर्गति कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अपना प्रस्ताव रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह।

श्री चन्द्रसिंह (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या १३ में पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस एक बड़ा डिपार्टमेंट है, अगर यह अपना सही काम करे तो मुल्क की हिफाजत इसके हाथ में है लेकिन कहावत है कि जब बाड़ खेत को खाती है, वहां उपयोगिता का सवाल खत्म हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि अभी अभी जो घटना हुई है जिसमें हमारे एस. पी. साहब डाकुओं के साथ लड़ते हुए प्राण छोड़ गये, वहां तक हम

(श्री चन्द्रसिंह)

पुलिस की तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, पर यहां तक जायं कि जिस गोली ने एस. पी. ताराचन्दजी को मौत के घाट उतारा वह गोली डाकुओं के पास पैदा नहीं होती, हम ही ने पहुंचाई जिसने हमारे बहादुर सेनानी का खात्मा कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं और पुलिस के बाबत करप्शन की कई बातें हुई हैं और होंगी। मैं आज अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी को एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं कि मेरे खयाल में अंग्रेजों के राज्य में भी ऐसा वाका नहीं हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, तहसील बहरोड में एक कांकर की ढाणी नाम का गांव है, उस गांव में दो भाइयों के आपस में झगड़ा था, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मारू नामक व्यक्ति १० अक्टूबर, ५७ को थाना मांडण में रिपोर्ट देताह कि फलां आदमी की कंवारी लड़की के गर्भ रह गया है और उसने गर्भ को क्षीण करवा दिया है। थाना मांडण से थानेदार और डिस्पेन्सरी का डाक्टर और दो चार सिपाही अचानक उस गांव में पहुंच जाते हैं जब कि किसान अपनी लड़की के साथ खेत में काम कर रहा था। तो पुलिस उनको घेर लेती है और उसको कहती है कि तूने अपनी लड़की का गर्भ क्षीण कराया है अतः तुझको व तेरी लड़की को गिरफ्तार करके ले जाकर बन्द करेंगे। वह बेचारा घबरा उठा कि यह कैसा पहाड़ टूट पड़ा। लड़की कुंवारी है, जिस पर यह आरोप लगाया जाता है। डाक्टर कहता है कि मैं इस लड़की की डॉक्टरी करूंगा। बाप बिचारा चिल्लाता है कि आपके पास कोई लेडी डाक्टर नहीं है, जनाने हॉस्पिटल में मेरी लड़की की डाक्टरी करवा लो, पर पुलिस की बैनेट्स की नोकों के सामने डाक्टर जबरदस्ती उस लड़की की डाक्टरी करता है और अपनी डाक्टरी रिपोर्ट में उसने क्या लिखा है, यह उसने थानेदार को नहीं बताया, यह मैं नहीं जानता, पर उसने डाक्टरी की और उसके बाद थानेदार और डाक्टर दोनों उसको कहते हैं कि कुछ रकम खिलाओ नहीं तो अभी दोनों जेल में बन्द किये जाओगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता, आगे कहूंगा कि इसमें कहां तक सच्चाई है, पर उससे दो हजार रुपये मांगे। उस गरीब के पास दो हजार कहां से आवें और गांव में ऐसा कोई किसान नहीं जो एट दी मोमेन्ट २००० रुपया इकट्ठा कर दे। आस पास के लोगों को भी इसका पता चल गया कि किसान के साथ थानेदार और डाक्टर की सौदेबाजी चल रही है और २००० रुपयों के बजाय १४०० लेकर लड़की को और लड़की के बाप को वहीं छोड़कर वापिस मांडण चले जाते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा होगा या उसने अपनी मर्जी से एन्टीकरप्शन को कोई रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट १४-१२-५७ को दी। उस रिपोर्ट के बाबत में क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं है; लेकिन उसके बाद वह थानेदार गांव में जाता है और कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है, मैं यहां रहा तो तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें और तुम्हारी लड़की को जब तक बन्द नहीं करवा दूं मेरा नाम .... उसने अपना नाम बताया। यहां से आये तो टोंक से अभी किसी मामले में सस्पेन्ड होकर वापिस थानेदार हो गये हैं। घटना बड़ी खतरनाक है। लड़की अब यह सुनती है कि अभी तक भी तेरा पीछा नहीं छूटा है यहां जीना कैसा होगा। इस धमकी के बाद वह लड़की अपने प्राण खत्म कर देती है। एक तरफ यह जुल्म

(श्री चन्द्रसिंह)

कि किसी भी मेडीकल एक्ट में एक मेल डाक्टर औरत का डाक्टरी मुआयना नहीं कर सकता लेकिन फिर भी जबरदस्ती यह किया जाता है और हुआ है, यह एक फेक्ट है और इसको बरदास्त किया जाता है। इसके बाद रुपये लेते हैं उससे भी संतुष्ट नहीं हैं और फिर भी कहते हैं कि तुम्हें बन्द करवाऊंगा। यह ठीक है कि इस प्रकार की थानेदारजी कि धमकी के बाद वह लड़की मर जाती है। अपने आप मरती है या सुसाइड करती है, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन सही है कि उसकी धमकी के बाद मर जाती है। इस केस के बारे में इन्क्वायरी हुई। इन्क्वायरी एन्टीकरप्सन ने भी और कहां तक की यह नहीं कहा जा सकता लेकिन एस. डी. ओ. वेहरोड के सामने यह केस आया। ६ अक्टूबर, १९५७ से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसको आज तकरीबन ५ महीने हो गये अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना मैं तो नहीं सोच सकता कि अपने स्वतन्त्र भारत में होनी चाहिये, लेकिन हो रही है और हम सब इन सारी बातों को सुनसुन कर कान बहरे कर लेते हैं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि कहां तक ऐसे मामले चलते रहेंगे ? पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी हालांकि आदमी उनके खिलाफ शिकायतें करते रहेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की शिकायतें गलत हों, लेकिन ९५ प्रतिशत लोगों की शिकायतें सही होती हैं। लेकिन जहाँ तक यह भ्रष्टाचार का मामला है यह एक दर्दनाक कहानी है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कुछ ही समय बाद उसी थाने में एक गांव के अन्दर गांव वाले, उस गांव का नाम अरणी था, पाँच डाकुओं को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उनको बांध लेते हैं। बांधने के बाद वे लोग थाने में रिपोर्ट करते हैं। गांव के लोग जब थानेदार के पास जाते हैं तो वह थानेदार पांच या ६ सिपाहियों को नियुक्त करते हैं। वे लोग उसके साथ जाते हैं और उन डाकुओं को पकड़ लेते हैं और रास्ते में डाकुओं को गायब कर देते हैं। डाकू भाग जाते हैं उनसे छुड़ा कर। जिन गांव वालों ने अपनी बहादुरी से डाकुओं को पकड़ा और उनके पकड़ने के बाद पुलिस के हाथ से वे डाकू भाग जाते है तो ऐसी हालत में मैं नहीं समझ सकता कि कहां तक पब्लिक का पुलिस में विश्वास जमता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह एक लम्बी कहानी है और इस कहानी को जितनी भी लम्बी बढ़ाई जाए बढ़ती जायगी।

मेरा ख्याल है, तहसील बहरोड में इस किस्म की पुलिस वालों की बदमाशियों की कई मिसालें और केसेज़ उदाहरण दे कर बता सकता हूँ। लेकिन दुःख है कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसा रवैया अपनाया है कि चाहे इधर बैठने वाले हों या चाहे उधर बैठनेवाले हों जो सरकार की आलोचना करते हैं उसको डिफेन्ड करना, उसको मजबूत करना और उन चीजों को टालना और उनको प्रोत्साहन देना वे यह अपना कर्तव्य समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ना यह हो नहीं सकता कि एक केस भी इस किस्म का आ जावे और जिसके अन्दर एक कुंवारी लड़की अपनी जान दे दे और उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में एक और चीज है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आया हूँ वहाँ ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि हमारे जितने भी आफिसर हैं वे सही काम करते हैं और उनको दबाया नहीं जाता और

(श्री चन्द्रसिंह)

उनसे गलत काम नहीं कराये जाते हैं ।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं जितने भी अपने निर्वाचनक्षेत्र के केसेज़ बताऊंगा उनमें जरूर यह होगा कि एक तरफ डाकू हैं या चोर हैं या पुलिस हो या कोई और भी दूसरे महकमात हैं जो गंदे काम करते हैं, उसमें खराब लफ्ज़ हैं लेकिन कहूंगा कि हमारी रूलिंग पार्टी के एक न एक आदमी होगा जिसका इन्ट्रेस्ट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं इस तरह की नैया कब तक तैरती रहेगी । हमारे इस राज्य के अन्दर रूलिंग पार्टी के जो भी नेता हैं छोटे—बड़े सब झूठे केसेज़, चाहे किसी भी किस्म का हो, उसको मजबूत करने और लोगों की सिफारिश करने के लिए उतरे हुए हैं और बुरे से बुरे काम को सही करवाते हैं । अपनी तरफ से वे पूरी कोशिश करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कह देना चहता हूं कि अभी जो यह घटना हुई है उसमें मारू नाम का एक आदमी है जो कांग्रेस का कार्यकर्त्ता है । मैं स्पेशली अर्ज करता हूं यह इसलिए कि यदि इस किस्म का रवैया सरकार की तरफ से नहीं रोका गया तो मैं नहीं समझता कि क्या होगा, लेकिन यह कह सकता हूं कि बुरा होगा । अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक सुलतान था उसका नाम था उस आदमी और मारू में आपस में चलती थी । मैं साफ कर दूं इस चीज को, वे वहां की पुलिस से मिल कर इस मौके की तलाश में था कि कभी मौका आवे और उसको नीचा दिखावे । अध्यक्ष महोदय, इस गांव में किसी और आदमी के बच्चा पैदा हुआ था और उसके बच्चा पैदा होते ही मर जाता है । उस बच्चे को दफना दिया जाता है । लेकिन वही मारू उस बच्चे को निकाल कर एक कुए में डाल देता है और पुलिस में इत्तिला देता है कि फलां की लड़की का गर्भ गिराया गया है और बच्चे को कूए में डाल दिया है । उनको कोई मालूम नहीं कि वास्तव में क्या बात है । वे अपने क्षेत्र में काम करते हैं ।

(घंटी)

उसको पुलिस में ले जाया जाता है । वह पुलिस में जाता है । उसका डाक्टरी मुआयना किया जाता है । कुए से जा कर बच्चे को कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद में रिश्वत खाते हैं । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आप से अर्ज कर दूं कि वहां के डाक्टर की यह रिपोर्ट है कि बच्चा इस लड़की से पैदा नहीं हुआ । क्योंकि डाक्टर जानता था कि पैसा चाहे कितना ही खर्च करें डाक्टर से दूसरा डाक्टर भी लड़की को एक्ज़ामिन कर सकता था । इस पोजीशन को बचा दी । उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस लड़की से यह बच्ची नहीं हुई है, इसके गर्भ ही नहीं रहा और कोई भी इससे बच्चा—बच्ची पैदा नहीं हुआ । उस बेचारे से १४००—१५०० रुपये थानेदार ने ठग लिये और उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ, पैसा लेने के बाद भी उसको धमकियां दीं और इस तरह से एक अभागिन लड़की ने अपने प्राण दे दिये । मैं नहीं जानता कि अगर इस तरह का, इस किस्म का पुलिस का रवैया रहा तो कहां तक जनता इसको बर्दाश्त करेगी और कहां तक टोलेरेट करते रहेगी सरकार भी । इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि गृह मन्त्री जी इसको सीरियसली लेंगे और जांच करेंगे । जांच के अन्दर स्पेशियली उस कांग्रेसी मांडू के लिए भी कहेंगे जिसने की थाने में भी इस प्रकार की रिपोर्ट जाकर दी है । सबसे ज्यादा कुसूर उसका है जिसने इस प्रकार झूठी रिपोर्ट जाकर दी । मांडू, थानेदार और डॉक्टर इन

(श्री चन्द्रसिंह)

तीनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे और इसका स्पष्टीकरण करेंगे, ऐसी मैं आप से आशा रखता हूं । जयहिन्द ।

श्री सुबेदारसिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, हमारा समाज यह समझता है कि हमारी जान और धन की सुरक्षा यदि कोई महकमा कर सकता है तो वह पुलिस विभाग है। यही कारण है कि समाज का प्रत्येक मनुष्य समाज में हर प्रकार के काम करके रात को सुख की नींद सोता है । लेकिन हम देखते हैं कि मुसीबत आती है, चाहे चोरी हो चाहे डकैती हो, मैं निवेदन करूंगा कि यदि देहात में चोरी होती है तो पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने में मुश्किलें पड़ती हैं। रिपोर्ट करने के लिए लोग जाते हैं भी तो पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते । अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, वे रिपोर्ट दर्ज नहीं करते लेकिन. उनको अच्छी तरह से मालूम है, कोई पुलिस स्टेशन इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, चाहे वह देहात का हो या शहर का पुलिस स्टेशन हो, कि उस जगह पर चोर कहां के हैं और कहां से आये हैं। वे भली-भांति इस बात को जानते हैं कि कितने आदमी चोर हैं और भले हैं। इस प्रकार से उनके जानते हुए वे रिपोर्ट प्रथम तो लेते नहीं और अगर ले भी लेते हैं तो उनको यह और भी अधिक मालूम हो जाता है कि किसने चोरी की है और उसको यह देखने में आ जाता है कि पुलिस सही की सही है और मामलों को पकड़ा देती है और इसके बावजूद भी यदि चोरी की हुई चीजें बरामद भी हो जाती हैं तो चोरी करने वाले चोर लापता हो जाते हैं और फिर पुलिस उनको पकड़ती भी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो पिछले दिनों धौलपुर डिवीजन में हुई । भारत सरकार ने ग्रेन के लिए एक ज़ोन बना दिया कि मध्यप्रदेश और राजस्थान से अनाज बाहर नहीं जावेगा। लेकिन मध्यप्रदेश से धौलपुर, जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं, उनके अनुसार और रेल्वे की बिल्टी के अनुसार, धौलपुर सी. आर. स्टेशन पर ११२० वैगन गेहूं के आये और पड़ौस में उत्तर प्रदेश से आगरा शहर में गये और राजस्थान सरकार के इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेण्ट से परमिट इश्यू हुए और मौजूदा एस. डी. एम. ने किये। लेकिन पुलिस विभाग को महसूस हो गया कि गेहूं इस प्रकार बाहर नहीं जा सकता है तब उसने एक बवन्डर खड़ा किया और व्यापारियों को कह दिया कि गेहूं लेकर आवेंगे तो ट्रक रोक लिए जावेंगे और बन्द कर दिया जावेगा; क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मुमानियत है। इसका नतीजा यह हुआ कि परमिट लाना बन्द हो गया। वे जाली थे या सही मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इस प्रकार से वहां ११२० मन वैगन उतरे जो करीब ५॥ लाख मन गेहूं होता है जो वहां गया। इन सारी बातों को मैंने रखा और खास तौर पर मुख्य मन्त्री महोदय को, उन्हें मालूम है और साफ तौर पर अर्ज कर दिया कि इस प्रकार खुले आम व्यापार होता है, लोगों को पुलिस वाले जाकर रात को जगाते हैं कि क्या कर रहे हैं, सुख की नींद सोरहे हो, गेहूं ले जाओ, उन पुलिस वालों का फी ट्रक ८०) रुपया बंधा है। मनिया का पुलिस स्टेशन, बराटा के पुलिस स्टेशन का हेडकॉन्स्टबिल, ये लोग इसमें शामिल हैं, इन्होंने इतना गेहूं राजस्थान से निकाला कि जिसकी कोई हद नहीं। पुलिस वालों का उसमें हिस्सा, बड़े बड़े का, बराटा के पुलिस स्टेशन का २८ हजार रुपयों का हिस्सा हुआ। मनिया

(श्री सूबेदारसिंह)

के पुलिस थानेदार का ८० हजार रुपया और कोतवाल के पास करीब २ लाख रुपया। इस प्रकार से देखिये कि जहां पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद है, सरकारी नियमों का पालन करने के लिए मौजूद है, मुझे दुख है कि सरकार के लिए कहना पड़ेगा कि यह क्या हाल हो रहा है और इससे इस प्रजातन्त्र में हमारा सिर नीचा हो जाता है। यह होता है कि पुलिस की टुकड़ी खड़ी हुई है, गेहूं ट्रकों में डाला जा रहा है, नेशनल हाई वे पर लकड़ी लगा दी और कह दिया कि वहां से कोई ट्रक आने वाला आगे नहीं जावेगा और इस तरह से वह माल निकाल दिया जाता है आपने आर. ए. सी. को डेप्यूट किया लेकिन आर. ए. सी. वाले भी रुपया ले रहे हैं। सब मिले हुए हैं। मुझे अफसोस है कि इस मामले की आज तक कोई जांच नहीं हुई, इतना करने के बावजूद भी। एक सीधा सा मामला था कि पुलिस ने गेहूं निकाला। पुलिस चाहती तो उसको वहां जाने से रोक सकती थी। मेरे पास शहर के एक हैड कॉनिस्टेबल के विषय में लोग शिकायतें लेकर आये कि उसने उनसे ५०) रुपया रिश्वत के मांगे हैं, आप उनको पकड़वा दें। उसके लिए मैं खुद भरतपुर के डी. वाई. एस. पी. श्री श्यामसिंह जी के पास उन व्यक्तियों को लेकर गया और उनसे कहा कि ये आदमी मौजूद हैं, हैड कॉन्स्टबल इनसे पचास रुपया मांग रहा है, उससे ये १ बजे का वायदा करके आये हैं और रुपया लाये हैं, मेरे सामने अपनी औरत के चांदी के जेवर को गिरवी रख कर लाये हैं और उस हैड कॉन्स्टबल को देना चाहते हैं जिसने कि इनसे रुपया मांगा है। मैं इस विषय में यहां ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, सरकार की बदनामी तो है लेकिन वे डी० एस० पी० पुलिस के टस से मस नहीं हुए, पकड़वाने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने वह रुपया वापस कर दिया। हालांकि मुझे यह महसूस हुआ था कि इसमें कोई कानूनी दिक्कत की बात भी नहीं थी। वही हैड कॉन्स्टबिल अभी वहीं है और सारा काम चलता है। यह जो आपने पुलिस का विभाग बनाया है, समाज यह महसूस करता है कि इस पर समाज की सुरक्षा का का भार है, उस पर इस प्रकार की हरकतों के कारण किस प्रकार से विश्वास किया जा सकता है? अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, नित्य प्रति चोरियां होती रहती हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि रिपोर्ट होती नहीं और यदि होती भी है तो उनका कुछ नहीं होता। जब इस बात को कहते हैं तो सही आंकड़े प्राप्त नहीं होते। चोरियां पकड़ी भी गई और माल बरामद भी हो गया तब भी पुलिस वाले इधर उधर करके निकाल देते हैं।

एक बात इस सम्बन्ध में विशेष रूप से और निवेदन करना चाहूँगा कि बेचारे काश्तकार की क्या हालत है इस सुरक्षा की दृष्टि से। किसान बेचारा दिन भर काम करता है और रात को अपनी मवेशी, गाय, भैंस, बांध कर सो जाता है। एक तरफ तो भगवान की मर्जी वैसे ही किसान गरीब है और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की मर्जी कि मकान के लिए पत्थर न देकर मकान नहीं बनने देती। जब किसान रात को मवेशी बांध कर सो जाता है तो चोर आते हैं और उनकी मवेशी को खोलकर ले जाते हैं, पुलिस को रिपोर्ट की भी जाय तो भी जिन मवेशियों की चोरी होती है उनमें से एक पर्सेन्ट वापिस नहीं होतीं। यह क्यों नहीं होती हैं और इसका साधारण उपाय है। पुलिस के लोग वहां बैठे रहते

(श्री सूबेदारसिंह)

हैं और अपने एजेन्टों के जरिये से किसानों के घरों से मवेशी निकलवाते हैं, चोरों को वहां भेजते हैं कि तुम जाकर चोरी करो। यह चोरी के लिए एक मजबूत साधन हो गया। डाके उस इलाके में समाप्त हुए, तरक्की हुई और उस खुशी में राजस्थान सरकार इतनी भोली हो गई कि बंदूकों की सप्लाई के लिए आज्ञा दे दी। १२ बोर की राइफलें निकाल कर गांवों में चले जाते हैं, मवेशी कोई खोल लाता है, आपस में झगड़े होते हैं, हजारों रुपया तय होकर वापिस मवेशी लाते हैं। इसको पुलिस जानती है और सारा समाज जानता है, लेकिन इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया कि इस प्रकार की चोरियां कैसे बन्द हों।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रवृत्ति के कारण वहां की हालत खराब है। पिछले दिनों की बात है, अध्यक्ष महोदय, कि कोई रिश्तेदार विदा करके गांव की लड़की को घोड़ी पर बिठा कर थाना बछेड़ी के पास नहर के किनारे जा रहा था। मार्गमें उस लड़की का सारा जेवर छीन लिया गया और मारपीट की गई, तो उसने हाथ जोड़ दिये, पुलिस को सारा हाल मालूम है कि इसमें फलां फलां व्यक्ति थे लेकिन आज तक वे व्यक्ति नहीं पकड़े गये और न सामान ही वापिस दिया जाता है। पिछली साल का किस्सा है वहां एक बारात आयी थी, जब बारात शाम को खाना खाकर सो गई तो उसके बाद होता क्या है कि लोग ठाकुर के जेवरों को लेकर भाग गये, वे जेवर आज तक वापिस नहीं हुए। पुलिस यह समझती है कि चोर और बदमाश कौन हैं लेकिन उनको तंग करना नहीं चाहती और इसी का नतीजा यह है कि ये जुल्म आये दिन बढ़ते जाते हैं। यह मैं मानता हूं कि पहले जमाने में भी चोरियां होती थीं लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं।

१. म० प०

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि पुलिस स्टेशन पर आजकल एक रवैया बन गया है वह इस प्रकार का बनता जा रहा है कि भले आदमी या अच्छे आदमी जो भी होंगे उनके प्रति पुलिस वालों का कोई अच्छा व्यवहार नहीं रहता। गांव का सीधा-साधा किसान जो अपनी मेहनत करके रोजी कमाकर पेट भरता है उसके साथ किसी प्रकार से भी अच्छा बर्ताव नहीं होता। उसको तो वे ऐसा समझते हैं कि यह तो यहां का नागरिक है ही नहीं, इसलिए होता क्या है कि उसको फटकार दिया जाता है। लेकिन जो चोर, बदमाश, लुच्चे होते हैं वे उन पुलिस वालों के एजेन्ट होते हैं, ये उनसे तालमेल रखने वाले होते हैं इसलिये ऐसे लोगों की पुलिस स्टेशन्स पर इज्जत होती है और ये ही लोग दिन रात उनके यहां बैठे नजर आते हैं। वे काम धंधा तो कुछ नहीं करते, जब कोई सब-इन्स्पेक्टर की ट्रान्सफर होती है तो दूसरा जब उसकी जगह आता है तो उनका परिचय करा दिया जाता है कि ये तुम्हारे वफादार रहेंगे तुम्हारे काम के लोग हैं इस तरह से दिन प्रतिदिन गांव में रहने वालों की परेशानी बढ़ती जाती है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जिसको सुनकर आपको बड़ा अफसोस होगा। एक जैसलमेर की तरफ से आने वाले मेरे मित्र हैं। जब मैं और मेरे मित्र खाना खा रहे थे उस समय जिक्र आया पाकिस्तान से जो सोना आता है उसके बारे में। उन्होंने बताया कि पुलिस के अफसर सोना ले कर आते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक जीप में सोना लेकर आ

(श्री सूबेदारसिंह)

रहे थे तो कस्टम चोकी पर वह जीप पकड़ ली गई, यह इसलिये कि पुलिस विभाग में और कस्टम विभाग में कुछ आपसी झगड़ा है, इस कारण वह जीप पकड़ी गई और उस अधिकारी द्वारा ८ सेर सोना वहां से लाया गया। बजट के पहले भी इस सम्बन्ध में चर्चा चली थी, इस प्रकार से नित्य प्रति समाज में ऐसे मामले होते हैं।

एक तरफ तो अभी कुछ देर पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया। तो यह भी कह सकता हूं कि औरतों का संपर्क यदि पुलिस वालों से पड़ जाय, पुलिस स्टेशन पर यदि औरतों को जाने का काम पड़ जाय तो मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूं ९५ प्रतिशत औरतें अपना सतीत्व खोकर ही वहां से लौट सकती हैं। इस प्रकार यह बड़े खेद की बात है।

जरा जरा से मामले मे आप देखेंगे कि मार-पीट हुई या आपस में झगड़ा हुआ तो पुलिस वाले उनको तंग करते हैं, इसलिये होता क्या है कि पुलिस के द्वारा तंग न हो इससे गांव छोड़ कर लोग चले जाते हैं और जब भागते हुए उनको पकड़ लिया जाता है तो उनको मजबूर होकर चोरी करनी पड़ती है और इस प्रकार चोरी से धीरे-धीरे डाकू बनते हैं और इसी प्रकार समाज में धीरे-धीरे डाकू और चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह सब पुलिस के कारण ही है। इसके अलावा छोटे मोटे मामलों में क्या होता है कि वे पंचों की तरह फैसला भी कर देते हैं। इससे होता क्या है कि लोग भाग जाते हैं, चोर और डाकू बन जाते हैं।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २६—पुलिस में, १) रु० कमी कर दी जाय. (सिपाहियों की वेतन वृद्धि पर विचार करने के लिए)।"

अध्यक्ष महोदय, आज चाहे इधर बैठने वाले सदय हों, चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों सभी की एक आवाज है कि पुलिस का महकमा बहुत अत्याचार, भ्रष्टाचार पूर्ण है और इस पर बहुत अनियमित खर्चा भी हो रहा है। यह कहते हुए भी हमें इस बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। हमारे पुलिस के सिपाही जो हैं वे साल के ३६० दिन बराबर काम करते हैं, २४ घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं और इस पर उनको वेतन क्या दिया जाता है, यह हमें देखना है। आज हम किसी भी छोटे आदमी को, निम्न श्रेणी के आदमी को भी एक घंटा काम देते हैं तो कम से कम उसको दो आने या तीन आने तो एक घंटे के देते ही हैं। इसके अलावा सड़क पर बैठने वाला, एक पोलिश करने वाला भी दो-तीन मिनट में एक बूट पर पोलिश करने से दो आने कमा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पुलिस का सिपाही जो २४ घन्टे की ड्यूटी देता है उसको हम तीस रुपया तो तनख्वाह देते हैं और बीस रुपया मंहगाई, इस प्रकार कुल पचास रुपया देते हैं। अगर उसको घन्टे के हिसाब से जोड़ा जाय तो एक घन्टे के तीन पैसे पड़ते हैं। जिस आदमी को आप एक घन्टे काम के लिए तीन पैसा देते हैं तो उससे आप किस प्रकार यह आशा कर सकते हैं कि वह आपकी सेवा ठीक तरह से कर सके। जिस आदमी का पेट खाली है वह अपनी नैतिकता के बारे में कुछ नहीं सोचता। जैसी एक कहावत भी है, "भूखे भजन न होय गोपाला" यानि भूखे पेट तो

(श्री लच्छूराम)

भगवान का भी भजन नहीं होता, तो वैसी हालत में जिसको आप तीन पैसा प्रति घन्टा देते हैं, क्या सेवा की आशा आप उससे कर सकते हैं ? आज चारों तरफ से यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस वाले अत्याचार करते हैं, लेकिन इस प्रकार से हो–हुल्लड़ करने से हमारी जो समस्या है वह हल होने वाली नहीं है। इस पर हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि पुलिस की अनियमितताओं को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इसका एकमात्र हल यह है कि पुलिस के सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। अब हम इनकी तनख्वाह के विषय में आते हैं कि इनकी तनख्वाह में कितनी वृद्धि करनी चाहिये। मेरे विचार से जब तक पांच प्राणी वाले कुटुम्ब के लिये १०० रुपये की आमदनी न हो तब तक वह परिवार का खर्चा नहीं चला सकता। ऐसी हालत में हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम हर एक पुलिस कर्मचारी का वेतन सौ रुपया मासिक कर सकते हैं ? आज की हालत को देखते हुए, हमारे आर्थिक साधनों को देखते हुए, आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि एकदम १०० रुपया वेतन इनका कर सकें। लेकिन फिर भी सिपाहियों के वेतन के बारे में सोचना होगा। अगर हम सौ रुपया मासिक तक नहीं कर सकते तो दूसरी सुविधायें उनको दी जानी चाहिये। आज होता यह है कि थाने के सिपाही जब किसी काम के लिए जाते हैं तो उनको ट्रेवलिंग अलाउन्स और डेली अलाउन्स भी नहीं दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि तुम्हारे से मोटर वाले पैसा नहीं लेते हैं तो तुम्हें ट्रेवलिंग अलाउन्स देने की कोई आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि ट्रान्सपोर्ट विभाग से जब परमिट लेने की आवश्यकता होती है तो पैसे दिये बिना परमिट नहीं मिलता। यह इसी कारण ही होता है कि पुलिस वाले बिना पैसे के सवारी करते हैं और इसी कारण पुलिस वालों का नाजायज़ फायदा उठाकर बस वाले भी औसत से ज्यादा सवारियां बिठा लेते हैं। हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि जब पुलिस का सिपाही अपने थाने के इलाके में ड्यूटी पर जाता है तो उसको टी० ए०, डी० ए० अवश्य मिलना चाहिये। आज यदि कोई पुलिस का अफसर, इन्सपेक्टर टूर के लिए जाता है तो उसको आप टी० ए०, डी० ए० सब देते हैं किन्तु बेचारे सिपाही को नहीं, यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। आखिर पुलिस का सारा अन्जाम सिपाहियों पर ही रहता है, ऑफिसर्स का तो केवल कमान्ड होता है। हमारे सिपाही जो रात–दिन हमारी सेवा करते हैं उनके पेट को भरना चाहिये, इसलिये सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे सिपाहियों का कम से कम वेतन ३० से बढ़ाकर पचास कर दिया जाय और २५ रुपये मंहगाई के कर दिये जायं।

इस प्रकार से सिपाही को कम वेतन देते हैं तो इस प्रजातन्त्र के जमाने में जब कि आप समाजवादी समाज का अपना लक्ष्य लेकर चले हैं तो यह चीज नाकाफी लगती है। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि पुलिस के बजट में आप इतनी वृद्धि करें कि एक पुलिस के सिपाही को कम से कम ५० रुपया वेतन और २५ महंगाई भत्ता आप दे सकें।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला पुलिस विभाग की एन्टी करप्शन ब्रान्च और उसके अधिकारी स्पेशल आई. जी.

(श्री रामेश्वरदयाल)

पी. की उपयोगिता के बारे में विचार करने के विषय में है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार हमारे प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गम्भीर और जटिल प्रश्न है । भ्रष्टाचार की इस सदन में भी और सदन के बाहर भी आम तौर पर चर्चा की जाती है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया है । भ्रष्टाचार, अध्यक्ष महोदय, प्रशासन के हर स्तर पर पाया जाता है । आज भ्रष्टाचार हमारे जनतन्त्र के लिये एक बहुत बड़ा खतरा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, जिसका सामना करना राज्य सरकार के लिये अत्यन्त आवश्यक है । सरकार लाखों रुपया विकास कार्यों पर, बड़ी बड़ी योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च कर रही है, लेकिन जनता के अन्दर जो उत्साह और विश्वास का वातावरण होना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, वह विश्वास उत्साह आशा और प्रेरणा का वातावरण है नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई शक नहीं कि राजस्थान सरकार इसको समाप्त करने के लिये और इसके बीज ही प्रशासन से सदैव के लिये नष्ट करने के लिये दृढ संकल्प हैं और इसके लिये वह निरन्तर कोशिश भी कर रही है । लेकिन अब हमें परिणाम को देखना है । राज्य सरकार की सफलताओं पर विचार करना है कि वे इस क्षेत्र के अन्दर और इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कहां तक पहुंच पाई है ।

अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग साल भर पहिले राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार को राजस्थान से समाप्त करने के लिये एक विशेष अधिकारी को राजस्थान के बाहर से बुलाया था और यहां पर उनको स्पेशल आई. जी. पी. की जगह पर नियुक्त किया था और पुलिस का यह एन्टरी करप्शन विभाग उनके सुपुर्द किया था । आज साल भर समाप्त होने आया उनके कार्यकाल को । अध्यक्ष महोदय, आज हमें विचार करना है कि उनकी नियुक्ति से एवं विभाग के कार्य से भ्रष्टाचार राजस्थान में कहां तक समाप्त हुआ है । अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में आज जनता की यह धारणा है कि पुलिस रिश्वत लेती है आम जनता से और ये एन्टी करप्शन वाले रिश्वत लेते हैं सरकारी कर्मचारियों से । अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा उदाहरण तो नहीं दूंगा, पर एक उदाहरण मैं अवश्य सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा । एक सज्जन हैं कोटा के अन्दर । वे कुछ ठेकेदारी का भी काम करते हैं और उनके पास एक खान भी है । वह मुझ से कुछ महीने पूर्व कह रहे थे कि पत्थर वैगन में भेजते वक्त माल बाबू पहले पांच रुपया फी वैगन लिया करता था, लेकिन अब वह माल बाबू ६) मांगने लग गये हैं । जब उन सज्जन ने उन बाबू से पूछा कि महाशय जो आप अब ६) रुपया क्यों लेते हैं तो माल बाबू मुस्करा कर जवाब देते हैं कि एक रुपया एन्टी करप्शन का है । अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है । अध्यक्ष महोदय जब से ये विशेष अधिकारी बाहर से बुलाये जाकर एन्टी करप्शन इनके सुपुर्द किया गया तब से, जहां तक मुझे जानकारी है इस विभाग ने कोई विशेष प्रगति नहीं की है । बजट को हमने देखा, बजट के अन्दर इस मद पर डेढ़ लाख से तीन लाख रुपया खर्चा भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पर इस वृद्धि के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है । ज्यों ज्यों हम खर्च बढ़ाते हैं वैसे वैसे भ्रष्टा-

(श्री रामेश्वरदयाल)

चार भी कम होने के बजाय आगे बढ़ता जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, जब इस पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी उस समय आरम्भ में काम बड़ी तेजी से चले थे । बहुत से बड़े बड़े मामले सामने आये थे । कुछ चालान भी अदालत में पेश किये गये थे । इससे लोगों को बहुत बड़ी आशा हो गई थी कि कुछ काम होगा, आम तौर पर यह देखा जाता है कि भ्रष्टाचार के केसेज़ जो पकड़ में आते हैं उनमें छोटों को पकड़ा जाता है पांच रुपया, दस रुपया, पचास रुपया या सौ रुपया की रिश्वत के केसेज़ पकड़ते हैं । किन्तु हजारों और लाखों के गबन और रिश्वतों के केस पकड़ने का साहस नहीं करते हैं । उनके आने से यह आशा प्रबल हो चली थी कि अब उच्च अधिकारीगण भी पकड़े जावेंगे । कुछ बड़े बड़े केसेज़ सामने आए भी । लेकिन तत्पश्चात् जो परिणाम हमारे सामने आये वह कोई आशाजनक और प्रेरणादायक नहीं रहे । जोश थोड़े में ही दिनों ठंडा पड़ गया । जहां तक मेरी जानकारी है इनके समय में कोई बहुत बड़ा केस पकड़ में नहीं आया । कोई बहुत बड़ा अधिकारी गिरफ्त में नहीं आया । यह एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसके लिए उनको बुलाया गया था । पर उनका बुलाना भी कोई लाभदायक साबित नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मन्त्री महोदय के पास अधिकृत रूप से आंकड़े हैं । कोई केसेज़ बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ने के हों तो वे बतावें । मेरी जहां तक जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार घटने के बजाय बढ़ा है । माननीय गृहमन्त्रीजी बतावें कि कितने गजेटेड ऑफीसर्स के केसों को इन्होंने पकड़ा । मैं पिछले केसेज़ की बात नहीं करता । मैं बात करता हूँ इन स्पेशल आई. जी. पी. के कार्यकाल की । इस साल भर में इस विभाग ने कितने गजेटेड अफसरों को पकड़ा, कितने नान गजेटेट को पकड़ा और कितने केसों के चालान कोर्ट में दिये । उनका क्या परिणाम रहा । अगर पहले के आंकड़ों से चालू वर्ष के आंकड़े अच्छे हैं तो हम यह समझेंगे कि उनकी नियुक्ति का औचित्य है और इस विभाग की उपयोगिता ठीक है और इसलिए उसे कायम रखा जाना चाहिये । नहीं तो उन्हें कायम रखने का कोई जस्टिफिकेशन मुझे तो नजर नहीं आता ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट सदन में पेश किया है उसमें बताया गया है कि ६० लाख रुपयों का घाटा ८० लाख रुपयों के करों में वृद्धि करके पूरा करने की कोशिश की गई है । अध्यक्ष महोदय, यह भी बताया गया है कि ३० लाख रुपयों की बचत प्रशासन के खर्च में की जावेगी । लेकिन मैं समझता हूँ कि एन्टी करप्शन विभाग जो अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर सका है, इसे अन्य विभाग जिनके सम्बन्ध में मैं बाद में एक दूसरे कटौती के प्रस्ताव के अवसर पर निवेदन करूंगा, समाप्त किये जावें तो पर्याप्त धन राशि की बचत की जा सकती है । इन विभागों को समाप्त करने पर प्रशासन के खर्चे में करीब एक करोड़ की बचत हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, करों की दरों की वृद्धि के बारे में सदन में काफी चर्चा और विरोध हुआ था, वित्त मन्त्री महोदय अगर इस प्रकार के अनावश्यक तथा अनुपयोगी विभागों को खत्म कर दें तो एक करोड़ की बचत सरकार आसानी से कर सकती है और उन टैक्सों को आसानी से टाला जा सकता है । तो अध्यक्ष महोदय, मैंने सारांश में निवेदन किया कि एन्टी करप्शन ब्रांच और उसके जो स्पेशल आई. जी. पी. हैं उनकी नियुक्ति से हमारे प्रांत को

(श्री रामेश्वरदयाल)

कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और इसके कोई अच्छे तथा आशाजनक परिणाम नहीं रहे।

१.२२. म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह जनता की गाढ़ी कमाई के ऊपर एक बहुत भारी बोझा है। इसलिए इस विभाग को और इसके जो विशेष अधिकारी हैं इनको समाप्त किया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है कोटा से डी. आई. जी. के ऑफिस को हटाने के संबन्ध में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है कि संयुक्त राजस्थान के निर्माण के बाद राजधानियों के प्रश्न को लेकर पटेल कमेटी की नियुक्ति की गई थी और उस कमेटी ने अपना एक प्रतिवेदन तत्कालीन राज्य सरकार के समक्ष पेश किया था। उस प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने विचार करके कुछ निर्णय १३ जुलाई, सन् १६४६ में लिए थे और उस निर्णय और आदेश के अनुसार पुरानी स्टेट्स की राजधानियों के अन्दर उनके महत्व को यथावत् कायम रखने के हेतु बहुत से विभागीय अध्यक्षों के कार्यालय उनमें रखे गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर भी कुछ कार्यालय रखे गये थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सब कार्यालय कोटा से हटा कर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिये गए। कोटा से रजिस्ट्रार, कॉऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कार्यालय हटाया गया, कोटा से चीफ कन्ज़रवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स का कार्यालय उठाया गया और जब जनता ने इसका विरोध किया तो यह कहा गया कि इन कार्यालयों के कोटा में रहने से प्रशासन में असुविधा होती है, खर्चा ज्यादा होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कोटा में तो इन कार्यालयों के रखने से प्रशासन में ज्यादा खर्च होता है और क्या दूसरे डिविज़न्स के अन्दर विभागीय अध्यक्षों के कार्यालय रखने से प्रशासन के अन्दर असुविधा नहीं होती, ज्यादा खर्च नहीं होता? मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि विभागीय अध्यक्षों के कार्यालय पुरानी स्टेट्स की राजधानियों के अन्दर रखे जायें लेकिन मेरी एक आपत्ति है और वह यह है कि हमें एक सिद्धान्त निश्चित करना चाहिए। अगर प्रशासन में असुविधा होती है या खर्च ज्यादा होता है तो फिर वह कार्यालय कहीं भी हो; चाहे कोटा में हो, चाहे उदयपुर में हो, चाहे जोधपुर में या बीकानेर में हो, कहीं भी हो इसको हटाया जाना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि कोटा से कार्यालय हटा लिया जावे और दूसरे स्थानों के अन्दर पहले के राज्यों की राजधानियों में इस तरह के कार्यालय बदस्तूर चलते रहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी प्रकार की नीति सरकार द्वारा अपनाई जाती है तो मैं यह कह सकता हूं वह उपेक्षा और भेदभाव की नीति है, वह अन्याय की नीति है और उसको कोई भी आदमी पसन्द नहीं कर सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से डी० आई० जी० का ऑफिस भी कोटा से हटा लिया गया। हालांकि प्रशासन की सुविधा, शांति और सुव्यवस्था की दृष्टि से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डी० आई० जी० के ऑफिस की कोटा में बहुत ही आवश्यकता थी और यह बहुत ही अनिवार्य कार्यालय था। लेकिन बावजूद इसके वहां के लाखों आदमियों की सुरक्षा को खतरे में डालते

(श्री रामेश्वरदयाल)

हुए इस कार्यालय को वहां से हटा लिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय डी० आई० जी० के कार्य-क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान के अन्दर ४ डी० आई० जी० ऑफिसेज़ हैं। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर के अन्दर डी० आई० जी० ऑफिसेज़ हैं और कोटा उदयपुर से संबंधित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि डी० आई० जी० के ऑफिसेज़ के लिए जो इस तरह से क्षेत्र बांटे गये हैं उनके पीछे कोई रेशनल बेसिस नहीं है। उनका जो डिमार्केशन किया गया है वह किसी भी सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के यह क्षेत्र हैं उनसे स्पष्ट है कि जो उदयपुर का रीजन है जिससे कोटा संबंधित है, यहां के डी० आई० जी० के पास सब से ज्यादा काम है। उनके नियंत्रण के अन्दर, उनके अधिकार के अन्दर सबसे ज्यादा सर्किल्स हैं, सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन्स हैं, पुलिस आउट पोस्ट हैं। उधर बीकानेर के अन्दर जो डी० आई० जी० हैं उनके पास सबसे कम पुलिस आउट पोस्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन्स हैं; हालांकि इस संबंध में दूसरे राज्यों के अन्दर जो सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं कि एक डी० आई० जी० के क्षेत्र में कितने पुलिस स्टेशन्स, कितने सर्किल्स, कितने डी. वाई. एस. पी. और एस. पी. रखे जाने चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान डी. आई. जी. के क्षेत्रों का कोई औचित्य नहीं रहता है। इस प्रकार से इसका जो वितरण किया गया है वह किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है और उसके पीछे कोई दलील नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर अगर किसी प्रकार की स्थिति बिगड़ती है तो डी. आई. जी. को उदयपुर से कोटा पहुंचने में और विशेषतया कोटा डिस्ट्रिक्ट में शाहबाद के अन्दर पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान सरकार की काफी कोशिशों के बावजूद भी आज भी अमृतलाल का खतरा इस जिले में बना हुआ है। अमृतलाल की वारदातें बराबर बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान सरकार वर्षों से रुपया खर्च कर रही है। राजस्थान सरकार की पुलिस मौजूद है लेकिन आज यह खतरा टाला नहीं जा सका है बल्कि यह खतरा और आगे बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले बकनपुरा के अन्दर एक बहुत भारी डकैती हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो आदमियों को अमृतलाल उठा कर ले गया। आज सबसे बड़ा खतरा इस जिले के अन्दर इसके आसपास अमृतलाल से है। अगर आज कोई डकैती होती है तो डी० आई० जी० को उदयपुर से शाहबाद पहुंचने में या किशनगंज पहुंचने में या मांगरोल पहुंचने में तीन दिन लग सकते हैं। राजस्थान के अन्दर आवगमन के साधनों की बहुत कमी है। आज इस प्रकार की स्थिति के अन्दर डी. आई. जी. का ऑफिस कोटा से तोड़कर और कोटा को दूसरे रीजन उदयपुर में मिलाने में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कोई औचित्य नहीं समझता, यह तो माननीय गृह मन्त्री महोदय बतायेंगे कि किस विचार से, किन कारणों से उन्होंने डी० आई० जी० का ऑफिस कोटा से हटाया और उसका क्या औचित्य है!

माननीय उपाध्यक्ष, अगर यह कहा जाय कि कोटा एक सबसे छोटा डिविजन है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि बीकानेर भी उतना

(श्री रामेश्वरदयाल)

ही छोटा डिवीजन है। इसके अलावा अगर कोटा एक छोटा डिवीजन है और अगर व्यवस्था, शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि कोटा के अन्दर डी० आई० जी० का ऑफिस रखा जाय तो उस डिवीजन को बड़ा बनाया जा सकता है। जिस प्रकार कि कोटा को उदयपुर में मिला दिया गया उसी तरह से कोटा के अन्दर सवाई माधोपुर और टोंक डिस्ट्रिक्ट को मिलाया जा सकता है, और इस डिविजन को काफी बड़ा बनाकर यहां पर डी० आई० जी० का ऑफिस रखा जा सकता है। अगर खर्चे की बात की जाय तो, माननीय उपाध्यक्षमहोदय, मैं यह कहूंगा कि डी० आई० जी० के ऑफिस रखने में अधिक से अधिक ६० हजार रुपये के खर्चे का सवाल है। इससे अधिक व्यय नहीं हो सकता है। ६० हजार रुपये के खातिर डी० आई० जी० का ऑफिस कोटा से तोड़ा जाय और जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया इस हिस्से की शान्ति और सुरक्षा को खतरे में डाला जाय, तो माननीय उपाध्यक्ष, यह कोई अच्छी बात नहीं है और न कोई न्यायसंगत बात ही है। इन्हीं कारणों से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव माननीय गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखा है।

श्री लक्ष्मण हीरात : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या १३ पर है।

एक माननीय सदस्य : जोर से बोलें।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : वैसे इस विषय में मुझसे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और अपने अपने कटौती प्रस्तावों के ऊपर बोले हैं। इस विषय में मुझे अधिक नहीं कहना है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा इस हाउस का ध्यान दो-तीन मुख्य २ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सदन में यह जो भाषण दिया है उस भाषण को देखने से ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग में सन् ५० से जो खर्चा किया जाता है वह क्रमश: बढ़ता ही गया है। इस वर्ष भी करीब ४ करोड़ की रकम इस विभाग पर खर्च करने के लिए रखी गई है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि जो रकम रखी है उस रकम से पुलिस विभाग का काम पूरा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब अपने क्षेत्र में जाता हूं तो वहां के लोग यह शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले हमें हर तरह से तंग करते हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस वालों का जो हाल है व आज के दिन जो वातावरण बन गया है उससे ग्रामों के लोग बहुत दुखी हैं। पुलिस का महत्व, जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया कि, हमारी जान और माल की रक्षा करने में है। वह बहुत जरूरी है लेकिन यहां तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जान और माल की रक्षा करने के पहले वे जो रक्षक है वही भक्षक हो जाते हैं।

इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस हाउस का ध्यान जो कटौती प्रस्ताव है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उदयपुर जिले में कोटड़ा और गोगुन्दा तहसीलें बिल्कुल पहाड़ी इलाके में हैं बम्बई के इलाके से मिला हुआ है। कोटड़ा

(श्री लक्ष्मण हीरात)

और वह गोगुन्दा भी मिला हुआ है बम्बई के इलाके से । उस इलाके में वहां पुलिस विभाग का ही राज्य है, यानी पुलिस कर्मचारियों का ही राज्य है । चोरी एक भी पकड़ी नहीं जाती है और गांवों में जाकर लोगों को ख्वामख्वाह ही तंग करते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण आपके द्वारा देना चाहता हूँ कि मांडवा और कूकावास जो तहसील कोटड़ा में है वहां का देना चाहता हूं । उस इलाके में चोरी हो जाती है, तुरन्त पुलिस को सूचना कर दी जाती है और इत्तिला पहुंचने के बहुत दिनों बाद यानी १५, २० दिन के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, और पहुंचकर इन्क्वायरी करती है । इन्क्वायरी क्या करती है, लोगों को ख्वामख्वाह डरा धमका देती है और कह देती है कि गलत इत्तिला दर्ज करा दी पुलिस स्टेशन पर । इस प्रकार का वातावरण बनाकर गांव वालों से लिखवा कर ले लेते हैं और आगे पुलिस को रिपोर्ट दे देते हैं कि वहां पर ऐसा मर्डर केस या चोरी नहीं हुई है । ऐसी गलत बातें गांव वालों से जबरदस्ती लिखवा कर और जो सही बात है उस पर न जाकर वे आगे अधिकारियों को देते हैं, वे रिपोर्ट आगे पहुँचा देते हैं और ऊपर के अधिकारी उसको सही मान लेते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गोगुन्दा का भी मैं उदाहरण आपकी मार्फत इस हाउस में रखना चाहता हूं । गोगुन्दा के लिए भी मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसके बारे में माननीय मंत्रीजी ने यह जवाब दिया कि वहां पर कोई मर्डर केस नहीं हुआ । लेकिन मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बतलाना चाहता हूं कि वहां रात-दिन मर्डर केस हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी कोई पहुंच नहीं पाता है । क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उसका कारण यह है कि उदयपुर से मेरी कान्स्टीटुएन्सी या वह इलाका बहुत दूर है । इसलिए अच्छा हो कि उस इलाके को देखकर उसके अन्दर ही पुलिस के उच्चाधिकारियों के हैडक्वार्टर होने चाहिए, जैसे कि कोटड़ा में हैं । लेकिन कोटड़ा एक तरफ आ गया है और एक तरफ आ जाने के कारण वहां से यानी कोटड़ा से सायर जो हैं, वह जो मेरा क्षेत्र है वह ५० मील दूर पड़ता है और खास तौर से आदिवासियों के क्षेत्र को देखकर सारे गांवों के हिसाब से पुलिस स्टेशन और पुलिस के अधिकारियों का हैडक्वार्टर होना चाहिए । ऐसा करने से पब्लिक में जो असंतोष है वह मिट जायगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई माननीय सदस्यों ने अपने २ विचार व्यक्त कर दिये हैं । एकाध उदाहरण और मैं देना चाहता हूं । उस इलाके में तलोई गांव है । तलोई में केकरिया से हैड कान्स्टेबल गया और लोगों को सताया । सताया क्या, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने एक लड़की के केस के बारे में कहा था उसी तरह का केस था, और वहां जाकर उसने डरा धमका कर लोगों से ८० रु० रिश्वत के लिए । मैं जब गया तो लोग मेरे पास आये, मैं जब अधिकारियों के पास गया तो अधिकारियों ने मेरे से कहा कि इसकी इन्क्वायरी करायेंगे और इन्क्वायरी करवाकर आपको बता देंगे, लेकिन आज दिन तक कोई जवाब नहीं दिया तो । इस तरह के केस आये दिन वहां हुआ करते हैं । तो इन केसों को कम करने के लिए मैंने अपना कटौती प्रस्ताव रखा है । इसी प्रकार से केकरिया का भी सवाल है । केकरिया में वहां गया तो वहां भी लोगों ने यही कहा कि हमको तकलीफ है, तो सिर्फ पुलिस कर्मचारियों

(श्री लक्ष्मण हीरात)

की तकलीफ है और किसी की तकलीफ नहीं है ।

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुश्किल से आज बोलने के लिये टाइम मिला है और आप बीच में ही घंटी बजा देते हैं जिससे विषयान्तर हो जाता है........

श्री उपाध्यक्ष : आपने कभी समय के लिये मांग ही नहीं की ।

श्री लक्ष्मण हीरात : (जारी) इस विषय को अब मैं छोड़ता हूं और दूसरे पर आता हूं क्योंकि मुश्किल से मौका मिला है....

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर नहीं होइये ।

श्री लक्ष्मण हीरात : (जारी) जो मेवाड़ भील कॉर्पस है उसके बारे में एक युनियन बनी हुई है और उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कई जवाब भी हाउस में दिये हैं । इस युनियन में करीब ५५० जवान हैं और सभी आदिवासी हैं, उनसे सन् ५० के अप्रेल से ड्युटी ली जाती है लेकिन उनको दूसरे पुलिस कर्मचारियों से वेतन कम दिया जाता है, उसके लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं हाउस का अधिक समय नहीं लेकर एक-आध बात और कहना चाहता हूं मेवाड़ भील कॉर्पस की बात तो आ गई । इसी तरह से पुलिस विभाग में मैं समझता हूँ हूं एक चौथाई आदिवासी जवान हैं, मेरा ऐसा ख्याल है कि इन आदिवासियों की ओर हमारी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया इसलिये मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि इन आदिवासियों की ओर ध्यान दिया जाय । इस बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण और पेश करना चाहता हूं । सन् ५४ की बात है, वहां पर हमारा एक जवान था और वह जवान पुलिस में था और देवगढ़ा में सर्विस करता था । वहां से मेघला डाकू को मारने के अभियान में भाग लिया और उसमें उसके एक हाथ में गोली लग गई और उसका हाथ कट गया । इसके लिये कई बार मन्त्रीजी से कहा लेकिन उसको आज तक नहीं तो पेन्शन के पैसे मिले हैं और न कुछ और मिला है । उसका एक हाथ टूट जाने से उसको नौकरी से अलग कर दिया गया है । ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं, पर मैं छोटे उदाहरणों में नहीं जाना चाहता । लेकिन अंत में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं ।

भ्रष्टाचार के बारे में कई माननीय सदस्यों ने फरमाया है, इस बारे में मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है । इतनी बात जरूर है कि भ्रष्टाचार के बारे में हाउस में कहकर एक वातावरण बना दिया है, ऐसा महसूस होता है । वास्तव में यदि भ्रष्टाचार है तो गांवों में जाकर उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिये । यहां हाउस में कह देते हैं कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिये, इसके लिये एक बोर्ड बनाया गया है, इतना खर्चा होता है, ये सभी बातें हैं लेकिन गांवों में जाकर प्रयत्न करना चाहिये ताकि इसे कम कर सकें । एक सदस्य ने यह बताया कि जो छोटे-छोटे केसेज़ भ्रष्टाचार के हैं वे पकड़े जाते हैं लेकिन लाख रुपये जो पुलिस कर्मचारी खाते है उनके बारे में कुछ नहीं होता । मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि वास्तव में यह सही है कि ३) रु०, ५) रु०, ८) रु० या १०) रु० लेने वाले कर्मचारी पकड़े जायेंगे लेकिन हजारों रुपये खाते नहीं पकड़े जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो दूसरे विषय पर चले गये।

श्री लक्ष्मण हीरात : जो लोग हजारों रुपये खाते हैं उनको पकड़ने में सरकार सफल नहीं हो रही है।

अब मैं आपके द्वारा हाउस का ध्यान उस ओर खींचता हूं जो असल में मेरा कटौती प्रस्ताव है...

श्री उपाध्यक्ष : अब तक आप किस पर बोलते रहे?

श्री लक्ष्मण हीरात : उदयपुर जिले के कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों में पुलिस कर्मचारियों से जनता तंग है इस पर विचार करना चाहिये; इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव हाउस के सामने पेश करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता था कि मैं पुलिस भवनों की मांग करता लेकिन जब से मैंने पुलिस भवनों पर लिखा हुआ देखा है "May I help you"; क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं और जब मेरे दिमाग में बात आई कि पुलिस भवनों पर ये शब्द लिखे हुए हैं तो मेरी समझ में पुलिस घर कभी न कभी तो सही घरों में परिवर्तित होंगे। हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकार का यह ध्येय है कि हिन्दुस्तान में हम पुलिस राज्य को खत्म करना चाहते हैं और उसी पुलिस राज्य को खत्म करने के कारण मैंने मांग की है कि पाली शहर में, जो कि राजस्थान का एक सुन्दर शहर है और जिसमें ४० हजार के करीब जनसंख्या है, वहां पर एक छोटा सा पुलिस स्टेशन एक गन्दे मोहल्ले में स्थित है। मैं चाहता हूं कि इस पुलिस स्टेशन के लिए पुलिस भवन का निर्माण किया जाय क्योंकि वहां पर पुलिस के कई कर्मचारी महाराजा श्री उम्मेद मिल्स के द्वारा खरीदी हुई बेरेक्स में रहते हैं या यह कहना चाहिये कि वहां पर उन्होंने अपना स्टेशन लगा रखा है। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स के द्वारा जो बेरेक्स खरीदी गई थीं उनमें स्थानीय पुलिस के कम से कम १००-१२० आदमी रहते हैं लेकिन इसका कारण आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैंने एक ऐसा प्रश्न भी किया था, गृह मंत्रीजी से प्रश्न था और वह यह कि क्या सरकार इन बेरेक्स का कोई किराया महाराजा श्री उम्मेद मिल्स के मालिक को देती है? मेरी समझ में इसका किराया महाराजा श्री उम्मेद मिल्स को नहीं दिया जाता है, सिर्फ इन मकानों का किराया नहीं दिया जाता। इसके अलावा मिल के द्वारा जो पानी दिया जाता है उसका खर्चा भी नहीं दिया जाता धनी-मानी सेठ मौके बे-मौके यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार आज तक हमारे मकानों को काम में लेती आयी है और मिल का पानी भी वह काम में लेती है लेकिन किराया व खर्चा नहीं देती है। मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार धनी मानी सेठों के मकानात काम में लेकर कब तक काम चलायेगी? यह विचारणीय वस्तु है, इस पर विचार करना चाहिये।

पाली राजस्थान का औद्योगिक शहर है और यहां की जन-संख्या बढ़ रही है, इस आधार पर जब कि वहां पर एक भी पुलिस भवन बना हुआ नहीं है इसलिये मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये कहूंगा कि एक अच्छे पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाय ताकि पुलिस कर्मचारी, छोटे-बड़े आराम से रह सकें।

दूसरा मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह मेरा

(श्री मूलचन्द डागा)

ही नहीं है बल्कि बहुत से माननीय सदस्यों का भी है ! मैं यह अपील करूंगा कि दुनिया में यां तो साधु ही जी सकते हैं या पुलिस वाले ही जी सकते हैं, तीसरा कोई नहीं जी सकता । साधु इसलिये जी सकते हैं कि उनमें मांगने की ताकत है और पुलिस वाले इसलिये जी सकते हैं कि उनमें डंडे की ताकत है । पुलिस वाले चलते हुए किसी इक्के-तांगे को रोक कर उसमें बैठ सकते हैं, वे किसी भी बस में बैठ कर चाहे जहां घूम सकते हैं उनको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले चाहे जिस खेत में से मूली-भाजी तोड़ कर ला सकते हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है और उनको यह भी अधिकार है कि चाहे जिस तरह से डंडे को काम में लें । लेकिन एक पुलिस के सर्वोच्च अफसर में और एक पुलिस सिपाही में कितना अंतर है और इस भेद के कारण जब आप एक तरफ समाजवादी व्यवस्था की ओर कदम उठाने का हिन्दुस्तान के कौने-कौने में ऐलान करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह का शोषण करना चाहते हैं । यह एक तरह का शोषण है और सरकार की तरफ से शोषण है । क्या यह कायम रहना चाहिये, जब कि आप चाहते हैं समाजवादी व्यवस्था कायम करना ? एक ही तरीके का काम करने वाले व्यक्तियों को और एक ही समय तक काम करने वालों में से एक को अधिक तनख्वाह मिलती है और दूसरों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है और फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि वे ज्यादा काम करें । (सदन में परस्पर बातें होने पर) मैं अपील करूंगा बातें नहीं करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी पंखे की हवा के नीचे बैठ कर काम करना चाहता है और एक पुलिस कॉस्टेबल से २० गुणा ज्यादा तनख्वाह उठाना चाहता है तो क्या यह शोषण नहीं है, मानसिक शोषण नहीं है ? एक क्लर्क का शोषण असिस्टेन्ट सेक्रेटरी करता है और एक असिस्टेन्ट सेक्रेटरी का शोषण सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी करता है, यह मानसिक शोषण है । शोषण का मतलब यह है कि एक क्लर्क के मुनाफे का लाभ सुपरिन्टेन्डेन्ट उठाना चाहता है और सुपरिन्टेन्डेन्ट का शोषण ऊपर के अधिकारी करना चाहते हैं, पुलिस इन्सपे-पेक्टर का शोषण एस. पी. करना चाहता है और एस. पी. का शोषण डी. आई. जी. करना चाहते हैं । यह समाजवादी व्यवस्था है । समाजवादी व्यवस्था का पैगाम, एलान कांग्रेस को छोड़ना होगा यदि उसके अनुरूप शासन व्यवस्था नहीं कर सकेंगे । आखिर में आप कहते हैं कि पुलिस वाले सही रास्ते पर नहीं जाते हैं, वे सही रास्ते पर नहीं जायेंगे, पुलिस वाले उस रास्ते पर जाते हैं जिस रास्ते पर पैसा होता है क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है । इस प्रकार के रास्ते पर जाने से उन्हें आप कैसे रोक सकते हैं ? मैंने एक सुपरिंटेंडेंट से पूछा, मेरे साथ एक जन संघी भाई भी थे, कि आपके डिपार्टमेंट के पुलिस कर्मचारी कब ठीक होंगे, वे मनमाना काम करते हैं । उन्होंने जवाब दिया कि आप जितने जन संघी भाई हैं, वे सेवाभावी हैं, आप सब हमारे डिपार्टमेंट में आ जायं । वे कहने लगे कि पुलिस में केवल १० नम्बरी आदमी ही आना पसन्द करेगा; पुलिस में सीधा, ईमानदार आदमी आना पसन्द नहीं करेगा; इतनी सी तनख्वाह में वही आदमी काम करना पसन्द करेगा जो यह समझता है कि जघन्य कार्यों से, ताकत से, पाशविक शक्ति के द्वारा, कुकर्म-दुष्कर्म के द्वारा वह पैसा हड़प कर सकता है, जनता से पैसा ले सकता है । इस कारण पुलिस में

(श्री मूलचन्द डागा)

सुव्यवस्था कायम नहीं होगी। इसलिये नहीं होगी कि हम जानते हैं कि जनता के सच्चे, ईमानदार, नेक नीयत के आदमी पुलिस में आना पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि इन्सपेक्टर आदि की बोली के अन्दर गालियों की भरमार होती है, डांट–डपट करने की आदत होती है उनमें अल्हड़पन होता है। इन बातों से ऐसा मालूम पड़ता है कि वे पुलिस कॉन्स्टेबल को ऐसा समझते हैं जैसे कि कोई फोर्थ क्लास सर्वेन्ट से भी कॉन्सटेबल गया गुजरा हो। मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस कर्मचारी और डी. आई. जी. की तनख्वाह में जो भेद मालूम पड़ता है, वह समाजवादी व्यवस्था नहीं है, सामाजिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग जो यहां आते हैं, कहते हैं कि पुलिस की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अगर तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो भ्रष्टाचार होताहै, आखिर भ्रष्टाचार है क्या? आज एक सिपाही जान-बूझ कर मोटर में चढ़ता है। इसकी मुमानियत आप नहीं कर सकते क्योंकि जब वह दौरे पर है जाता तो पैदल नहीं जा सकता, वह इसलिये जान-बूझ कर मोटर पर चढ़ता है। पुलिस का अधिकारी किसी दूसरी जगह से पानी का बर्तन मंगाता है क्योंकि उस जगह पर पानी अच्छा मिलता है। उस सिपाही को पानी का बर्तन लाना पड़ता है। डी. आई. जी. का भाई आता है, उसको मोटर में चढ़ना है तो वह सिपाही उस मोटर को रोकेगा, क्योंकि डी. आई. जी. का भाई उसमें बैठना चाहता है। तो ये सारे कार्य अप्रशंसनीय हैं, जघन्य हैं। माननीय गृहमंत्रीजी मुझे क्षमा करें, वे इस पद्धति को, इस प्रणाली को इस तरीके से नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते, इसलिये कि इसको बदलने के लिये एक तरीका चाहिये, एक नयापन चाहिये, एक ताकत चाहिये, एक शक्ति चाहिये ताकि सारी शक्ति को लगाकर इसे रोक सके। आई. जी. या डी. आई. जी. ऐसी ताकत के साथ उनके जीवन को बदल सकता है, नहीं तो नहीं पलट सकता क्योंकि पुलिस कर्मचारी, सुपरिन्टेंडेंट, आई. जी. पी. एक व्यवस्था पर चलते हैं और वह व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था नहीं है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिये कहते हैं कि पुलिस कर्मचारियों की आय में जो विभिन्नता और अन्तर है, वह भयंकर अन्तर है और उस अन्तर को मिटाना है। इस सम्बन्ध में हमारे वित्तमन्त्री महोदय ने अपने भाषण में पढ़ दिया, और राज्यपाल ने भी अपने भाषण में पढ़ा और हमारी सरकार जगह जगह पर पैगाम देती फिरती है, ऐलान करती है कि हम समाजवादी व्यवस्था कायम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था कायम नहीं हो सकती क्योंकि आपका जो राजतन्त्र है, जो शासन-प्रणाली है, शासन का जो तौर तरीका है, उससे समझ में नहीं आता कि आप समाजवादी व्यवस्था कायम कर सकें। इसलिए आपको ऐलान कर देना चाहिये कि अब तक हम गलत ऐलान करते थे। इसका कारण यह है कि पुलिस है, उस पर ही राज्य चलता है। आज दुनियां कहती है कि आप दुनियां में उपदेश देते फिरते हैं कि हम अहिंसा से राज्य कायम करना चाहते हैं लेकिन अहिंसा का राज्य कायम करने के पहले पुलिस कर्मचारियों में अन्तर आना चाहिये। जो पुलिस कर्मचारी आते हैं वे छोटी जातियों से आते हैं, जिनके संस्कार, संस्कृति ऊंची नहीं होती, इसलिये जिस प्रकार का वे आदमी के साथ व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, उसमें इन्सानियत की चमक नहीं आती। जब ऐसे

(श्री मूलचन्द डागा)

आदमी को पुलिस विभाग में भर्ती किया जाता है, तो वह जानता है कि पुलिस कॉन्स-टेबल को थोड़ी तनख्वाह मिलती है लेकिन उतनी तनख्वाह वह और पैदा कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि साधु मांग कर खाने की ताकत रखता है लेकिन सिपाही अपने डंडे के बल पर खाने की ताकत रखता है। इसलिये सिपाही-राज्य राजस्थान में वहीं जम सकता है जहां की जनता अशिक्षित होगी। जहां जनता शिक्षित होगी, वहां पुलिस-राज्य नहीं जम सकता है। पुलिस वालों के हाथ पर लिखा होता है "May I help you." मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, किस डंडे से ? यह एक मोटा सा सिद्धान्त है, जिन सदस्यों ने पुलिस विभाग के बारे में कहा है, वे गांव से आ रहे हैं, उन्होंने यहां पर अपनी कहानी नहीं कही है, उन्होंने जनता की आवाज को यहां रखा है सदन के सामने। हम चाहते हैं, जनता चाहती है कि हिन्दुस्तान को जो आजादी मिली है, उस आजादी का वे लाभ उठायें। लेकिन यह तब ही हो सकता है जब कि जन-सेवा की भावना लोगों में आये और विशेष रूप से यह भावना पुलिस के अन्दर आये। एक माननीय सदस्य ने जैसा कहा, एक उच्च आदमी, श्री ताराचन्दजी साहब, जिनका स्वर्गवास हो गया है, को मैंने स्वयं ने देखा है कि वे एक अद्वितीय व्यक्ति थे। उनका यह अटूट उसूल था कि जब वे कहीं दौरे पर जाते थे तो अपने साथ दाल और रोटी ले जाते थे। तो कभी कभी गुदड़ी में भी लाल छिपे रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कहें कि पुलिस विभाग में बहुत कुछ स्वच्छता और निर्मलता आ चुकी है। अभी नहीं आई है; तब आयेगी जब पुलिस विभाग के अन्दर अच्छे व्यक्तियों को ही नियुक्त करेंगे।

तीसरी चीज जो मैंने रखी है वह यह है कि आपके मुकदमों की पैरवी कैसे हो सकती है ? यह असम्भव है क्योंकि एक ओर एडवो-केट खड़ा होता है और दूसरी ओर इन्सपेक्टर खड़ा होता है, उसे आप तनख्वाह क्या देते हैं ? जो सुपरिन्टेन्डेन्ट पढ़ने की ताकत नहीं रखता वह कानून नहीं देख सकता, वह मुक-दमों के अन्दर नहीं समझ सकता। मुझे क्षमा करें, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के उच्च से उच्च अधिकारी राज्य के कानूनों से अनभिज्ञ होते हैं। इस मामले में कहना चाहिए कि जो व्यक्ति लॉ ग्रेज्युएट नहीं होते हैं, उन्हें कोर्ट इन्सपेक्टर के पद पर मुकर्रर करते हैं और जब वह मुकदमों की पैरवी करने के लिए खड़ा होता है, तो मुझे दुख है, इस बात का कि वह एडवोकेट के सामने असफल साबित होता है और जितनी इन्क्वायरीज़ या इन्वेस्टीगेशन्स होती हैं पुलिस के द्वारा, उनमें कुछ मिस्टेक्स होती ही हैं। माननीय गृह मंत्रीजी इस बात को मानते हैं कि जो कोर्ट इन्सपेक्टर्स होते हैं, उनमें हम लॉ ग्रेज्युएट्स को रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि न्याय प्रणाली में जो दोष ठहराया जाता है, उसका एकमात्र कारण यह भी है कि बड़े मुकदमों की पैरवी वे लोग करते हैं जिनका वेतन बहुत कम है और दूसरी ओर एक एडवोकेट, जो ५०० रुपये रोज लेता है वह पैरवी करता है। कोर्ट इन्सपेक्टर को २० रुपये १५ रुपये दिये जाते हैं। अब आप बतलाइये कि कितना अन्तर है ? ये दिखती हुई बातें हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने होता है, उन बातों को हम कहना चाहते हैं, हम अपनी आंख हटा नहीं सकते।

पुलिस विभाग की मांग पर जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उन कटौती प्रस्तावों में सीधी

(श्री मूलचन्द डागा)

बातें ये हैं कि पुलिस राज्य डंडे का राज्य रहेगा जब तक कि ऐसी व्यवस्था की पद्धति रहेगी या न्याय का अन्तर रहेगा । तनख्वाह का भेद जब तक नहीं मिट जायेगा, तब तक पुलिस विभाग का काम अच्छे स्तर पर नहीं आयेगा । अगर आप इस आधार पर मकान का निर्माण करना चाहते हैं, तो वह कमजोर रहेगा । इतना कह कर मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं मांग संख्या १३ पर अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ३७ प्रस्तुत करता हूँ ।

यह कटौती प्रस्ताव विशेष तौर पर इस-लिए है कि हमारे पुलिस विभाग के अन्दर जो पदवृद्धियां होती हैं, उसमें कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है जिससे कि हमारे पुलिस कर्मचारियों के अन्दर एक प्रकार का असंतोष पैदा हुआ है और उनका डीमोरेलाइज़ेशन भी हुआ है । यह जो नियुक्तियां हुई हैं या पदवृद्धियां हुई हैं, उस सम्बन्ध में विशेष तौर से डिप्टी. एस. पी. और हैड कान्सटेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा । मैं आपको बताऊं कि अभी एक लिस्ट प्रकाशित हुई आर. पी. एस. की, उसमें डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस नियुक्त किये गये हैं । उनमें विशेष कर जो दो व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं, उनके नाम मैं बतलाऊंगा । उनको किस प्रकार, किस गलत तरीके से आर. पी. एस. ऑफिसर बना दिया गया है । उन दो व्यक्तियों में से एक का नाम है कन्हैया लाल और दूसरे का नाम है फतह लाल । ये पहले एक ऑफिशियेटिंग लिस्ट में थे । वह लिस्ट थी 'सी' ग्रेड की, उस 'सी' ग्रेड की लिस्ट को किसी प्रकार 'बी' ग्रेड की लिस्ट बनाया गया और उसके बाद उसे 'ए' ग्रेड की लिस्ट कर दिया गया । इस प्रकार से लिस्ट बदल कर, उस लिस्ट को बदलने के बाद रिकमन्ड किया गया और ये दोनों व्यक्ति आर. पी. एस. ऑफिसर बना दिये गये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बतलाया यह जाता है कि हमने एक कमेटी बनाई थी. उस कमेटी की राय से, उस कमेटी की रिकमन्डेशन से हमने उनको आर. पी. एस. ऑफिसर बना दिया । सोचने की बात है और विशेषकर हमारे गृह मन्त्रीजी को इस बात में बहुत गम्भीरता से मनन करना चाहिये, मनन ही नहीं बल्कि उन्हें छान-बीन करनी चाहिए कि किस प्रकार हम अपने रूल्स को तोड़ते हैं, रूल्स इस प्रकार तोड़ते हैं । आर० पी० एस० के रूल २७ के अनुसार मेरिट्स होने चाहिये थे और मेरिट्स के आधार पर ही लेना चाहिये था; पर मेरिट्स नहीं, मैं समझता हूं वे शायद किसी विश्वविद्यालय में तो शिक्षण लेने नहीं गये, पर कालेज में भी शिक्षण लेने नहीं गये, इस प्रकार की पदवृद्धि कर देंगे तो दूसरे योग्य हैं उनको बड़ा धक्का पहुँचेगा, उनके अन्दर एक भावना इस प्रकार की आ जाती है कि आज की सरकार के अन्दर कोई कितना ही अच्छे से अच्छा कार्य करे पर वह पद उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि विशेष सोर्स नहीं हो ।

२ म० प०

तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई, उनकी विशेष प्रकार से जांच होनी चाहिये कि यह गड़बड़ी किस प्रकार से हुई ?

इसके साथ ही मैं अपने जिले के बारे में जानकारी दूं कि वहां पर जो हैड कांस्टेबिल्स बनाये गये, धौलपुर में भी गरीब कांस्टेबिल्स

(श्री बहादुरसिंह)

हैड कान्स्टेबिल्स बनाये गये, किस मुश्किल से बने। पिछले अर्से में कुछ कान्स्टेबिल्स थे उनको हैड कॉन्स्टेबिल बनाया गया और फिर रिवर्ट कर दिया वापिस कॉन्स्टेबिल बना दिया गया और पुन: हैड कॉन्स्टेबिल बनने के लिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं बताऊं कि उन लोगों ने अपनी स्त्रियों के जेवर तक बेचकर हैड कॉन्स्टेबिल बने। वास्तव में हम दोष देते हैं कि पुलिस रिश्वत लेती है पर उस वख्त और भी मुश्किल हो जाती है जब उनके अधिकारी इस प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं। पिछली बार मैंने एक प्रश्न भी इस प्रकार का पूछा था पर प्रश्न प्रश्न ही है, अगर उन लोगों का पद किसी प्रकार अवनत न किया जाय और प्राइवेट इन्क्वायरी की जाय तो वे बता सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार किसको रुपया दिया।

तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पद-उन्नति करने की और पद-अवनति करने की जो नीति है उसको गम्भीरता से सोचना चाहिए। यह देखना चाहिये कि एक कान्स्टेबिल को हैड कान्स्टेबिल बना दिया और कान्स्टेबिल बना दिया तो उसकी भावनाओं पर कितना बुरा असर पड़ता है, उसकी कार्य-क्षमता कम हो जाती है और वह अपने आपको किस प्रकार की स्थिति में पाता है कि उसके अन्दर इस प्रकार की भावना रहती है कि मेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। मेरा कहना है कि या तो उसकी पद-उन्नति नहीं करें यदि पद उन्नति कर देते हैं तो उसकी पद-अवनति नहीं करनी चाहिये जब तक कि कोई गम्भीर आरोप उस पर नहीं हो।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव क्रम संख्या ३८, धौलपुर की चोरियों के बारे में है। धौलपुर में दो माह के अन्दर दर्जनों चोरियां हुई हैं और गांवों के अन्दर दर्जनों जानवरों की चोरियां इस बात की द्योतक हैं कि हमारे पुलिस दल में कमी आ गई है। मैं सिर्फ तीन चोरियों का वर्णन करूंगा जो कि बड़ी विचित्र हैं। सदर होस्पिटल के डॉक्टर का क्वार्टर धौलपुर पुलिस कोतवाली से थोड़ी ही दूरी पर है, जहां कि पास ही होस्पिटल है। डॉक्टर नवयुवक थे, नई नई शादी हुई थी, नई नई चीजें थीं; सब की सब चीजें चोरी चली गईं। इसका उन डॉक्टर साहब को इतना शॉक लगा कि वे तीन चार दिन तक बीमार रहे। इसके अलावा बड़ी विचित्र बात मालूम होती है कि डॉक्टर के बोन्ड्स चले जाते हैं और वे इसकी रिपोर्ट करते हैं तो उसको कह दिया जाता है कि हमने नोट कर लिया है, पर उन बोन्ड्स को चोरी की रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया जाता है।

दूसरी चोरी मोटर साइकिल की चोरी है। एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता की मोटर साइकिल इसलिये चुरा ली जाती है कि वह कांग्रेस कार्यकर्त्ता है, जब रिपोर्ट करते हैं तो थानेदार यह कह कर टाल देता है कि आप तो नेताजी हैं। वह मोटर साइकिल इस डिज़ायन की है कि जयपुर शहर में आ जाय तो आसानी से पहचाना जा सकता है। मैं मौजूद था जब मेरे सामने चोरी हुई। मैं ताज्जुब करता हूं कि किस प्रकार चोरी की गई, रात को १२ बजे तक देखते रहे पर चोरी का पता नहीं चला।

इसी प्रकार तीसरी चोरी है जिसे राहजनी कहना चाहिये। धौलपुर से मनिया एक व्यक्ति साइकिल पर जाता है। रास्ते में उसको कुछ व्यक्ति मिलते हैं और जबरदस्ती उससे साइकिल छीन ले जाते हैं। मनियां के थानेदार के पास रिपोर्ट

(श्री बहादुरसिंह)

करते हैं कि जांच करें, तो थानेदार कहता है कि आप हमारी शिकायतें करते हैं, हमारी रिश्वतों का पर्दा–फाश करते हैं, हम आपकी जांच कैसे करें ?

मेरा कहना है कि अगर यही जुर्म है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं, कांग्रेस में काम करते हैं, हमारी चीजें चोरी चली जांय और हमको यह कह दिया जाय कि आपकी चोरी की जांच नहीं हो सकती क्योंकि आप हमारी शिकायत करते हैं। थानेदार साहब को बताया गया कि ये ये लोग शामिल हैं, पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं जांच नहीं करता। एस. पी. को कहा तो उसने जवाब दिया कि देखेंगे। आखिर लोगों के यहां चोरियां होती हैं तो पता चलाना चाहिये, काफी सुबूत देते हैं; कहते हैं, समझाते हैं, पर अन्त में यह कह कर टाल दिया जाता है कि क्योंकि तुम हमारी शिकायतें करते हो इसलिये तुम्हारी जांच नहीं हो सकती, यह शोभनीय बात नहीं है।

इन चोरियों को रोकने के बारे में मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि धौलपुर स्टेट के समय में धौलपुर रेलवे स्टेशन पर एक पुलिस चौकी थी जिसको राजस्थान बनने के बाद में तोड़ दिया गया। धौलपुर एक ऐसी जगह है जहां से मध्य प्रदेश ३ मील की दूरी पर है और उत्तर प्रदेश १२ मील की दूरी पर है। रात में कोई बदमाश चोरी करके दूसरी ट्रेन से मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में चला जा सकता है और इस तरह चोरी का कोई पता नहीं चल सकता। वहां रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकी रहने से कम से कम यह रहता था कि कोई बदमाश आया तो पुलिस को उसकी इन्फोर्मेशन हो जाती थी। इस रेलवे स्टेशन पर यदि सरकार पुनः पुलिस चौकी स्थापित कर देती है तो निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में रोक-थाम हो सकती है।

इसी तरह निहालगंज और कोतवाली की जो चौकियां हैं उन पर पुलिस की शक्ति कम है, धौलपुर शहर के लायक जितनी शक्ति चाहिये वह नहीं है, इसलिये पुलिस की तादाद भी बढ़ाना आवश्यक है।

इसके बाद जो रात में गश्त की व्यवस्था है, उसको भी सुधारना और बढ़ाना आवश्यक है। मवेशी की चोरी रोकने के लिये नगला उमरखां में पुलिस की चौकी होनी चाहिये, नगला उमरखां इस बात के लिये मशहूर है कि जितनी मवेशी चोरी जाती हैं या चोरी हुई आती हैं वे इस गांव में पहुंचती हैं और इस गांव से उनका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होता है। यहां पर चुराई गई मवेशी को मध्यभारत में यहां से भेजा जाता है और मध्य भारत में चोरी गई मवेशी को वहां से इधर पहुंचाया जाता है।

मैंने अधिकारियों को कहा था कि यहां पुलिस चौकी कायम कर देते हैं तो नगला उमरखां जो कि तहसील बाड़ी में है वहां विशेष रूप से एक चौकी कायम की जाय। एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जब हम समाज विरोधी काम के लिए आर. ए. सी. को भेजते हैं उस वक्त आर. ए. सी. के लोग बड़ा विचित्र सा हमको जवाब देते हैं। आतंक स्थापित करने के लिए ५ आर. ए. सी. के आदमियों की जरूरत होती है और ५ आदमियों का दस्ता काफी होता है, जब हम

(श्री बहादुरसिंह)

कहते हैं कि ५ आदमियों को भेज दिया जावे, लेकिन आर. ए. सी. वाले जवाब देते हैं कि हम २० से कम नहीं जावेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब हमारे पास रियासतें थीं, वहां आर्म्ड पुलिस थी तब दो उसके जवान इधर से उधर या कहीं चौकी पर बिठला दिये जाते थे, उससे लोगों में आतंक छा जाता था और काफी सुरक्षा हो जाती थी। लेकिन आज जब हम आर. ए. सी. को कहते हैं तो यह शिकायत करते हैं कि २० से कम नहीं जावेंगे और जहां २० जवानों की जरूरत नहीं है वहां पर वे क्या करेंगे। इसलिये अगर ५ जवानों की जरूरत हो और ५ ही भेज दिये जावें तो मैं समझता हूं कि बहुत सहूलियत रहेगी।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है ३६ नम्बर पर भ्रष्टाचार के बारे में। इसके बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे साथी बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसके बारे में कहा है और वह अन्न कांड के बारे में है जो धौलपुर में हुआ है। अन्न का इस प्रकार का धौलपुर में कांड हुआ है जिसको हम एक बहुत गंभीर आरोप कह सकते हैं और मैं समझता हूं कि राज्य की सरकार इस आरोप से मुक्त नहीं हो सकती। इसके बारे में जब गेहूं आ रहा था उस समय पिछले सदन के समय कम से कम मैंने ४ प्रश्न सदन के सामने रखे और वे दुर्भाग्यवश यहां पर नहीं आ सके। मैं इस सम्बन्ध में चीफ मिनिस्टर से और रेवेन्यु मिनिस्टर से मिला और उनके साथ एन्टी करेप्शन इन्सपेक्टर जनरल से भी मिला और काफी विस्तारपूर्वक उनको इस मामले को समझाया लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि आई. जी. साहब उस कार्य को पूरा नहीं कर सके। अभी-अभी जब मैं दुबारा मिला और मैंने उनको परमिट भी दिखाये कि इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। सारा अनाज कहां गया है? ५ लाख, ५॥ लाख मन गेहूं राजस्थान के नाम से आया है और उसको आगरा के व्योपारी ट्रक द्वारा बुक कराते हैं और भरतपुर से धौलपुर ले जाने के लिए बुक कराते हैं और उस नाज को बाहर ले जाते हैं। हमने उसको रोकने का काफी प्रयत्न किया मगर कुछ नहीं। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं। जब हम आई. जी. पी. एन्टीकरप्शन को यह बात कहते हैं तो वे कहते हैं कि कोई कानून हमारे पास ऐसा नहीं है जिसके जरिये हम कार्यवाही करें। मेरी समझ में नहीं आया कि जब कोई कानून नहीं है तो एस. एच. ओ. और हैड कान्स्टेबिल जगवीरसिंह और कर्णसिंह जब पंजाब नेशनल बैंक में नये-नये नोट भुनाने जाते हैं आखिर वह नोट उनके पास कहां से आये? उनको इतना वेतन नहीं मिलता। लोगों का कहना है कि उन्होंने एक लाख २ हजार रुपया सिर्फ ६ महीनों में कमाया है। १ लाख दो हजार अगर हिसाब लगाया जावे तो यह रकम कम बैठती है। इस संबन्ध में मैं भरतपुर एस. पी. से मिला और वह मिला भी महज अपने एक एक्सिडेन्ट की वजह से। मैं आगरा से धौलपुर जा रहा था। एक ट्रक कार से टकराता है। दूसरा आता है उसको रोक कर मालूम करता हूं कि यह ट्रक कहां जाते हैं और इनमें क्या है। जब दूसरे ट्रक को रोका गया तो मालूम हुआ कि उसमें गेहूं है। मैंने चुंगी के चौकीदार से कहा। इसको रोको, मैं पुलिस को इतिला करके भेजता हूं। मैंने एस. पी. साहब से जो वहां पर किसी कार्य से आये हुए थे कहा। मैंने

(श्री बहादुरसिंह)

उनसे कहा के आपके यहां आपकी मौजूदगी में दर्जनों ट्रक यहां से गेहूं लेकर बाहर जाते हैं तो वे जवाब देते हैं कि मुझे कोई इन्फोर्मेशन नहीं है। मैंने कहा कि आपको जब उसकी इतिला नहीं है तो आप फिर पुलिस में सर्विस करते क्यों हैं ? आप यहां पर बैठे हैं ग्रान्ड ट्रंक रोड करीब ५० फुट के फासले पर होगी। आवाज भी वहां आराम से सुनाई देती है। अगर आवाज पर भी ध्यान देते तो आपको मालूम होता। मगर उनको वहां पर कुछ काम थोड़े ही करना था। वहां पर तो राज कुछ दूसरा ही था। उनको तो अपने इशारे से गेहूं के ट्रक निकालने थे सो उन्होंने निकाल दिये।

(घंटी)

मुझे थोड़ा समय और लेना है। मैं थोड़े में ही खत्म करता हूँ।

इस प्रकार से जो यह भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने में और उसकी जांच करने में हम असफल हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जांच करा सकते हैं कि यह गेहूँ कहां गया, धौलपुर रेल्वे स्टेशन और मनीया रेल्वे स्टेशन पर गेहूँ आया वह कहां गया ? वह गेहूँ भरतपुर पहुँचा या नहीं और भरतपुर पहुंचा तो उसकी चुंगी व्यापारियों द्वारा कितनी चुकाई गई ? यह एक सीधा सा सुबूत है इसकी जांच करने का।

दूसरी बात यह भी आती है कि धौलपुर में चुंगी ली गई या नहीं ?

इस प्रकार मैं कहूँगा कि गेहूं के कार्य में हमारी पुलिस और पुलिस विभाग के अलावा हमारे एस. डी. ओ. और म्युनिसिपैलिटी के भी अधिकारी इसमें शामिल थे और उनके षड़यंत्र से लाखों मन अनाज जिसको राजस्थान की पब्लिक खाती थी वह बाहर भेज दिया गया और केन्द्रीय सरकार के सिद्धान्तों और नियमों का उल्लंघन किया गया। मैं पुनः माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिए वे खुद गम्भीरता से इस पर विचार करें और निष्पक्ष व्यक्तियों की एक कमेटी मुकर्रर करें जो इसकी जांच करे और उसकी रिपोर्ट मंगावे और उसके बाद जो धौलपुर में चोरियें हुई हैं उसकी जांच कराये कि उसमें किसका हाथ है और उन लोगों को को सजा दिलाये।

तीसरी चीज गेहूं के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में जो सहयोग मुझसे होगा वह मैं देने को तैयार हूं और इसके अलावा और भी साथी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इस मामले की गम्भीरता से जांच करावें। यह तो राज्य के आज्ञाओं की खुली अवहेलना हो रही है।

श्री फतहसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव है पुलिस कर्मचारियों द्वारा जनता पर किये जाने वाले अत्याचार संबन्धित और दूसरा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की कार्यकुशलता के सम्बन्ध में।

मैं सबसे पहले अत्याचार संबन्धित कटौती के प्रस्ताव पर प्रकाश डालूंगा और तत्पश्चात् यदि अवकाश मिला तो दूसरे कटौती प्रस्ताव पर बोलने की चेष्टा करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश अथवा राष्ट्र की पुलिस वहां की जनता की सभ्यता, संस्कृति और शिष्टाचार की प्रतीक मानी गई है, इसलिए प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को अत्यन्त शिष्टाचारी और सदाचारी होना अत्यन्त आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री फतहसिंह)

पुलिस मानव समाज का एक अंग है और पुलिस का लक्ष्य है लोक-सेवा और इस लोक सेवा की पूर्ति के लिए पुलिस कर्मचारी को जनता की जान, माल और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिये। जब पुलिस वाले इसके विपरीत कार्य करते हैं और समाज के सामने रक्षक न होकर भक्षक के तौर से आते हैं तो जनता दुखी होती है और जनता के दुखी होने से प्रजा में असंतोष फैलता है और असंतोष ही शासन का अन्त करने वाला फल देता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नीतिकारों ने कहा है :

मातृवत् परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत्।
आत्मवत् सर्व भूतेषु यः पश्यति स पण्डितः॥

और ऐसे ही एक कवि ने कहा है :

सब पर तिय जेहि मातु सम,
सब पर धन जेहि धूर।
सब जीव निज जीव सम,
लखै सो पण्डित भर पूर॥

इस प्रसंग में पंडित से मतलब सज्जन पुरुष से है और पुलिस के कर्मचारियों को अत्यन्त सज्जन होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हम देखते हैं कि हमारे पुलिस के कर्मचारियों में कई लोग हमारी माताओं की इज्जत का खिलवाड़ करने वाले बलात्कारी होते हैं। हमारी पुलिस के कई लोग ऐसे है जो जनता के धन का अपहरण करते हैं। पुलिस के कर्मचारी कई लोग ऐसे हैं जो पब्लिक के साथ मारपीट करते हैं और उनको सताते हैं और इसी तरह से ये चीजें धीरे धीरे आतंक का रूप धारण कर लेती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसलिए संक्षेप में ही इन बातों की पुष्टि में दृष्टान्त दूंगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस वक्त बजट पर सामान्य चर्चा हो रही थी उस वक्त मैं इस विषय पर बोल रहा था, किन्तु आपकी ओर से आदेश हुआ कि अच्छा समय इस विषय में कटौती प्रस्ताव पर बोलने का आवे तो बोलियेगा इसलिए मैं अब उन्हीं पर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चोरी करना अथवा डाका डालना बुरा है। यह सबसे बड़ा सामाजिक अपराध माना गया है और चोर–डाकू समाज के सब से बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन हमारी पुलिस जो चोर–डाकुओं को पकड़ने के लिए तैनात की गई है, जब वह पुलिस ही जनता के साथ अमानुषिक अत्याचार करती है, माता और बहिनों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करती है, उनके सतीत्व को नष्ट करती हैं और बलात्कार करती है तो मैं उस पुलिस को डाकुओं से भी बदतर समझता हूँ। यह मेरा आदर्श है। हो सकता है कि मैं गलत होऊं।

मैं आपको इस प्रकार की घटना के बारे में जिक्र करूंगा जो इस सदन और माननीय सदस्यों के जानने के लिए आवश्यक घटना है। अरावली की श्रेणियों में डाकू शरण लेते हैं और अभी भी रहते हैं। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस की टुकड़ी रहती थी और उस टुकड़ी ने जनता के साथ क्या-क्या अत्याचार किये, उनकी पुष्टि मैं करा सकता हूँ लेकिन सबका तो मैं यहां जिक्र नहीं कर सकता। एक घटना का जिक्र करूंगा कि १६–१०–५५ को एक पुलिस टुकड़ी ने, एस. पी. गुमानसिंह की कमान्ड के अन्तर्गत; वे ही गुमानसिंह हैं जो आजकल ए. आई. जी. हैं, धारेश्वर में डाकुओं को पकड़ने के लिए हमला किया। डाकू तो नहीं मिले लेकिन जनता पर अमानुषिक अत्याचार किये गये, स्त्रियों और पुरुषों के साथ मारपीट की गई। औरतों के साथ

(श्री फतहसिंह)

बलात्कार किया गया और यहीं तक नहीं औरतों के गुप्त अंगों में मिर्ची डाली गई और लाठी तक का प्रयोग किया गया।

(विरोधी पक्ष द्वारा "शेम शेम" की आवाज)

वे पुलिस वाले यहीं तक नहीं रुके। वे वहां के निवासियों के घरों में घुस गये और जो भी अच्छा सामान मिला, कम्बल मिली, पछेवड़ा मिला, तलवार मिली, बन्दूक मिली, घी के पीपे-पीपी मिले उनको लेकर चले गये। जब वे पीड़ित लोग मेरे पास आये, मैं वहां का सार्वजनिक कार्यकर्ता होता हूं, मैंने क्या किया ? मैंने डॉक्टरी कराई, डॉक्टरी सर्टिफिकेट हासिल किये। जिन लोगों को पीटा गया, जिन माता और बहिनों के साथ बलात्कार हुआ उन सब की डॉक्टरी करवा कर सर्टिफिकेट हासिल किये और उनके हलफनामे मैंने लिये और उन सब की सूचना उच्चाधिकारियों को दी, एस. डी. ओ. सोजत को दी, कलेक्टर सोजत को दी, और पुलिस के उच्चाधिकारी आई. जी. पी. को दी, यहां तक कि सरकार के उच्चाधिकारियों को भी सूचना भेजी, मंत्रियों को सूचना भेजी। यहीं तक नहीं, उस समय जो विधान सभा के सदस्य थे, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे जनसंघ के हों, चाहे साम्यवादी हों, और चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन सबको लिखा कि इस तरह से जनता की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। सब दरवाजे खटखटाने के बाद जब मैं मायूस हो गया तब इन बातों का यहां जिक्र करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं करता।

यह बात आगे बढ़ी, उपाध्यक्ष महोदय ! यदि एस. पी. गुमानसिंह की कमांड में ये अत्याचार हुए तो किस कारण से ? हमने भारतीय जाब्ता फौजदारी की धारा १६७ के मातहत यह आज्ञा राजस्थान सरकार से चाही थी कि उस एस. पी. के खिलाफ मुकदमा चलाने की आज्ञा दी जाय लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं मिला। इसका क्या नतीजा हुआ, एक ही हुआ कि उस अत्याचारी अफसर को प्रोत्साहन मिला।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Members, you will kindly maintain the decorum. Yes.

मेजर श्री फतहसिंह : What is that, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : I was disturbed by the conversation of the hon. Members on the other side.

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार अकर्मण्य रही, कोई कार्यवाही उस अत्याचारी अफसर के खिलाफ नहीं की, माताओं और बहिनों के साथ बलात्कार करने वालों को प्रोत्साहन दिया। मैंने शिकायत की लेकिन किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या तथ्य है, उल्टा उस अफसर को प्रोत्साहन मिला। मेरे खिलाफ एक षडयन्त्र रचा। मेरी गिरफ्तारी करवाई। हथकड़ी डाल कर मुझे सोजत ले जाया गया, जब राणावास रेलगाड़ी से ले जाया गया। फिर अप्रेल महीने की कड़ी धूप में मुझे पैदल चलाया गया। जहां जहां जनता का मेरे प्रति विश्वास था, श्रद्धा थी, मुझे जनता प्रेम की दृष्टि से देखती थी, उनमें मेरे प्रति अविश्वास पैदा हो, नफरत पैदा हो इस दृष्टि से मुझे हथकड़ी डाल कर वहां घुमाया गया। ये बातें हुईं।

('शेम शेम' की आवाज)

(श्री फतहसिंह)

मैं आपके द्वारा मन्त्री परिषद् और सरकार से जानना चाहूंगा कि ऐसे अफसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और हमारी शिकायतें थीं अभी तक उनकी जांच क्यों नहीं हुई ? मैं यह भी बता दूं कि जितने एफिडेविट हमारे कब्जे में थे, मैंने उनकी नकलें सरकार के उच्चाधिकारियों को भेजी, मन्त्रियों को भेजी, सबको भेजी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार के पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों की या हमारे मंत्रिपरिषद् के मन्त्रियों की मैं अकर्मण्यता को देखता हूं तो मुझे अंग्रेजी के कवि टेनीसन की एक कविता 'Lancelot and Elaive' का स्मरण हो आता है । उस कवि ने कहा है :

"Sin seems less, the sinner seeming great."

अगर पाप करने वाला बड़ा आदमी हो तो उसका पाप भी दुनियां को छोटा मालूम होता है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, शासन की दृष्टि में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए । शासन को चाहिए कि राजा और रंक को एक समान समझे, अमीर और गरीब को समान दृष्टि से देखे ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना, जिसका जिक्र मैंने सामान्य चर्चा के दौरान किया था, उस नीति को लेकर दुबारा अर्ज करूंगा । २६–३० मई की रात्रि को भीम पुलिस के चार कॉन्स्टेबलों और ब्यावर के दो मोटर कर्मचारियों ने एक किसान कन्या के साथ टाड़गढ़ में बलात्कार किया और उसकी पुनरावृत्ति तारीख ३०–३१ मई की रात्रि को भीम में हुई जहां कि पुलिस कॉन्स्टेबलों ने और बलात्कार किया । मुकदमा तारीख ५ जून को टाड़गढ़ पुलिस स्टेशन में उन पुलिस कर्मचारियों और ब्यावर के मोटर कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा ३६६/३७६ के अन्तर्गत दायर हुआ । इसके बाद जो घटना हुई वह हमारे शासन के लिए अशोभनीय है और मैं कहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से कि लज्जाजनक है । हर तरह से उस मुकदमे को दबाने का प्रयास किया गया और उसको दबा दिया गया । मैं उस सम्बन्ध में पुलिस के कई उच्चाधिकारियों से मिला । पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी, आई० जी० पी० जो उस समय श्री कनेटकर थे, से टेलीफोन से बात की । कई तार दिये, १७०–१७० शब्दों के तार दिये, जयपुर में आया और उनसे कहा कि पुलिस के कर्मचारी लड़की के उन गवाहों के बयान नहीं लेते जिससे पुलिस के खिलाफ मुकदमा साबित होता है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने तार देने के बाद भी, मेरे द्वारा शिकायत करने के बाद भी उसकी कोई जांच नहीं की गई । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गृह मन्त्रीजी से जानना चाहूँगा कि क्यों उन गवाहान के बयान नहीं लिये गये ?

उपाध्यक्ष महोदय, जो मोटर कर्मचारी थे और इस मुकदमें में अपराधी थे उनको तो गिरफ्तार किया गया और पुलिस वालों को नहीं किया गया । कानून को हमें एक रूप से देखना चाहिये । मैं पूछता हूं कि मोटर कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार किया गया और पुलिस वालों को क्यों नहीं ? साथ में यह भी सवाल उठता है जिसका कि उत्तर मैं चाहता हूं वह यह कि अगर इस प्रकार का अपराध किसी साधारण नागरिक ने किया होता तो मैं समझता हूं उसको एक दम जेलखाने की

(श्री फतहसिंह)

चार दीवारी में बन्द कर दिया गया होता, लेकिन यहां इस मामले में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां पर तो पुलिस वालों को बचाना था, इसलिये उस मामले को दबा दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि उस क्षेत्र में पुलिस वालों को फिर ऐसे कार्य करने को प्रोत्साहन मिला। दूसरी घटना अभी हाल ही की है, दिनांक १४—१५ फरवरी की घटना है। पीपली के एक साधु की लड़की को फरार किया गया और १४-१५ तारीख को उस लड़की के साथ देवगढ़ के हैड कान्स्टेबल, श्री सुलतानसिंह और भीम के थानेदार, श्री नारायणसिंह ने बलात्कार किया। उस लड़की को देवगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष ने पुलिस के कब्जे से बरामद किया। उसको फिर उदयपुर ले जाया गया, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सामने उसके बयान हुए, और फिर उसी लड़की के बयानात एस० पी० के सामने करवाये गये और उस लड़की के बयानात फिर फरवरी १६ के आसपास राजसमन्द के डिप्टी एस० पी० के सामने भी हुए, वहां भी उसने हैड कॉन्स्टेबल श्री सुलतानसिंह और थानेदार नारायणसिंह को बलात्कार के मामले में इनवोल्व किया।

अब क्या होता है। पहली बात यह उठती है कि अगर कोई साधारण नागरिक ने ऐसा अपराध किया होता तो उसको लिखाने को चार दीवारी में डाल दिया गया होता। लेकिन यह हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि हैड कॉन्स्टेबल जो छोटा आदमी था उसको तो मुअत्तिल कर दिया गया किन्तु थानेदार को मुअत्तिल न करके केवल उसका स्थानान्तरण कर दिया गया इस तरह का भेद क्यों है ! इस प्रकार का भेद शासन में नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जब जब मैं इन घटनाओं को देखता हूं, इस प्रकार के काण्ड को देखता हूं और इनको बढ़ता हुआ देखता हूं तो मुझे महाभारत की घटना का स्मरण हो आता है। मैं श्रीकृष्ण भगवान को वट वृक्ष के नीचे कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा देखता हूं; वे अर्जुन से कहते हैं:—

"यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥"

अर्थात् हे अर्जुन ! जब जब मैं धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि देखता हूं तो मैं रूप रचता हूं अर्थात् प्रगट होता हूं। क्योंकि साधुओं का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिये और धर्म की स्थापना करने के लिये मैं युग युग में प्रगट होता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शासक को हमारे इन शास्त्रों में ईश्वर का रूप दिया है। मैं अपने प्रशासन के ईश्वर रूपी राम, हरि और मोहन से निवेदन करूंगा कि इस प्रशासन में जो आसुरीय प्रवृत्तियां आ गई हैं बलात्कार और भ्रष्टाचार रूपी, उनको खत्म करें और राजस्थान के लोगों को सुख पहुंचायें और अगर मैं अर्जुन के रूप में उनको देखूं तो उनसे कह सकता हूं कि बिना हिचकिचाहट के आततायियों को दंड दें। इसमें आप यह न समझें कि आपके हाथ से किसी का नुकसान होगा क्योंकि आप नुकसान करने वाले नहीं।

(श्री फतहसिंह)

जिन्होंने अपराध किया हैं जो आततायी हैं उनका तो नाश होगा ही, आप तो केवल निमित्त मात्र हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं केवल यह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि जो बातें मैंने अपने भाषण में उठायी हैं उनका माननीय मंत्री महोदय जवाब देते हुए स्पष्टीकरण करेंगे । इसके साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो दूसरा कटौती का जो प्रस्ताव है उस पर भी पांच मिनिट के लिये प्रकाश डाल दूं । वैसे मैं अनुशासन को जानता हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा हो तो मैं उस कट मोशन को भी मूव कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री फतहसिंह : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी राज्य सरकार ने राजस्थान में फैले हुए भ्रष्टाचार का अनुभव किया है और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भी स्थापित किया है । मेरी कामना है कि इस विभाग को अपने कार्य में सफलता मिले लेकिन मुझे इसकी सफलता में कुछ सन्देह है । कारण यह है कि जो मशीन कार्य कर रही है वह वही पुरानी मशीन है, केवल नाम नया दिया गया है, पुर्जे सब पुराने है, सब घिसे हैं, जंग लग गई है, हमें नये पुरजों की आवश्यकता है । इस लिये मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देता हूं ।

एक सुझाव तो मेरा यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में हमें केवल पुलिस के आफिसरों को न लेकर बाहर से दूसरे विभागों के अफसरों का भी रिक्रूटमेन्ट करना चाहिये क्योंकि पुलिस विभाग से लिये गये अफसर अपने पुलिस विभाग के साथ में पक्षपात करेंगे और इस तरह से इस विभाग को अपना कार्य करने में सफलता नहीं मिलेगी ।

दूसरी बात यह है, जैसा कि आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि जिस राज्य कर्मचारी की कम आमदनी हो और व्यय अधिक हो तो समझना चाहिये कि या तो वह राज्य के धन का अपहरण करता है या प्रजा को पीड़ित करके घूस लेता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि हमारे प्रशासन के प्रत्येक कर्मचारी की आमदनी और व्यय पर दृष्टि रखी जाय और जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग सफलता से काम नहीं कर सकता ।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि इस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सलाह देने के लिये एक एडवाइज़री बोर्ड को स्थापित किया जाय । उसमें ऑफिशियल तथा नोन ऑफिशियल सभी मेम्बर्स हों, जो समय समय पर आई० जी० पी० और शासन को सलाह देता रहे । इतना ही कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

२.३७ म० प०

मेजर फतहसिंह की गिरफ्तारी सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of clarification, Sir, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि श्री गुमानसिंह एस० पी० उनको गिरफ्तार करके किसी स्थान को ले गये, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जिस मुकदमें में उनकी गिरफ्तारी हुई उसका नतीजा क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : You will be brief in your speech.

श्री फतहसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ७ अप्रेल, १९५५ को मुझे ब्यावर में गिरफ्तार किया गया और ११ अप्रेल, १९५५ को मेरी जमानत एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट सोजत ने स्वीकार की, उसके बाद पांच, छ तारीखें पड़ीं और प्रोसीक्युशन के लिए अवसर दिया गया कि वह चालान पेश करे, लेकिन दो-तीन महीने तक चालान पेश नहीं हुआ और मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया; इतना मैं जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Were you then a Member of the Ajmer Legislative Assembly ?

श्री फतहसिंह : I was then the Member of the Ajmer Legislative Assembly.

श्री भैरोंसिंह : On a point of privileago, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी उससे ऐसे आभास मिलते हैं कि एक एम० एल० ए० के खिलाफ कुछ शिकायतें उच्चाधिकारियों को की और उस समय के एस० पी० कुछ नाराज थे इनसे और वे इस कोशिश में थे कि इनको किसी तरह से गिरफ्तार किया जाय और उनकी मान–हानि की जाय। एक डकैती के मुकदमे का चार्ज लगा कर माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया और फिर उसके लिए चालान पेश न करना, यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि एक माननीय सदस्य की मानहानि की जाय। और जहां एक सदस्य की मानहानि होती है वहां अकेले उस एक सदस्य की ही मानहानि नहीं होती बल्कि पूरे सदन की मानहानि होती है।

श्री उपाध्यक्ष : वे सदन के सदस्य नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करेंगे। वे उस समय अजमेर विधान सभा के सदस्य थे। लेकिन अगर उस विधान सभा के सदस्य होते हुए भी उनकी मानहानि हुई है और इसके सम्बन्ध में इस सदन को भी जिस समय जानकारी मिले तो आज का यह सदन इस बात के लिये कॉम्पीटेन्ट है कि उस समय इस प्रकार की कार्यवाही को एक सदस्य के विशेषाधिकार का प्रश्न बनाकर इस सदन के द्वारा कार्यवाही करने के लिये सदन में अपनी बात रक्खे। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अगर आपका निर्णय हो तो एक व्यवस्था के अनुसार विशेषाधिकार मोशन इस सदन में प्रस्तुत किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अजमेर की विधान सभा इसका कॉग्नीज़ेंस ले सकती थी।

श्री भैरोंसिंह : उस वक्त अगर किसी कारण से नहीं लिया जा सका जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, तो यह सदन भी जब इसे जानकारी मिली है तो इसका कॉग्नीजेंस ले सकती है; अजमेर विधान सभा इस सदन में मर्ज हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : How can you satisfy the chair on this issue ? वह लेजिस्लेचर समाप्त होकर इसमें मर्ज हो गई और उस वक्त उसने कॉग्नीज़ेन्स नहीं लिया तो अब जहां तक मैं समझता हूं यह सदन नहीं ले सकता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट रिआॅर्गेनाइज़ेशन एक्ट के मुताबिक राजस्थान विधान सभा का एकीकरण हुआ है, तो इसका यह मतलब नहीं कि किसी भी सदस्य की कोई मानहानि हुई हो या उस समय सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो आज का सदन, जानकारी मिलने पर, उस

(श्री भैरोंसिंह)

पर कार्यवाही नहीं कर सकता । तो जिस तरह से यह सदन अपने पहले के किसी सदस्य के मानहानि के प्रश्न को लेने के लिये कॉम्पीटेन्ट है वैसे ही अजमेर के सदस्य के भी मानहानि के प्रश्न को, जो कि आज इस सदन में सन्निहित है, इस सदन में मर्ज हो गई है, उसके एक सदस्य को अपने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार है । उसके विशेष अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है उस पर कार्यवाही करने के लिए सदन वैसे ही कॉम्पीटेन्ट है जैसे इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य के विशेष अधिकारों के लिए कॉम्पीटेन्ट है । इसका उल्लेख स्टेट रिऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट में भी है और इसके बाद जो कॉन्स्टीट्युशन में अमेन्डमेन्ट हुआ है उसमें भी यह व्यवस्था है । मुझे यदि मौका दिया जावे तो वह विशेषाधिकार का प्रस्ताव मैं अब सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Have you submitted a notice to this respect ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो जानकारी ही अब मिली है न ।

श्री उपाध्यक्ष : But in the absence of any notice how can I take cognizance of this issue ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को जानकारी इस समय मिली है और जानकारी इस प्रकार की गम्भीर नेचर की है कि जिससे सीधा विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है । यदि पहले से जानकारी होती तो उपाध्यक्ष महोदय के सामने इस प्रकार का एक तरतीब से प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता था । पर अभी यहां तुरन्त सूचना मिली है और वह सूचना इतनी गम्भीर है कि उससे एक सदस्य की मान-हानि हुई है और उससे विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा हो जाता है, तो इसलिये मैं इस सम्बन्ध में आपसे अनुमति चाहूंगा कि मुझे इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : But why should you not in the ordinary course submit a notice ?

श्री भैरोंसिंह : वह तो पता ही अब लगा है । माननीय सदस्य ने सारे फैक्ट्स इस समय पेश किये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कल दे दीजियेगा नोटिस ।

श्री भैरोंसिंह : इस समय मूव कर दूं और बाद में हाउस में कल ले लिया जा सकता है । मूव करने की इजाजत इस समय दे दी जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : भाई भैरोंसिंहजी ने बीच में एक प्रश्न उठाया है क्योंकि दिन भर में बोले नहीं थे वे ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो मैं अब बोलूंगा, अब सुन लेना ।

श्री रामकिशोर व्यास : क्योंकि इसके लिये उनको कोई बहाना नहीं मिला, यह अब बहाना मिला है ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमन्त्रीजी से निवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

करूंगा कि वे इस "बहाना" शब्द को वापिस ले लें।

श्री रामकिशोर व्यास : "बहाना" शब्द कोई अनपार्लियामेन्टरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पर फिर मैं भी कोई "बहाना" कर जाऊंगा, "बहाने" की चिन्ता नहीं है। पर चिन्ता यह है कि कहीं मैं "बहाना" न कर जाऊं, इसकी चिन्ता है। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि "बहाना" शब्द जिस ट्यून में इस्तेमाल किया गया है उस ट्यून में यह अनपार्लियामेन्टरी है, इसलिए वे इसे वापिस लेने की कृपा करें।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत अच्छे ट्यून में कहा है, नेकनीयती के ट्यून में कहा है।

श्री भैरोंसिंह : नेकनीयती तो नहीं है, बदनीयती जरूर है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो मान लीजिए जब कह दिया गया है। There is an explanation of the word.

श्री रामकिशोर व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, एक सदस्य के प्रिविलेज की बात कही गई, उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि एक मुकदमा उनके खिलाफ रजिस्टर हुआ, वह अदालत में गया और वहां से वे डिस्चार्ज हो गये और इसके लिए यह कहा जाता है आज इतने दिनों बाद कि यह कोई विशेषाधिकार का मामला था। यह किन फैक्ट्स पर प्रिविलेज मोशन बन सकता है, यह सोचने की बात है।

दूसरी बात यह है कि जिनके खिलाफ शिकायत की जाती है और फतहसिंह जी को अरेस्ट करने की बात कही जाती है वे इस सदन के मेम्बर नहीं थे, वे अजमेर विधान सभा के उस समय सदस्य थे, जो (विधानसभा) आज नहीं है। वह इस विधान सभा में मर्ज हो गई थी और इस विधान सभा का भी यह दुबारा चुना हुआ रूप है। तो पिछले सदनों के सवाल इस सदन में पैदा नहीं होते।

दूसरी बात यह कही गई कि अजमेर विधान सभा के ये सदस्य थे और चूंकि वह विधान सभा इस सदन में मर्ज हो गई इसलिये हमें अधिकार हो गया। यह बात भी सही नहीं है क्योंकि अजमेर विधान सभा इलेक्शन के बाद खत्म हो गई और दूसरी का निर्माण हो गया।

फिर भी अगर कोई बात बनती हो तो रेगुलर नोटिस देकर वह प्रश्न लाइये। उसे स्पीकर साहब या उपाध्यक्ष तय करेंगे। हाउस में तो वह सवाल इस समय पैदा होता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Do you agree, whether this House is a successor to the House of Ajmer Legislature ?

श्री रामकिशोर व्यास : No, this House cannot take notice of that, Sir.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमन्त्री महोदय ने जो बताया कि माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए थे और उन्हें चालान भी किया गया था और कोर्ट में चालान होने के बाद डिस्चार्ज हो गये।...

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा अदालत में गया था।

श्री उपाध्यक्ष : We will not enter into the details except for ascer-

(श्री उपाध्यक्ष)

taining the legal or constitutional position and you will very kindly be brief.

श्री भैरोंसिंह : वही में अर्ज कर रहा था। आपने बतलाया गिरफ्तार हुए, चालान हुआ और बाद में डिस्चार्ज हुआ। लेकिन यदि उपाध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो एक फ्री प्रेस जरनल है बम्बई का, उसमें उसके एक रिपोर्टर ने एस. पी. गुमानसिंह से मुलाकात की है, उसका विवरण छपा है। उसके दो-एक वर्ड मैं बतलाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Is it a newspaper.

श्री भैरोंसिंह : Yes, newspaper. इसमें लिखा है : "Two cases under Sections 115 and 117 of the I. P. C. were registered against the Major."

श्री उपाध्यक्ष : Does it pertain to the very issue that we are discussing ?

श्री भैरोंसिंह : एक पर्सनल इन्टर्व्यू में कहा है उन्होंने : "Shri Gumansingh told the 'Free Press of India' that the accused was suspected of having connections with the gang of the notorious dacoit Rawat and was instigating them to commit more dacoities and kill police officers."

यह इस प्रकार का सीरियस ओफेन्स है जिसके बारे में आगे चलकर उन्होंने कहा है :

"Shri Gumansingh said that this alleged instigation has again resulted in two major dacoities in Udaipur Division and Shri Bhagwant Singh, a Sub-Inspector attached to the Anti-dacoity Police, was shot dead."

और फिर आगे इसमें लिखा है : "Shri Guman Singh said that the Police suspected the Major of having taken to this anti-social behaviour in view of his fear of losing election to the Ajmer State Legislature, if the dacoits surrendered to the Government. It is alleged that he secured election with the help of dacoits."

उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly place it on the Table of the House.

(पत्र की प्रति अनुपलब्ध)

श्री भैरोंसिंह : मैं इस पत्र को उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत से सदन की मेज पर रखता हूं। तो उससे ऐसा पता लगता है उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें सन्देह करने की तो गुंजाइश नहीं कि डी. एस. पी. गुमानसिंह और माननीय सदस्य का सम्बन्ध किस प्रकार का था। इससे सीधा यह नतीजा निकाला जा सकता है कि वे डी. एस. पी. माननीय सदस्य से कोई बदला निकालना चाहते थे, किसी तरह से उनकी मान–हानि करके और इसकी पृष्ठभूमि बताऊं . . .

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : On a point of Order, Sir......

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले सदस्य पान थूक कर आवें और फिर बोलें।

(श्री भैरोंसिंह)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !!

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of order, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs. You will kindly resume seat.

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order, Sir. माननीय सदस्य पान खा रहे हैं। पान थूंक कर आवें।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

Mr. Jwala Prasad, you will see that the Chair is on its legs. Yes, what do you want to say on the point of order ?

श्री ज्वालाप्रसाद : अब तो खड़ा हो जाऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order Please !! Yes, I think you know the Rules about the decorum.

श्री ज्वालाप्रसाद : Whether this case which is coming before this House......

श्री जगदीशप्रसाद : समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं।

(शोर–गुल बाधा)

श्री ज्वालाप्रसाद : मैं हिन्दी में कहूं।

श्री भैरोंसिंह : अंग्रेजी में कहें, हमें ऐतराज नहीं; पर पान खा रहे हैं इससे सुनाई नहीं देता।

श्री ज्वालाप्रसाद : इस पत्र के बारे में, जिसको सदन की मेज पर रखने की इजाजत दी गई है......

श्री शिवचरणदास : ये जरा स्पष्ट कहें तो ठीक है, सुनाई नहीं देता।

श्री जगदीशप्रसाद : आपकी समझ की बात है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वे थूंकते नहीं हैं पान, इससे स्पष्ट नहीं सुनाई देता। पान खा रहे हैं इसलिये समझ में नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यदि सदन इस प्रश्न को जल्दी समाप्त करना चाहता है तो वे चेयर को थोड़ा सहयोग दें।

I don't see betel in his mouth, how can I take objection to this ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दी जावे तो मैं निकाल दूं।

(हंसी)

श्री ज्वालाप्रसाद : यह समाचार–पत्र टेबल पर रखने की इजाजत दी है, इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पत्र पर डिफेमेशन का केस कोर्ट में चल रहा है। तो यह एक सब जुडिस केस है। इस सब जुडिस केस के बारे में जैसी स्थिति सदन में पैदा की जा रही है, क्या वह ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष : Do you want a decision from me, a Ruling from the Chair ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपसे यह रूलिंग मांगता हूं कि on the facts contained in the paper, the same paper which was read in the House

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :)

there is a defamation case pending in courts from the side of Major Fateh Singh, the hon'ble member. There-fore the matter is a sub-judice one. I want a ruling whether it can be discussed here.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसकी पृष्ठ भूमि में जो माननीय सदस्यों ने कहा वह काफी है। अब प्रश्न यह आता है कि अजमेर विधान सभा के किसी सदस्य.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Have you given your ruling, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : I am not prepared to give any ruling un-less I hear the full facts. In anticipation I cannot make my observations

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : An enquiry may be instituted to ascertain the facts.

श्री उपाध्यक्ष : I am trying to ascertain the facts.

श्री भैरोंसिंह : अब प्रश्न केवल इतना सा आता है कि अजमेर विधान सभा के किसी माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या अजमेर विधान सभा के जो विशेषाधिकार थे उनका उल्लंघन हुआ है और उसका नोटिस यदि इस सदन में आज मिलता है तो यह सदन उसके ऊपर कार्यवाही करने में कॉम्पीटेन्ट है या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, ऑन–हैंड मैं किसी बुक का तो हवाला इस समय नहीं दे सकता लेकिन एक पार्लियामेन्टरी जनरल निकला है और उसमें इस तरह की व्यवस्था हुई है कि पिछले सदन के उल्लंघन का प्रश्न यदि इस सदन के सामने आता है तो यह सदन उस पर कार्यवाही करने के लिए कॉम्पीटेन्ट है। मुझे समय मिला तो मैं वह पार्लियामेन्टरी जरनल सदन के सामने पेश कर दूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से इतना जानना चाहता हूं कि रूल ५६ को कैसे रिलेक्स किया जा सकता है ? "A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary", this is a mandatory provision.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय इन रूल्स में एक रूल ऐसा है मोस्ट-प्रोबेबली २४६ है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : Pardon.

श्री भैरोंसिंह : २४६ है । उपाध्यक्ष महोदय, इन रूल्स में एक रूल यह भी है जिसके कारण से माननीय अध्यक्ष महोदय को इस बात का अधिकार है कि ऐसी कोई व्यवस्था के संबंध में कोई ऐसी बात है जिसके कारण रूल को रिलेक्स करना पड़े तो चेयर को इस बात का अधिकार रूल २४६ के अन्तर्गत है "Any member may with the consent of the Speaker move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being."

श्री उपाध्यक्ष : And what about Rule 57 ? Conditions of admissibility of question of privilege:

श्री भैरोंसिंह : मैं वह रूल निकाल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The matter should be of recent occurrence.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी नम्बर कोट कर रहा हूं। रूल्स में ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें हम रूल को सस्पेंड कर सकते हैं। रूल का एग्ज़ेक्ट नम्बर तो मुझे याद नहीं है। लेकिन रूल्स के अन्दर यह व्यवस्था है कि...

श्री उपाध्यक्ष : "The question shall be restricted to a specific matter of recent-occurrence."

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय इस लिए मैं इस सदन से यह निवेदन करूंगा कि जो एक प्रिविलेज़ मोशन मूव करने की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अन्दर प्रिविलेज़ मोशन को सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले पेश करते हैं तो उसको इस समय के लिए सस्पेन्ड किया जाकर इसी समय इस विशेषाधिकार के प्रश्न को इस सदन में विचारार्थ ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Even if the notice is given the matter should be of recent occurrence.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रीसेन्ट अकरेन्स का सवाल है वह कॉज़ ऑफ एक्शन है। प्रिविलेज़ मोशन का इस सदन में लाने का कारण क्या बना ? अब उस समय की कोई घटना है और किसी मेम्बर को या इस सदन को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिस समय भी जानकारी मिलती है उसके बाद में कुछ समय निकाल सदन में रखा जाये तो एक प्रकार का डिलेड एक्शन होगा। लेकिन प्रिविलेज़ मोशन को लाने का कॉज़ एक्शन से ही होता है तो इसको जिस समय कि यह बात आई उस समय इसको मानना चाहिए। उस रीसेन्ट अकरेन्स का हवाला आज के दो वर्ष पूर्व की घटना से है। आज वह केवल रीसेन्ट अकरेन्स में कॉज़ ऑफ एक्शन को लेकर प्रिविलेज़ मोशन को लाने की व्यवस्था होगी तो इस रीसेन्ट आकरेन्स के कारण इस प्रकार के प्रिविलेज़ मोशन को पेश करने में कोई बाधा नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : Now, as the Hon'ble members know both the legal and constitutional position, I defer my decision on this issue to some other date.

(विराम)

Yes, Shri Sheocharan Dass.

मांग संख्या १३-पुलिस

(पुनः पूर्व क्रम से)

श्री शिवचरणदास (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटमोशन भीलवाड़ा जिले में पुलिस की अव्यवस्था पर विचार करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन है कि आज भीलवाड़ा जिले के अन्दर भीलवाड़ा जिले के नागरिकों को इस आजादी के अन्दर भी बिल्कुल यही महसूस होता है कि जैसे हम किसी प्रजातन्त्र में नहीं बल्कि एक पुलिस के शासन के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसका कुछ प्रमाण उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वह यह

(श्री शिवचरणदास)

है कि सन् ५७ में गंगापुर नगर के अन्दर एक ४०६ का केस पुलिस थाने में दायर हुआ था। उसको आज सम्भवतः १५ महीने होने आये हैं और उसका अभी तक पुलिस चालान नहीं कर सकी है। जब कि उसके लिये वहां के नागरिकों ने एस. पी. और आई. जी. पी. तक की काफी सिफारिशें की हैं और निवेदन किया है कि यह एक ऐसा केस है जिसका सम्बन्ध वहां के सब नागरिकों से है और इसका उन सभी के ऊपर असर पड़ता है। यदि यह केस पुलिस द्वारा चालान नहीं होता है तो इसके फलस्वरूप पुलिस द्वारा और भी आगे कई एक इस तरह के अत्याचार हो सकते हैं। लेकिन इस पर भी अब तक पुलिस की तरफ से इस केस का चालान नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं अभी कुछ दिन पहले एस. पी. से मिला और उनसे भी इस विषय में मैंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह केस अब जल्दी ही चालान किया जा रहा है। लेकिन मुझे उनकी बातों से कुछ ऐसा भी मालूम पड़ा कि सम्भवतः मैं इस मुकदमे के चालान की पैरवी करने में गलती खाता हूँ और वह यह है कि पुलिस इस केस का चालान नहीं करना चाहती और उसका कुछ ऐसा कारण बताया गया कि चुनावों के समय में आप भूल गये कि जब हमारे प्रधान मन्त्री जी ने यह संकेत किया था कि वहां के नागरिकों को उन्होंने कहा कि भाई याद रखो आज मैं तुम्हारे यहां प्रचार के लिये आया हूँ और तुम मेरी अवहेलना करते हो। गंगापुर नगर इससे कोई फायदा नहीं उठा सकता। तो मुझे भी उस बात की याद आई और जब इस चालान को करने में देरी और ढील पड़ गई तो मैं बिलकुल इस पर विश्वास कर गया हूँ कि वास्तव में इसमें कोई विशेष रहस्य है और उसी के कारण इसका चालान नहीं किया जाता। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं उस नगर के लिए निवेदन करूं कि वहां एक ट्रक ७२३ आर. जे. ई. नम्बर की थी इससे अभी करीब एक ही महीने पहिले एक एक्सीडेन्ट हुआ और उस एक्सीडेन्ट से पांच आदमियों की हत्या हुई, किन्तु यह मुकद्दमा पुलिस के द्वारा वहां पर दाब दिया गया और उसका भी पुलिस ने कोई सही नतीजा नहीं दिया। इसके पश्चात् दूसरा एक्सीडेन्ट उसी मोटर के द्वारा फिर अभी करीब ५ महीने पहले हुआ और उसमें भी एक मुसलमान की हत्या हुई और कुछ लोग घायल हुये पर किसी का भी चालान नहीं किया गया।

३ म०प०

इसके पश्चात् अभी २३–१–५८ को नगरपालिका के ऑफिस का ताला टूटा और जब ताला टूटने के बाद पुलिस का ध्यान खींचा गया लेकिन आज तक पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब जनता की तरफ से इसके ऊपर काफी तार वगैरह दिये गये, संबन्धित कलेक्टर को भी निवेदन किया गया, लेकिन आज का दिन पहला है कि उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। २३–१–५८ के ठीक दूसरे दिन २४-१-५८ को नगर में १३ ताले एक रात में टूटे हैं और उसका भी अब तक पुलिस चालान नहीं कर सकी। उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। यह वहां की स्थानीय पुलिस का हाल है। आखिर इसका कारण मेरी समझ में आता है, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि मैं निवेदन करूं कि १० महीने में वहां ५ थानेदार का तबादला किया गया। जहां कहीं तबादले का प्रश्न आता है, हमारे यहां शासन की तरफ से उत्तर दे दिया जाता है कि आप ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेंगे और कर्मचारियों पर छींटा–

(श्री शिवचरणदास)

कशी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रबन्ध में रोड़े अटकेंगे, लोग हताश होंगे। लेकिन एक तरफ हमारी पुलिस की यह हालत है और दूसरी तरफ १० महीनों के अन्दर ५ थानेदारों का तबादला किया गया है। किसी को तीन महीने रखा गया है, किसी को ५ महीने रखा गया है और किसी को एक महीना रखा गया है। इस वक्त जो स्थानीय सब इन्सपेक्टर्स हैं यह सब कार्यवाही उनकी तैनाती में हो रही है और उसके लिए जनता चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जिससे कि ऐसी शिकायतों की विपत्ति में हमें न पड़ना पड़े। लेकिन हमारी सरकार और पुलिस बिल्कुल अनभिज्ञ सी बनी हुई है।

इसी तरह से एक विशेष निवेदन करना है कि वहां उस डिस्ट्रिक्ट में टाणाग्राम करके एक कस्बा है और वहां पर १४–११–५७ को हेमराज महाजन की हत्या हुई। उस हत्या की एक विचित्र कहानी है। उसमें जो एक सब इन्सपेक्टर मुकदमे की तफतीश के लिये गये कि वहां पर इन्सपेक्टर साहब तफतीश में शरीक हुए। न मालूम क्यों अचानक तफतीश के कागजात उन्होंने ले लिये और तफतीश का नतीजा यह हुआ कि अब तक

(घंटी)

मुलजिमान का पता नहीं। यद्यपि उस केस में इन्होंने एक चालान दिया है, लेकिन ठीक कार्यवाही तक इस सम्बन्ध में तफतीश के वक्त में शिकायत हुई थी, संभवतः वह भ्रष्टाचार आई. जी. पी. तक पहुंचा हो और हमारी सरकार तक पहुंचा हो, और इस सिलसिले में कुछ जानकारी सरकार ने प्राप्त की या नहीं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस कार्यवाही के कागजात उनसे अवश्य ले लिये गये। उनका तबादला अवश्य कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन ५०० रुपयों के लिए सरकार की तरफ से या आई. जी. पी. भ्रष्टाचार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

इसके आगे एक शाहपुरे में मास्टरों की ट्रेनिंग में एक श्री ओंकारसिंह नाम के व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए गये हुए थे। ३-१२-५७ को डाकुओं के द्वारा उनको उड़ाया गया और उसकी इत्तिला पुलिस में हुई और वारिसान को पता किया गया। पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई और वह लाश ६-१२-५७ को विजयनगर स्टेशन के पास रेल्वे पुल के ऊपर इस तरह से कोई डाल गया जैसे वह चाहते थे कि यह हत्या किसी व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि इस तरह से उस लाश को डाला गया था, उस लाश से पता चलता है कि वे कत्ल करने वाले व्यक्ति वंचित (महफूज़) रहे, और ऐसा लोगों को मालूम हो कि रेल से शायद उनकी हत्या हुई हो। लेकिन मौके का फोटो लिया गया तो उससे स्पष्ट जाहिर है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस तरह से उस लाश की यह स्थिति

(घंटी)

थी कि उसको इस तरह से पुलिया के अन्दर फंसाया हुआ था। सिर उसका दूसरे शरीर से इस तरह से जुड़ा हुआ था कि यदि रेल्वे से कटता तो रेल्वे के साथ घसीटा जाना चाहिये। उसके दूसरे अंग प्रत्यंग भी कट जाने चाहिये। इस तरह से न दिखलाई पड़े कि तलवार से कटा हुआ सिर अलग हो और फिर जोड़ दिया गया हो उसके लिए सम्बन्धित पुलिस को काफी निवेदन किया गया, लेकिन उसके मुलजिमान का पता नहीं लग सका और आज दिन तक पता नहीं चल रहा है

(श्री शिवचरणदास)

और सन्तोषजनक उत्तर हमारी पुलिस की तरफ से नहीं मिलता है, उपाध्यक्ष महोदय।

तो यह कटमोशन मैंने इन सारी स्थितियों को लेकर इस सदन के समक्ष रखा है कि ऐसी व्यवस्था और अनियमितताएं हमारी पुलिस की तरफ से बर्ती जाती हैं उससे हम क्या उम्मीद करें कि हमारे जान व माल की हमारी पुलिस रक्षा कर सकती है। इसलिए यह कट-मोशन सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। उसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित).

श्री चन्दनमल वेद।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह : May I use proxy.

श्री उपाध्यक्ष : No proxy be allowed.

(विराम)

श्री बालमुकुन्द।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : केवल 'उपाध्यक्ष महोदय' में ही आपने दो मिनिट ले लिये। केवल पांच मिनिट का समय है।

(हंसी)

श्री गिरधारीलाल : बोलने नहीं देते हैं, मेरा क्या कुसूर है?

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक कटमोशन रखा है और उस कटमोशन के रखने का आशय यह है कि आज दिन राजस्थान में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भ्रष्टाचार निवारक बोर्ड की स्थापना की गई है, उस बोर्ड पर लाखों रुपया सालाना खर्च होता है, लेकिन जिस ढंग से पैसा खर्च होता है और जो हमें आशा थी बोर्ड से, जो हमें माननीय मुख्यमंत्री से और वर्तमान सरकार से आशा थी कि इस तरह से यह भ्रष्टाचार खत्म होगा जो राज्य के अन्दर फैला हुआ है। वह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जिस दिन से बोर्ड की स्थापना की गई, उसके बाद से आज दिन तक के अगर आंकड़े देखें तो उसमें बढ़ोतरी ही हुई है, न कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है, इसमें कोई ना नहीं कर सकता। इसको इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने माना है और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी माना है और सारा सदन इसको मानता है कि राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। इसे मुख्य मंत्रीजी मानें या नहीं मानें, उनके नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यदि उन्होंने इसे बिल्कुल नहीं माना होता तो भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड की स्थापना करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस बोर्ड ने आज तक क्या प्रगति की इसका पता नहीं है? इस बोर्ड के लिये आई. जी. पी. बम्बई से बुलाये गये हैं। उन्होंने आते ही एक दो केसेज़ पकड़े थे। उसके बाद आज तक उन्होंने क्या प्रगति की, कितना भ्रष्टाचार

(श्री गिरधारीलाल)

खत्म किया इस बारे में इस सदन के सामने कोई आंकड़े नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि या तो मुख्य मंत्री महोदय ने या वर्तमान सरकार ने इस सदन को अनभिज्ञ रखना चाहा है या इस बोर्ड ने किसी प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त की है, ये दो ही बातें समझ में आती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बोर्ड कहां तक सफल हुआ है इसका एक ही उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

कुछ महीनों पहले की बात है बीकानेर के अन्दर एक औरत। जिसका नाम राजकुमारी था उसका देहान्त हो गया; उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसके पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति थी, लाख दो लाख की नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की संपत्ति थी और उसने मरते वक्त अपना एक वसीयतनामा लिखा जिसके अनुसार कुछ रुपये धर्मादे खाते रखे और उसने एक आदमी को गोद लिया था उसको कुछ रुपये देने को लिखा और कुछ रुपये उसने अपनी बहिन-बेटियों को दिया। इस प्रकार से उसकी संपति का बंटवारा करने के लिये उसने २ आदमियों को ट्रस्टी रखा। उपाध्यक्ष महोदय, वे दोनों ट्रस्टी बीकानेर के बहुत बड़े सेठ हैं, उनका नाम यदि आप जानना चाहेंगे तो बता सकता हूं। लेकिन हुआ यह उपाध्यक्ष महोदय, कि जो औरत गुजरी उसके पास करोड़ों रुपयों की संपति थी उस संपति की बाद में जिन ट्रस्टियों ने लिस्ट दी गवर्नमेंट को उसमें ७ लाख ३४ हजार रुपयों की संपत्ति बतलाई और कहा कि इतनी संपत्ति निकली है। एक व्यक्ति जिसका नाम बंशीलाल मालू है उसने राज्य सरकार को कई बार लिखा कि ७ लाख ३४ हजार की लिस्ट दी है, वह सही नहीं है। उस औरत के पति के पास करोड़ों रुपये थे और जब वह मरी है तब भी उसके पास करोड़ों रुपये थे और जो ७ लाख ३४ हजार की लिस्ट दी गई है वह गलत है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस है कि जिन व्यक्तियों ने लिखा-पढ़ी की थी उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह कोई छोटा-मोटा, लाख दो लाख रुपयों के गबन का केस नहीं था। यह नाथद्वारा कांड से भी बदतर था जिसमें ७०–८० लाख रुपयों का गबन हुआ है और वह भी एक व्यक्ति द्वारा नहीं। यदि इसकी जांच की जाय तो राज्य के बहुत बड़े-बड़े अधिकारी फंसेंगे। राज्य के अधिकारियों के पास जो लिस्ट पेश हुई है उसमें जवाहरात, चांदी की सिल्लियें आदि जो चीजें उसके पास थीं उसका जिक्र ट्रस्टियों ने जो लिस्ट पेश की है उसमें नहीं है, लेकिन यहां के अधिकारियों ने इसकी कोई जांच नहीं कराई....

श्री उपाध्यक्ष : आपका एक और भी कट मोशन है उस पर भी शायद बोलना है।

श्री गिरधारीलाल : (जारी) हां, है साहब।

उस व्यक्ति ने भारत सरकार के गृह मंत्री पंडित पंत को इसकी सूचना दी। जब पंतजी को सूचना दी गई तब उन्होंने यहां के मुख्य मंत्रीजी को लिखा कि क्या बात है! इतने रुपयों का गोलमाल कैसे हुआ ! ७०–८० लाख रुपयों का मामला है तो इसकी जांच क्यों नहीं होती ? लेकिन इसके बाद भी मुख्य मंत्रीजी ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की। मुझे पता है इन ट्रस्टियों ने हीरे, जवाहरात और अन्य चीजें बम्बई, कलकत्ता जाकर बेची हैं। आज ५,६ महीने हो गये, क्या सरकार

(श्री गिरधारीलाल)

और क्या भ्रष्टाचार निरोधी बोर्ड जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं और जिसके बारे में मैंने अपना कट मोशन रखा है, कोई कार्यवाही करने में सफल नहीं हुए हैं। इस बोर्ड से जो लिखा-पढ़ी इस बारे में की गई उसकी कोई जांच नहीं की गई जब कि ७०–८० लाख रुपयों का मामला था। हम जानते हैं कि जो विधवा थी उसके आगे-पीछे कोई नहीं था और जो वसीयतनामा लिखा गया वह गलत लिखा गया, कहें तो मैं उसको यहां पेश कर सकता हूं लेकिन यह कानून का पॉइन्ट है। वसीयतनामे को देखा जाय तो सारी की सारी संपत्ति गवर्नमेन्ट की होनी चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके अंदर वहां के कांग्रेसी नेता और वहां के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी और हो सकते हैं, यहां तक जयपुर के बड़े बड़े व्यक्ति इसमें फंसे हैं। यही कारण है कि उसकी जांच नहीं हो रही है, यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। मैंने भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड का जैसा जिक्र किया, उस पर लाखों रुपये खर्च होते हैं फिर भी जो महत्वपूर्ण केस था उसके बारे में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, आखिर बात क्या है ? आखिर हमने भ्रष्टाचार निरोधी बोर्ड की स्थापना की है यदि वह इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में कार्यवाही नहीं कर सकता तो क्या आवश्यकता है गरीब जनता के खून और पसीने की कमाई के ४ लाख रुपये इस पर खर्च करने की ? क्यों नहीं इस रुपये को निर्माण के कार्य में लगाया जाय ?

इसी प्रकार की एक और बात है। बीकानेर के एक प्रमुख कांग्रेसी व्यक्ति हैं, उनको सभी मानते हैं, बीकानेर डिविज़न के सभी लोग जानते हैं, पहले विधान सभा में भी इस बारे में चर्चा हुई है कि वे अपने भाई-बंधुओं से तस्कर व्यापार कराते हैं। इसकी भी सूचना दी गई लेकिन कोई जांच नहीं होती है। इसी प्रकार के कई उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसने कहां तक भ्रष्टाचार मिटाया है उसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसलों में भ्रष्टाचार निरोधी बोर्ड ने क्या कार्यवाही की और जब से इसकी स्थापना हुई तब से अब तक कितने व्यक्ति पकड़े गये और कितने मुलजिम छूटे और किस किस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई इस प्रकार के आंकड़े आते तो पता चलता। मेरे दो कट मोशन्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है, पुलिस कॉन्स्टेबल्स की तनख्वाह के बारे में बहुत लोग बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल : मुझे भी बहुत कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : ३॥ बजे इसको खत्म करना चाहते हैं, संक्षेप में कहिये।

श्री गिरधारीलाल : (जारी) मैं होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आंकड़े दें और यदि आंकड़े नहीं दे सकते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप सदन को अंधेरे में रखना चाहते हैं और लाखों रुपये जो खर्च होते हैं वे बेकार जाते हैं। आपने इस बोर्ड की स्थापना की है जिसके मेम्बर पुलिसवालों को रखा है लेकिन पुलिस में ही सब से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उसी को आपने दूसरा नाम दिया है। भ्रष्टाचार राज्य में फैला हुआ है इसको हर व्यक्ति जानता है। आपने बम्बई से आई,

(श्री गिरधारीलाल)

जी. पी. को बुलाकर रखा है, उनको युधिष्ठिर माना है । आपने शायद सोचा होगा कि ये युधिष्ठिर रहेंगे तो यह बीमारी अपने आप दूर हो जायगी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपका ख्याल शायद गलत था । आप देख रहे हैं इन युधिष्ठिर महोदय के आने के बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कुछ हद तक यदि नहीं बढ़ा है तो आप अंधेरे में हैं । मैं समझता हूं, भ्रष्टाचार निरोधी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है ।

मेरा जो दूसरा कटमोशन है उसे कई दूसरे सदस्यों ने भी रखा है । वर्तमान सरकार अपने आपको समाजवादी सरकार कहती है, अपने आपको कल्याण कारी सरकार कहती है । समाजवाद के अर्थ क्या हैं, इस बारे में लोगों की भिन्न भिन्न राय हैं लेकिन सबसे मोटी बात यह है कि समाजवाद का अर्थ लोग आम तौर से यह लगाते हैं, सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि इसमें शोषण नहीं रहना चाहिए । समाजवाद का सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि समाजवाद के अन्दर शोषण खत्म होना चाहिए । जो आदमी काम करता है, उसको पेट भर कर खाना मिलता है, जो आदमी काम नहीं करता है, वह खाली पेट रहता है, उसको खाना नहीं मिलता है यह समाजवाद का सबसे बड़ा सिद्धान्त है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, फोर्थ क्लास कर्मचारियों को पुलिस में जो तनख्वाह वर्तमान सरकार देती है, वह ४० व ५० रुपये देती है । उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार की तनख्वाह से, इस जमाने में, जब कि मंहगाई मुंह बाये खड़ी है, एक पुलिस कॉन्स्टेबल अपने बच्चों का, अपनी बीबी का और अपना पेट पाल सकता है ? अगर नहीं पाल सकता है तो यह आपके लिए ही लज्जास्पद नहीं है बल्कि मानवता के खिलाफ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय .. ....

(बाधा)

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

आप आरम्भ रखिये, यह आपका प्रश्न नहीं है, आप आरम्भ करिये ।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो ४५ रुपये तनख्वाह ......

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय नहीं हैं ।

श्री गिरधारीलाल : जब आप ४५ रुपये तनख्वाह के देते हैं और उससे चौबीस घंटे काम लेते हैं तो यह मानवता के खिलाफ है । आप एक तरफ समाजवादी सिद्धान्त को मान चुके हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार का शोषण समाजवाद के अन्दर हो रहा है, पुलिस के छोटे छोटे कर्मचारियों पर अन्याय कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं हैं । आपको दो घोड़ों पर सवार नहीं होना चाहिए । आप गांवों में वोट मांगने के लिए जाते हैं, जब समाजवाद के बड़े बड़े सिद्धान्त जनता के सामने रखते हैं कि हम पूंजीवाद को खत्म करेंगे । मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार पूंजीवाद का पोषण कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार.......

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर).

श्री उपाध्यक्ष : Please do not disturb the House.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि ट्रेज़री बेंच पर कोई नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विश्वास रखिये। Hon'ble Members, to please maintain the decorum.

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मैं बताऊं कि वर्तमान समय में छोटे छोटे कर्मचारियों की इतनी कम तनख्वाह है और कुछ व्यक्ति, जो चन्द मिनट काम करते हैं, उनको हजारों रुपये तनख्वाह के मिलते हैं। इस नीति से आप समाजवाद लाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि तनख्वाह में जो डिफ्रेंन्स है, उसको खत्म करना पड़ेगा (घंटी) अगर नहीं करते हैं, मेरा मतलब यह है कि अगर समाजवाद के सिद्धांत को नहीं मानते हैं.......

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ टाइम मैं और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Within the premises of the House there is an Hon. Member of the Treasury Benches. I crave your indulgence at the same time.

मेरा ख्याल है कि अब आप समाप्त करिये।

श्री बालमुकुन्द।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रजातन्त्र प्रणाली के ऊपर चलने वाले पुलिस विभाग के बारे में कुछ कहूं, जिसके हाथों में जनता की जान व माल की हिफाजत सुपुर्द है। इस पुलिस विभाग के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों ने काफी गम्भीर विचारों के साथ में प्रकाश डाला है। मैं भी इस पुलिस विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। डूंगरपुर के अन्दर अधिकांश गरीब जनता है। इस गरीब जनता के साथ में पुलिस का किस प्रकार का व्यवहार है, इस बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। हमारे धम्बोला थाने में एक थानेदार साहब रहते हैं, अभी हाल ही उनका ट्रान्सफर कहीं हुआ है। इनके खिलाफ डामली गांव के कुछ लोगों ने यह शिकायत की थी कि उन्होंने हमारे से रिश्वत का रुपया वसूल किया। यह शिकायत भ्रष्टाचार बोर्ड के पास में पहुंची भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड ने इस मामले में क्या कार्यवाही की, यह नहीं पता। पर यह सत्य है कि उन भीलों से, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, ऐसे लोगों से पुलिस कर्मचारी ने, यह सत्य है, ४०० रुपये वसूल किये हैं।

दूसरा एक केस उसी थाने का है। वहां एक लक्ष्मणसिंह, हैड कॉन्सटेबल है, वह डेढ़ महीने पहले गन्धवा गांव में जाता है और वहां एक देवा नाम का आदमी है और जिस तरह से श्री फतहसिंह और मेरे पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने घटनायें बतलाकर आरोप लगाये हैं, उसी प्रकार की यह घटना है, उसे बार-बार इस सदन में कहना अच्छा नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वह व्यक्ति घर पर नहीं था, यहां वह पुलिस कर्मचारी जाता है, वहां उस व्यक्ति की औरत और लड़की घर पर मिलती है, उनके साथ वह कर्मचारी मार-पीट करता है और मारपीट करके तात्कालिक पुलिस कस्टडी में उन्हें बैठा देता है उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन उस घर की तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के बाद जो जेवर मिलता है, उसको पुलिस के पास में रखा जाता है। फिर दूसरे दिन न मालूम क्या मसविदा किया और करके वे जेवर उनको वापिस लौटाये जाते हैं। इस प्रकार के पुलिस

(श्री बालमुकुन्द)

के छोटे-छोटे कई केस हैं, जिनको इस सदन में रखना अच्छा नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस कर्मचारियों का अभी भी जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। आम तौर से यह कह सकते हैं कि इस प्रजातन्त्र के अन्दर पुलिस का व्यवहार जनता के साथ अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार जनता के साथ अच्छा नहीं है।

एक घटना ग्राम बेरा में हो गई थी। एक बजा नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति को किसी शंका पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके थानेदार उसे थाने में ले जाता है। थाने में उसे लेजाकर उसकी मार पीट करता है, शराब पीकर उसकी मार पीट करता है, उससे भी तसल्ली नहीं होती है, तो यह स्थिति और रूप धारण करती है, उसे मैं यहां कह नहीं सकता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उसके विशेष अंगों के साथ थानेदार ने किस प्रकार की कार्यवाही की, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार ये पुलिस के हथकंडे हैं जो प्रजातन्त्र प्रणाली पर चलने वाली हमारी सरकार के लिए शोभायमान नहीं होंगे।

(घंटी)

इन शब्दों के साथ में अपना कट मोशन पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे चार कट मोशन्स हैं, एक कट मोशन पुलिस की हाई हेन्डेडनेस के बारे में है, जो नं० ४८ है, दूसरा नं० ४६ है जो इन्सीडेन्ट के बारे में है, तीसरा नं० ५० है, जो पुलिस सब इन्सपेक्टर के रिवर्शन के बारे में है और इसके बाद नं० ५५ है जो एन्टी करप्शन ब्रान्च के बारे में है; इन चारों कट मोशन्स को मैं एक साथ मूव करता हूं।

जहां तक पुलिस की हाई हेन्डेडनेस का सवाल है, उसके सम्बन्ध में मैं विशेष उदाहरण देना नहीं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि पुलिस की हाई हैन्डेडनेस के बारे में इस सदन के सामने मेरे कई माननीय सदस्य पहले कई मिसालें पेश कर चुके हैं। इस सम्बन्ध में एक बात की तरफ मैं सिर्फ सदन का ध्यान और साथ ही साथ मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी जो पुलिस है उसका एटीट्यूड जनता के साथ है, वह वैसा ही है जो आज से १० साल या १५ साल पहले का एटीट्यूड था। जो एटीट्यूड लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने का था, वह जनता के साथ आज भी है। आज भी जनता के ऊपर पुलिस के नाम से बहुत आतंक रहता है। जब कि सही मायने में पुलिस का काम यह होना चाहिए कि वह जनता की सेवा करे, न कि उनके दिल में दहशत पैदा करे। एक मिसाल मैं जरूर इस मामले में देना चाहता हूं और जिसको मैं एक्सट्रीम केस मानता हूं। कुछ दिनों पहले, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने एक प्रश्न आया था कि अजमेर की म्यूनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों ने सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह के बारे में हमारी राजस्थान की पुलिस ने रिकॉर्ड रखा है। इन सत्याग्रहियों को अरेस्ट करके उनको सुसाइड एक्ट के अन्दर प्रोसीक्यूट किया गया और एक हफ्ते के अन्दर सजा दे दी गई। आज तक हिन्दुस्तान में एक भी मिसाल नहीं है, अंग्रेजों के जमाने की भी कोई मिसाल नहीं है कि जब सत्याग्रह किया जाता है, भूख हड़-

(श्री पी० के० चौधरी)

ताल की जाती है तो हन्गर स्ट्राइक करने वालों को हन्गर स्ट्राइक करने की वजह से प्रोसीक्यूट किया गया हो........

श्री उपाध्यक्ष : आप किस कट मोशन पर बोल रहे हैं ? To discuss the action of the police in prosecuting Ajmer Municipal employee hunger strikers ?

श्री पी० के० चौधरी : I am speaking on, to discuss the high-handedness of the police towards public,

श्री उपाध्यक्ष : That is something different. आप आरम्भ रखिये ।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल दे रहा था, जो आज तक किसी जगह, अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुई है । हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं है, जिसमें जो हंगर स्ट्राइक करता है, भूख हड़ताल करता है, उसको फोर्स फीडिंग किया है, लेकिन सुसाइड एक्ट के अन्डर कन्विक्शन नहीं हुआ है । लेकिन इस केस में पुलिस ने सुसाइड एक्ट में प्रोसीक्युशन करके १५ दिन के अन्दर कन्विक्शन कर दिया है तो मैं एक मिसाल बता रहा हूं, यहां पर हम रेकॉर्ड रख रहे हैं, जैसे जैसे कहते हैं कि हम वैलफेअर स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस की तरफ से बताता हूं कि किस प्रकार से रिट्रोग्रेड एक्शन लिया जाता है ।

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं अजमेर पुलिस के बारे में । मैंने खुद ने हजार, पांच सौ आदमियों के दस्तखत करवा कर खुद होम मिनिस्टर साहब को रिप्रेज़ेन्टेशन दिया था कि वहां की पुलिस आम लोगों को बुला कर मार-पीट करती है । उसके जवाब में डी. आई. जी. से चिट्ठी को पढ़ाया, जिसमें लिखा है कि जिन लोगों ने दस्तखत किये हैं उन्होंने कोई खास कॉन्क्रीट बात नहीं कही है और साबित भी नहीं हो सकता और इसमें एक–दो आदमियों के दस्तखत हैं जो गुन्डे हैं । किसी सदन का सदस्य होम मिनिस्टर को दर्खास्त दे और डी. आई. जी. की इतनी हिम्मत हो, यह एक आश्चर्य की बात है ! there should be a check for such saying ये रिप्रेजेन्टेशन्स है बेबुनियाद हैं, यह एटीट्यूट बताता है कि पुलिस का जनता के साथ किस तरह का एटीट्यूट है । हम साइन बोर्ड लगाते हैं, 'May I help you;' यह स्लोगन है पूरी राजस्थान पुलिस का । पर मैं कहता हूं वास्तव में 'May I harass you.' यह राजस्थान की पुलिस का स्लोगन है ।

दूसरी बात मैं माननीय उपाध्यक्ष, कहना चाहता हूं और उस विषय में कहना चाहता, हूं फोटोग्राफ्स पेश करना चाहता हूं । कुछ दिनों पहले डायना का बास में पुलिस के अत्याचारों के बारे में कहा था कि एडीशनल मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी कराने के बाद में जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय । डायना का बास में जो हत्याकाण्ड हुआ, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता कुछ फोटोज़ सदन की मेज पर रखना चाहता हूं....

श्री रामकिशोर व्यास : Just a minite. The matter is sub-judice. I think it should not be discussed.

श्री उपाध्यक्ष : If the matter is sub-judice, then I shall have to disallow the photographs to be placed on the table.

Page No.84

श्री पी० के० चौधरी : The matter is not sub-judice, only a departmental enquiry is going on.

श्री उपाध्यक्ष : Is it investigation?

श्री पी० के० चौधरी : It is departmental investigation.

श्री उपाध्यक्ष : If it is being conducted by a magistrate, then it is supposed to be sub-judice.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, it is not a judicial enquiry.

श्री उपाध्यक्ष : Is it under certain section of the Criminal Procedure Code?

श्री पी० के० चौधरी : मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जब तक वह केस किसी कोर्ट में जांच के लिए नहीं होता है तब तक सबजुडिस नहीं कहा जा सकता...

श्री उपाध्यक्ष : These are my observations. If the matter is being investigated under Cr. P. C. then the proceedings are sub-judice and you will proceed with the other ustectsay the cleliate excluding this.

श्री पी० के० चौधरी : Will the Hon. Minister Pleae state under what section the case has been filed and under what section......

३.३४ म० प०

(श्री रामचन्द्र सभापति, पदासीन)

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन तो जुबानी नहीं बता सकता, पर धारा सी. आर. पी. सी. की है।

श्री पी० के० चौधरी : तो सभापति महोदय, इस पर मैं कहना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तसवीरें पेश करना चाहता हूं ; पहली तसवीर है मासूम बच्चों की, आदमियों की जो पुलिस की गोलियों से आहत हुए थे, दूसरी तसवीर है औरत की जिसके गोली लगी थी।

श्री रामकिशोर व्यास : The Chair has already given a ruling against discusing it.

श्री पी० के० चौधरी : I have explained and the Chair has allowed it. Half the pictures have been submitted already.

श्री सभापति (श्री रामचन्द) : मामला जेर तजवीज है तो उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए, आप किसी और विषय पर बोलें।

श्री पी० के० चौधरी : मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन की मेज पर तस्वीरें पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, इस मामले पर तो इस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते।

श्री पी० के० चौधरी : दूसरी तस्वीर है राइबन की हत्या हुई थी और औरतों की हत्या हुई थी।

श्री सभापति : चूंकि चेअर की ओर से फैसला कर दिया गया है, तो जो जेर तजवीज मामला है उस पर नहीं बोलिये; और कोई मामला हो उस पर बोलिये।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं इस पर बोल नहीं रहा हूं, यह कॉन्टेन्शन है, यह मामला सबजुडिस

Page No.85

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं है, किसी कोर्ट में यह केस नहीं चल रहा है, इसकी किसी कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रही है, सिर्फ मन्त्री महोदय ने कह दिया कि केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में फर्क होता है। यह मामला न सबजुडिस है, न कोई इसकी ट्रायल हो रही है।

श्री सभापति : अगर कोर्ट में नहीं होगा तो मन्त्री महोदय के दफ्तर में इसकी तहकीकात हो रही होगी। तहकीकात नहीं हो जाय तब तक उस पर बोलने का अधिकार नहीं है।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : माननीय सभापति महोदय, यह मेरी मान्यता है कि जब तक ट्रायल नहीं चल रही हो, किसी कोर्ट में ट्रायल नहीं होती तब तक कोई केस सब जुडिस नहीं माना जाता। डिपार्टमेंटल तहकीकात है, उसके बारे में सदन में कहने का सदन के सदस्यों को अधिकार है।

श्री रामकिशोर व्यास : When shri Acharya was on the Chair he gave certain ruling. You should obey it.

श्री पी० के० चौधरी : No. There was no ruling. It was in the process. You gave a statement and before I could give a counter-statement, the Upadhyaksha left the Chair and the Hon. Chairman is there. So there was no ruling.

श्री रामकिशोर व्यास : The Chairman also gave the same ruling.

श्री पी० के० चौधरी : I am putting the same to the Chairman. I is not dignified that the Hon. Minister disturbs me...

श्री सभापति : मेरी रूलिंग यह है कि चूंकि यह मामला जेर तजवीज है, कृपा कर आप इस विषय पर टीका न करें; और कोई विषय हो वह लीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा कि ट्रायल हो रही है, मैं निवेदन करता हूं कि इसकी ट्रायल नहीं हो रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी गुंजायश है कि फैसला हो जाय।

श्री सभापति : इसका रूलिंग दे दिया गया है तो इस विषय को न लेकर दूसरा ही विषय रखिये तो बेहतर होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : On a point of information, Sir, मन्त्री महोदय ने गलत सूचना दी है कि अदालत में सबजुडिस है। यह केस सबजुडिस नहीं है, इसकी फिर से जांच की जाय, मन्त्री महोदय ने गलत सूचना दी है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात आ गई है कि यह किस स्टेज पर है, तजवीज और पूरा ध्यान रखा जा रहा है; तो यह तो जेर ही माना जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह जेर इन्वेस्टीगेशन है, सब जुडिस नहीं है; फिर मन्त्री महोदय की गलत सूचना पर रूलिंग दे दी जाय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसकी दुबारा जांच की जाय।

श्री सभापति : यह कैसे मान लिया जाय कि मन्त्री महोदय ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वे भी जिम्मेदारी के साथ सदन में

(श्री सभापति)

बोल रहे हैं। आपके कहने से कैसे मान लिया जाय कि उन्होंने गलत इन्फार्मेशन दी है ? चेअर से इस विषय में रूलिंग दी गई है कि कृपया अपनी बात किसी दूसरे विषय पर रखिये, समय निकलता जा रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह कौन सी अदालत में जेर तजवीज़ है यह बता दीजिये ।

श्री सभापति : बातें ऐसी होती हैं जैसे पुलिस केसेज़ कोई खास कॉन्फीडेन्शियल बात हो, उसको सदन में रखना मुनासिब नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : एडीशनल कलेक्टर भरतपुर की इन्क्वारी में है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एन्क्वायरी में है, सबजुडिस नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : यह केस सब जुडिस नहीं है। मन्त्री महोदय जो इन्टरप्रिटेशन दे रहे हैं वह गलत है। सब जुडिस नहीं है, मन्त्री महोदय इसे सब जुडिस कहेंगे तो गलत मानूंगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी बात न मान कर चेयर का कहना तो मानें।

श्री सभापति : जब चेअर की तरफ से यह रूलिंग दिया गया है तो आप इस पर इतनी जिद्द क्यों कर रहे हैं ? १६५ की १२ वें धारा में लिखा है कि :

"It shall not ordinarily seek to raise a discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission or Court or Enquiry appointed to enquire into or investigate any matter."

श्री बहादुरसिंह : आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया।

श्री जनार्दनराय नागर : On a Point of Order, Sir; Mr. Chairman, Sir, I think the time for cut motions was fixed for 3.30, and it is more than 3.30.

श्री सभापति : यह समय ४ बजे तक बढ़ा दिया गया है।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : चेअरमैन महोदय, मैं सिर्फ मिसाल ही दे रहा था और टिपिकल मिसाल दे रहा था जहां पर पुलिस ने भूख हड़ताल करने वालों पर जुल्म किये और सुसाइड एक्ट में उनको पकड़ा। पुलिस किस तरह से मासूम बच्चों पर गोली चलाती है उसकी तस्वीर मैंने पेश की है और भी कई मिसालें मेरे पास हैं मगर मैं दे नहीं रहा हूं। मैंने यह कट मोशन इसलिये गवर्नमेंट के सामने रखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कम से कम पुलिस वालों को यह शिक्षा तो दी जावे कि: 'May I halp you' के बजाय वे जनता के लिये, 'May I harass you' तो न बने।

दूसरी बात सदन के एक माननीय सदस्य ने जो रेप के केस का जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि यह एक शर्मनाक वाकिया है और जिस पुलिस अधिकारी की तरफ से यह रेप केस हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जावें।

दूसरी बात मैं पुलिस की इनएफिशियेन्सी के बारे में कहूंगा, जो मेरा सैकिन्ड कट मोशन

(श्री पी० के० चौधरी)

है। बन्दूखां के घर पर एक्सप्लोज़न का केस हुआ, उसके बारे में कहना चाहता हूं। बन्दूखां अजमेर में ख्वाजा की दरगाह के पास रहता था, उसके घर में आग लगी। ११ फरवरी को एक्सप्लोज़न होता है और उसमें ७ आदमी उस घर में थे उनमें से ५ आदमी मर गये। लेकिन उसके लिये पुलिस की तरफ से न तो इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी हुई, न कोई किसी प्रकार का केस रजिस्टर हुआ। सिर्फ उन्होंने रेल्वे ऑफिसर के बयान लेकर छोड़ दिया। जब इन्फ्लेमेबल चीजों से आग लग जाए या एक्सिडेन्ट होता है और उसमें ५ आदमी मर जाते हैं मगर कोई तहकीकात नहीं होती ! इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? दर असल बात ऐसी है कि बुन्दूखां रेल्वे में काम करता था। रेल्वे का यह नियम है कि जब कभी मेटिलेटेड स्प्रिट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो पैसेन्जर ट्रेन से नहीं भेजा जाता। लेकिन वह रेल्वे कर्मचारी है। वह फोर्थ क्लास सर्वेन्ट था उसके साथ खुला मेटिलेटेड स्प्रिट ३ या ४ गेलन पैसेन्जर ट्रेन से भेजने के लिये दिया जाता है। यह पेन्टर था। तीन गेलन स्प्रिट कोई अधिकारी कहीं पर इन्सपेक्शन के लिये आने वाला था इसलिये वहां के फर्निचरों पर वारनिश करने के लिये भेजा जाता है। वास्तव में उसको नहीं भेजा जाना चाहिये था पैसेंजर ट्रेन से। भेजना चाहिये था गुड्स ट्रेन से और अच्छी तरह से पेकिंग में। इसके बारे में कोई इन्क्वायरी नहीं कि किसने स्प्रिट भेजा है और भेजा तो गैर तरीके से भेजा हैं या नहीं ?

वह अपने वर्कमैन के साथ भेजता है और उसी कारण वर्कमेन मर जाता है। इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई जांच नहीं हुई। अगर इसका इन्वेस्टीगेशन किया जाता है तो इसमें रेल्वे के एक गजटेड ऑफिसर फंसते हैं। तो यह मैंने मिसाल के तौर पर कहा है। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या किया और इन्क्वायरी के बाद किसको दोषी पाया और दोषी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रामकरणसिंह : यह समय कितना कितना दिया जाता है ?

श्री सभापति : १० मिनिट।

एक माननीय सदस्य : समय पहले से ही मुकर्रर किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : कट मोशन्स बहुत ज्यादा हैं, जितने बोल सकेंगे उतने ही बोलेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : दूसरे लोगों के लिये क्या होगा ?

श्री सभापति : कट मोशन्स बहुत आ गये हैं इस डिमान्ड पर। जो समय निश्चित कर दिया गया है उसके अनुसार यह वाद-विवाद होगा उसके बाद में सरकार की तरफ से जवाब होगा।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, ३॥ बजे का समय मुकर्रर हुआ था मगर अब ३॥ से ऊपर हो गया है।

श्री सभापति : आधा घंटा और बढ़ा दिया गया है।

श्री रामकरणसिंह : समय पहले से ही निश्चित कर दिया जाना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आधे घंटे का समय जो बढ़ाया गया है उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय खड़े खड़े बोल रहे हैं या बैठे हुए ?

श्री पी. के. चौधरी : मेरा तीसरा कट मोशन है अजमेर स्टेट के ६ पुलिस सब इन्सपेक्टरों के रिवर्शन के बारे में। जब इसके लिए एक service integration कमेटी नियुक्त हो गई और यह तय हुआ कि १५ अक्टूबर को मीटिंग हो और जब तक आई. जी. पी. कमेटी बनाकर कोई तजवीज न करे तब तक अजमेर के पुलिस सब इन्सपेक्टरों की एप्रूव्ड लिस्ट है उसके अनुसार प्रोमोशन वगैरह सब कुछ हों। लेकिन उसके खिलाफ जून १९५७ में ७ सब इन्सपेक्टर्स रिवर्ट कर दिये जाते हैं उनके नाम हैं : (१) श्री लालचन्द, (२) श्री गनपतसिंह (३) श्री रामशरण (४) श्री श्रीराम (५) श्री मालूसिंह (६) श्री मोहम्मद शफ़ीक वगैरह। वे रिवर्ट कर दिये गये और दूसरे लोगों को नहीं किया गया, जिनको हम उनके फेवरिट कह सकते हैं।

श्री रामकरणसिंह : चेयरमैन महोदय, दो-तीन कट मोशन्स होते हुए भी कम समय मिला है और ४ कट मोशन्स को भी वही समय मिलेगा ?

श्री सभापति : (श्री चौधरी से) आपका केवल एक मिनिट बोलने का समय बाकी है, एक मिनिट बोलने की इजाजत है।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रूल्स बने हुए हैं और Inter laced seniorty है उसके खिलाफ किया जाता है वह क्यों किया जाता है ? दूसरे लोगों को प्रोमोशन क्यों किये जाते हैं जो सर्विस में सीनियोरिटी में स्टेन्ड नहीं करते ? फेक्ट्रिज्म करते हैं।

चौथा मेरा कट मोशन...

(घंटी)

श्री सभापति : अच्छा है, आप तीन ही पर संतोष करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : चेयरमेन महोदय, मेरा कटमोशन है वह है "मांग संख्या १३ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक २९ पुलिस में से १००) कम कर दिये जावें।" विभाग के संरक्षण, भ्रष्टाचार व तस्कर व्यापार को बढ़ाने में प्रत्यक्ष सहयोग देते हैं इस पर विचार करने के लिये। पुलिस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संरक्षण की है, इसके साथ साथ इसको रखने के लिये इसका उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व को सरकार ठीक तरह से नहीं निभा रही है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और उसके साथ-साथ जो तस्कर व्यापार है उसमें किस प्रकार से मिल कर और खासकर पुलिस के अधिकारी और सत्ताधारी पक्ष के कुछ लोग मिलकर किस प्रकार से षड्यन्त्र कर रहे हैं उसके लिये मैं कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो तस्कर व्यापार होता है और उसमें पुलिस कर्मचारियों का किस प्रकार का रवैया रहा है और उन्होंने अपनाया है इसमें दूसरे लोग जो खासकर सत्ताधारी पक्ष के हैं, मिलकर तस्कर व्यापार को फैला रहे हैं और उससे वे जो धन प्राप्त करके उसको किस तरह से उपयोग करते हैं उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं।

मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले की घटना है। यह खासकर, सोने का तस्कर व्यापार, जो पाकिस्तान से आता है और लेनेवाले किस प्रकार के हैं, वे बीकानेर में किस तरह से कार्य करते हैं उनके सम्बन्ध में कई शिकायतें आई परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई और न कोई उन पर ख्याल किया गया है। कुछ समय पहले की घटना है, एक व्यक्ति ऊंट पर सोने की सिलाएं लेकर आया और बाजार में पेशाब करने बैठता है। उसका ऊंट भरे बाजार में भाग कर चला जाता है।

Page No.89

(श्री मुरलीधर व्यास)

वह भी उसके पीछे भागा। ऊंट मंडी में पहुंच गया और जहां घास की दुकान थी वहां खड़ा हो गया। उसने जाकर ऊंट को पकड़ लिया। उस ऊंट को पकड़ता है और पकड़ने के बाद थोड़ी देर में वह आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और आकर कहता है कि इसके अन्दर मेरी सोने की ६६ सिल्लियां थीं, किन्तु इसमें तो ६० ही रही हैं और ६ सिल्लियें कोई उड़ा ले गया है। तो वह व्यक्ति जो वहीं पर था घास वाला, उससे वह यह कहता है धमकी देता है कि ६ सिल्लियां दे नहीं तो अनूपचन्द कोचर, जो कांग्रेसी हैं, और म्युनिसिपल कौंसिलर हैं, उसको कहता हूं और पुलिस को खबर देकर तुझको ठीक कराता हूँ। फिर वह व्यक्ति वहां से अनूपचन्द के पास जाता है और अनूपचंद कोचर के पास जाकर कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, इतनी सिल्लये कम हो गईं। वह फिर थानेदार को कहता है और थानेदार उस व्यक्ति को बुलाता है। यह कह कर बुलाता है कि छः सिल्लियें निकाल दें, चुपचाप दे दें नही तो ठीक कर दूंगा। फिर वह उसको घर पर बुलाता है, जब वह काम नही होता है तो फिर वह उसको थाने पर बुलाता है, उस दिन उस तरह से काम नहीं होता है, दूसरे दिन बुलाता है, और फिर उसको बुला कर धमकाता है तीसरे दिन बुलाता है और फिर धमकाता है और उसके साथ मारपीट की बात करता है। मेरे कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति ने इस विषय की एक दरख्वास्त दी है और मेरा ख्याल है वह गृह मन्त्रीजी के पास भी गई है। मेरे पास उस व्यक्ति के हस्ताक्षर की दरख्वास्त है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ।

३. ५२. म. प.

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

मै एक गरीब व्यक्ति उदर—पूर्ति करके........

श्री अध्यक्ष : यह क्या दरख्वास्त है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह तस्कर व्यापार से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : किसकी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मूलेखां की।

श्री अध्यक्ष : नकल है या असली ?

श्री मुरलीधर व्यास : उस व्यक्ति के अंगूठे की निशानी शुदा है, असली है।

श्री अध्यक्ष : इस विषय में रूलिंग है कि कोई भी सदस्य बिना आज्ञा लिये सदन में कोई लिखी हुई बात इस प्रकार से न पढ़े और चूंकि आपने इस विषय की आज्ञा नहीं ली है इसलिए मैं इसको पढ़ने की आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : यह डॉक्यूमेंट है, कहें तो पढ़कर सुनाया जा सकता है और चाहें तो मैं इसको सदन की मेज पर भी रख सकता हूं। यह एक इम्पोर्टेण्ट मामला है जो किस तरह से वहां पर तस्कर व्यापार होता है इससे सम्बन्धित है। इस पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ प्रमुख कांग्रेसी लोग सत्ताधारी लोगों से मिल कर खुले आम पाकिस्तान से सोना मंगाते हैं, रिपोर्ट पेश की जाती है तब भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह चीज़ पुलिस ऑफिसर्स को मालूम होती है और मालूम होने पर भी, जब कि उसी व्यक्ति को उनको पकड़ना चाहिए था जिसके ऊंट पर ६६ सिल्लियें सोने की थीं, जो सोना लाता है; उसको न पकड़ कर ऊंट वाले व्यक्ति को यह कह कर धमकाया जाता है, मार

(श्री मुरलीधर व्यास)

पीट की जाती है कि छः सिल्लियें तूने निकाल लीं, थानेदार को मालूम पड़ता है उस व्यक्ति के कांग्रेस के अनूपचंद कोचर के जरिये से और उस बेचारे गरीब को वह बुला कर कहता है कि दे दे नहीं तो ठीक कर दूंगा। यह सब लिखित तौर पर है, खुले आम इस प्रकार से तस्कर व्यापार होता है। वहां एक गौड़ भवन है जो कांग्रेस का स्थान माना जाता है। उसे गुलाबचंद ने ले लिया है और ये लोग मिल कर वहां पर तस्कर व्यापार करते हैं। नाम उसमें दर्ज हैं। खुले आम तस्कर व्यापार करते हैं, बल्कि पुलिस वाले इनको इस काम में मदद देते हैं। अनूपचन्द कहता है उसको कि दे दे नहीं तो ठीक कर देंगे। इस तस्कर व्यापार का पता लगाने के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह कागज़ मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि इसमें यह सब लिखा हुआ है कि किस प्रकार तस्कर व्यापार होता है ताकि जांच हो। इसमें ये लिखी हुई बातें हैं, एक प्रमाण है। मैंने इस सम्बन्ध में एस. पी. से कहा कि ऐसा क्यों होता है वे कहते हैं कि क्या करें, केन्द्रीय सरकार की होने से गिरफ्तार नहीं करते हैं। यह चार महीने पहले का वाकया है। अब तक भी दबा हुआ है और इस पर भी कुछ नहीं होता है। मैं आपको प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं कि यदि इसकी निश्चित रूप से जांच हुई तो जो सेवा करने वाले लोग बनते हैं, जो गांधीजी के नाम पर खादी पहनने वाले लोग हैं वे खुद पुलिस वालों से मिल कर ऐसा काम कर रहे हैं और उसकी कोई रोक-टोक नहीं होती है। मैंने इसको यहां इसलिए रखा है कि ताकि इनके विरुद्ध कोई सक्रिय कदम उठाया जाय और जो तस्कर व्यापार होता है उसको रोका जाय। अध्यक्ष महोदय मैं, चाहता हूं कि यदि इसको नहीं पढ़ा जाय तो आप चाहें तो मैं इसको मेज पर भी रख सकता हूं।

दूसरी बात मैं संरक्षता के लिए कहना चाहता हूं। एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको विदित होगा कि पुलिस विभाग से लोगों को क्या संरक्षण मिलता है। इन्द्रचंद सुनार नाम के व्यक्ति की पुलिस विभाग में मृत्यु हुई और खास कर कांग्रेस अधिकारी थाने में मौजूद था, उसके कहने पर २५ साल के उस नौजवान को थानेदार ने बुरी तरह से पीटा। दूसरे दिन उस व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हुई। इस बात को मैंने रखा, लेकिन आज तक इस विभाग की ओर से कोई छान-बीन नहीं की गई, कोई रिपोर्ट नहीं की गई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कई लोग मिले हुए हैं और उसमें सरकारी पक्ष के लोग सम्मिलित हैं, इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। महाजन के विषय में कहना चाहूंगा। मैंने इस विषय में पहले भी कहा था, कोई भी कार्यवाही हो, चाहे ज्युडिशियल हो फिर भी गृह विभाग का काम था कि महाजन के मामले की जांच कराता और देखता कि लोगों को संरक्षण मिल रहा है या नहीं। महाजन के लोग पीड़ित हैं। मनमानी वहां करते हैं, राजा का भाई ठाकुर आये दिन लोगों को पीट देता है। बन्दूक रखने का लाइसेन्स ले रखा है और इस विषय में ११७ और ३२६ के मामले चल रहे हैं। गृह मन्त्री कहते हैं कि हुआ कुछ नहीं, इसका कारण मैं भी जानता हूं। उसके हिस्से की जमीन, महाजन की जमीन, महिला विद्यापीठ को दे दी थी। यदि इस प्रकार से पुलिस के लोग लोगों के साथ मिल कर इस प्रकार की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देंगे तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

न तो किसी प्रकार से लोगों को संरक्षण मिल सकता है और न भ्रष्टाचार, हत्यायें ही मिटा सकते हैं। अभी दस दिन पहले ही की बात है कि नोहर के अन्दर रायसिंहपुरा गांव में लगातार ऐसी चीज चल रही है कि लोग मिलकर, वे ही कांग्रेस के कुछ प्रमुख लोग मिलकर, छोटे मोटे वे लोग सरे आम बाहर से लड़कियों को उड़ाकर ले जाते हैं और उन लड़कियों को लाकर वहां शादी करवाते हैं। दस केस हो चुके हैं। दस दिन पहले इन्दौर से एक लड़की लायी गई और उसकी शादी वे ही कांग्रेस के महाशय, ६० साल के बूढ़े से करने वाले थे, जब शिकायत पुलिस के पास पहुंची, उसको रोकने के बनिस्पत उल्टा मुकदमा जिसने शिकायत की उसके खिलाफ कर दिया। जब रिपोर्ट करने गए तो कहा कि दस रुपये लाओ कागज लिखने वगैरह के, क्योंकि पुलिस को कागज मिलता नहीं हैं, कागज हमारे पास नहीं। एक प्रमुख आदमी ने दस रुपये देकर रिपोर्ट लिखाई। लेकिन अब भी क्या हो रहा है। लड़की वहां मौजूद है, शायद कोतवाल के पास मौजूद है और दस रुपये देकर रिपोर्ट लिखाई है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह केस हुआ है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिस के अधिकारी, चाहे लड़की उड़ाने का सवाल हो, चाहे गर्दन उड़ाने का सवाल हो, चाहे सोना उड़ाने का सवाल हो, और कोई चीज़ उड़ाने का सवाल हो चाहे; लोग मर जायें, चाहे लोगों के साथ अत्याचार हों, यदि पुलिस वाले जिनको कि जनता की रक्षा के लिए रखते हैं, जनता को संरक्षण मिले इस दृष्टि से जिनको रखते हैं, जिनको रक्षक कहते हैं वे ही यदि भक्षक बन जांय तो किसी हालत में इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए मैं सदन के सामने तीन चार बातें रखना चाहता था। ये सदन के सामने कई बार आई हैं लेकिन गृह विभाग ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है और मैं समझता हूं अभी भी चाहे कोई माने या न माने, पुलिस जो भी कार्य कर रही है वह रक्षक के रूप में न होकर, जनता के सेवक के रूप में न होकर भक्षक के रूप में कर रही है। हर स्थान पर इस मुकद्दमे का यही हाल है। यह महकमा न हो तो धन का इतना दुरुपयोग नहीं होगा इतना करप्शन नहीं होगा गृह विभाग से कोई लाभ नहीं। हर जगह हर स्थान पर पुलिस विभाग करप्शन, भ्रष्टाचार और लोगों को दबाने के काम आता है। आजकल लोगों पर प्रभाव डालने के लिये और उनको दबाने के लिये यह विभाग साधन बन गया है। हमारे राजस्थान में यह गृह विभाग बिल्कुल असफल रहा है। इसी से ये चीजें दिन दूनी बढ़ रही हैं। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मामलों के अन्दर जहां बहिन की मृत्यु हो जाती है और जिस पर घूंस लेने का आरोप लगाया गया, इस कारण १७ साल की सुनार की लड़की का सिन्दूर मिट जाता है, उसके बाद भी अधिकारी लोग किसी प्रकार की तवज्जह नहीं देते तो इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है? इसके लिये बहुत सख्त कदम उठाकर कार्यवाही करनी चाहिये। इतना ही निवेदन कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

४ म० प०

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): On a point of order, Sir......

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात है कि पहले यह तय हुआ था कि साढ़े तीन बजे सरकार की ओर से जवाब शुरू हो जायगा लेकिन जब

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

३.४० का समय हुआ तो उस समय सभापति महोदय ने आध घंटे का समय और बढ़ा दिया, उसका मतलब यह हुआ कि चार बजे तक तो बहस होगी इस सम्बन्ध में, आपका निर्णय जो होगा वह मान्य होगा लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ, सभी दलों के सदस्य इस मांग पर बोल चुके हैं केवल जनसंघ से कोई सदस्य नहीं बोला है। अतः आज की बहस का समय छः बजे तक का बढ़ा दिया जाता है तो सबको बोलने का अवसर मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष : छः बजे तक तो शायद सब माननीय सदस्य बैठने के लिये तैयार नहीं होंगे ?

एक माननीय सदस्य : तो कल का समय और इसके लिये रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जब बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में मांगों पर विचार करते समय यह प्रश्न सामने आया था कि इन मांगों पर किस तरह से विचार किया जाय, उस कमेटी में विरोधी दल के और सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य उपस्थित थे; उसमें यह तय किया गया कि अक्सर ऐसा होता है कि हर साल बहुत कम मांगों पर विचार कर पाते हैं इसलिये सब मांगों पर विचार करने का समय मिल जाय, इसलिये यह तय किया गया कि हर रोज एक मांग को लिया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य उस पर बोल सकें और ज्यादा से ज्यादा मांगें सदन के सामने आ सकें और ज्यादा से ज्यादा चर्चा विभागों के बारे में हो सके। इस निर्णय के बाद समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा ही था तो हर एक को टाइम अलॉट करना चाहिये था।

एक माननीय सदस्य : जो दस मिनिट की लिमिट रखी गई थी उसका भी पालन नहीं किया गया, किसी को पन्द्रह मिनिट मिले तो किसी को बीस।

● **श्री श्योपतसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग सदन के सामने आयी है वह बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। पिछली सालों की अपेक्षा इस साल बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है इसलिये सब को बराबर समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आध घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस का विभाग है वह आलोचना का विषय बना हुआ है, यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। आज जब कि यह विभाग रक्षा के लिये बनाया गया है लेकिन आज जिस प्रकार की आलोचनायें हो रही हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि पुलिस विभाग को जो काम दिया गया है वह उससे उल्टा काम कर रही है। मैं यह भी मानता हूँ कि जब माननीय मन्त्री महोदय इन सब आलोचनाओं का उत्तर देंगे उस समय यह कहा जायगा कि यह तो हमें अंग्रेजों से विरासत के रूप में मिली है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने पुलिस को प्रशिक्षित किया, जिस ढंग से उनको बनाया था उसी ढंग से आज तक बनी रहने के कारण पुलिस आलोचना का विषय बना हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि पुलिस के बारे में हमें सहानु-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

भूति से विचार किया जाना चाहिये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के दस वर्षों के बाद पुलिस प्रशासन को हमारी सरकार ठीक नहीं कर पायी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने अर्से के बाद भी कभी यह प्रयत्न नहीं किया गया कि पुलिस के ढांचे को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाय ? इसके कारण छोटे कान्स्टेबलों में असन्तोष है, बड़े अधिकारियों में असन्तोष है, इस तरह से सारे प्रशासन में असन्तोष बढ़ता जा रहा है, इसी कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। जब कोई नागरिक पुलिस वाले को देखता है तो उसको यह पता नहीं रहता कि यह उसका रक्षक है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति आज पुलिस के कर्मचारी को घृणा की दृष्टि से देखता है। आज मेरा ऐसा ख्याल है कि पुलिस के जो कॉन्स्टेबल्स हैं वे आज सहानुभूति के पात्र हैं। पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं इसके लिए इसी सत्र में पुलिस बिल भी आने वाला है, इससे पुलिस के कॉन्स्टेबलों की जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में भी पुलिस विभाग की आलोचना करना और कोई क्रियात्मक सुझाव नहीं दिया जाना मैं ठीक नहीं समझता। इस बारे में मैं कुछ सुझाव सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद हुआ था उसमें भी ज्यादातर पलिस कर्मचारियों के संघ को लेकर काफी वाद-विवाद हुआ था। उसका उत्तर देते हुए हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमने पुलिस को कुछ रियायतें दी हैं, पुलिस कर्मचारियों के लिये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की है जिसके कारण उनको सन्तोष होगा। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो इस प्रकार की कोई रियायत नहीं रखी गई है। आज भी पुलिस के कॉन्स्टेबल को ४५ रुपया मासिक मिलता है। यह उतना ही वेतन है जितना कि एक साधारण मजदूर को दिया जाता है। जो मकान बनाने वाले कारीगर या मजदूर हैं, पल्लेदार हैं और जो माल ढोते हैं उनको जो पैसा मिलता है उससे भी कितनी ही मात्रा में कम पैसा इन पुलिस के सिपाहियों को मिलता है। इसमें भी मजदूर कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक साधारण पुलिस कर्मचारी से कहीं अधिक वेतन मिलता है। दूसरी स्थिति यह है कि पुलिस कर्मचारी को ड्यूटी दी जाती है पहरा देने की, इसके अलावा इन पुलिस के कर्मचारियों से बड़े पुलिस अधिकारी अपने घर का भी काम लेते हैं। इस कारण भी इन लोगों में असन्तोष है। इसी का परिणाम यह हुआ कि पुलिस कर्मचारियों ने अपना संघ बनाने का निश्चय किया। पिछली बार जब इस सम्बन्ध में विचार हुआ तो यह कहा गया कि इस प्रकार का संगठन पुलिस कर्मचारियों में नहीं बनना चाहिये। सरकार की यह मान्यता है कि यदि इस प्रकार का संगठन बनने दिया तो प्रजातन्त्र की जो पद्धति है उसके लिए खतरा हो सकता है। इसके साथ-साथ इस प्रकार के संगठन बनाने वाले जो पुलिस के कर्मचारी थे उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, यह भी मैं बताना चाहता हूँ जितने भी कर्मचारी इस संघ के सदस्य थे उनका बहुत दूर-दूर ट्रान्सफर कर दिया गया ताकि वे अपने संघ को मजबूत न बना सकें। मेरी ऐसी मान्यता है कि चाहे आप उनके संगठन को बनने दें या न दें किन्तु आपका यह तो कर्तव्य था कि उनको समझाना चाहिये था, लेकिन यह न करके उनके कर्मचारियों में एक को तो जैसलमेर भेज दिया गया, दूसरे का बाड़मेर ट्रान्सफर कर दिया गया, तीसरे व्यक्ति का गंगानगर ट्रान्सफर कर दिया गया। उनका ट्रान्सफर तो कर दिया

(जगदीशप्रसाद माथुर)

गया किन्तु यह प्रयास नहीं किया गया कि उनके जो ग्रीवान्सेज़ थे, उनको क्या दिक्कतें थीं, उन दिक्कतों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि आई. पी. एस. पुलिस अधिकारियों का एसोसियेशन है जिसको सरकार की ओर से प्रश्रय मिलता है। जब इनकी सभा होती है तो मंत्री लोग भी उसमें जाते हैं। आज पुलिस कर्मचारियों के वेतन में कितना अन्तर है ? जहां एक कान्स्टेबल को ४५ रुपया प्रतिमास मिलता है वहां पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को ढाई हजार रुपया तनख्वाह का दिया जाता है। यही खास कारण है जिसके कारण पुलिस कर्मचारियों में असन्तोष है। मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे आप पुलिस के संगठन को मान्यता दें या न दें किन्तु इतना जरूर कहूंगा पुलिस कर्मचारियों के लिये प्रत्येक जिले के अन्दर कम से कम सलाहकार परिषद बनायी जानी चाहिये जिसमें पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं उनमें से चुने हुए सदस्य होने चाहिये और उस परिषद को कम से कम एक महीने में जिले के एस. पी. के साथ बैठ कर, जिले के पुलिस कर्मचारियों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को साथ में बैठ कर सुलझावें। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है, उन कठिनाइयों को डी. आई. जी. के सामने रखा जावे। इससे पुलिस कर्मचारियों के एसोसियेशन को मान्यता न देने के कारण जो असन्तोष फैला हुआ है, इससे कुछ मार्ग निकल सकता है। वेतन के सम्बन्ध में जहां तक मेरा सुझाव है, पुलिस को मैस के सम्बन्ध में रियायत दी गई।

दूसरा कटमोशन मेरा मैस अलॉउन्स के सम्बन्ध में है। इसको लेकर इस यूनियन ने आन्दोलन किया है। इस मैस फण्ड के बारे में रिपोर्ट मिली है कि बड़े-बड़े अधिकारी का जब ट्रान्सफर आदि होता है तो उनको इस फण्ड के पैसे से दावतें आदि दी जाती हैं। बड़े—बड़े कार्यक्रम उन अधिकारियों के उसमें से होते हैं और इस मैस फण्ड में सारा पैसा आता है साधारण कर्मचारियों की तनख्वाहों में से और मैनेजमेंट ले रक्खा है बड़े अधिकारियों ने। जहां इस प्रकार की व्यवस्था होगी वहां असन्तोष फैलेगा, आन्दोलन होगा, यूनियनें भी बनेंगी। तो इस पर अवश्य विचार करना चाहिए सरकार को।

दूसरी बात पुलिस प्रशासन के लिये कहना चाहता हूं। उस पर अभी तक गौर किया कि हमारे पुलिस के थाने और चौकियां किस आधार पर बनी हुई हैं ! पुलिस कर्मचानियों की किस थाने और चौकी पर कितनी आवश्यकता है ? मैं दो एक जगहों के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

सवाई माधोपुर की आबादी ७,६५ हजार है वहां पुलिस के थाने १६ और चौकियां २० हैं। वे आराम से काम करते हैं। एक दूसरा नागौर जिला है जिसकी आबादी ७,६३ हजार है केवल दो हजार कम है वहां थाने हैं २३ और चौकियां हैं ३५, तीसरा जिला है कोटा; आबादी है ७,६६ हजार, कोई खास अन्तर नहीं है, वहां थाने हैं ३६ और चौकियां हैं ६३ तो इस प्रकार से यह फर्क है। इससे कम भी हों तो आसानी से काम हो सकता है। दूसरे राज्यों से हमें अपनी स्ट्रेन्थ मिलान करनी चाहिये। अगर मिलान करें तो आपको मालूम होगा कि उनके मुकाबले में हमारे यहां पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा संख्या भर्ती कर रक्खी है। जो अधिक भर्ती कर रखी है उसे दूसरे विभागों में ट्रान्सफर किया

Page No.95

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जा सकता है । पर इस प्रकार से उनको uneven way में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसी के कारण काफी झगड़े हैं । तो इसकी ठीक प्रॉपोर्शन में व्यवस्था की जावे कि कितने आदमियों की आबादी पर कितनी चौकियां चाहिये कितने थाने चाहिये सिपाही और हर थाने या चौकी पर किस प्रपोर्शन में चाहिये । इस तरह से किया जावेगा तो एक लेवल पर पुलिस प्रशासन आवेगा ।

तीसरी बात यह है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों की ढाई हजार से चार हजार तक की तनख्वाह है । उनकी यह तनख्वाह कम की जावे । छोटों की बढ़ाई जावे और उनका भी एक रेश्यो तय किया जावे । सारे प्रान्त में एक तरह की व्यवस्था करें क्योंकि पुलिस में सभी जवान समान हैं । उनका काम समानता के आधार पर होता है ।थोड़ा बहुत अन्तर आप रख सकते हैं । यही तो एक विभाग पुलिस का ऐसा है जहां सभी लोगों को एक लाइन में खड़े होना पड़ता है ।

दूसरी बात है नरेशों की गार्डस की । इसकी अब आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये । हम अपने देश में समाजवादी समाज की रचना करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आज उन राजाओं को भी एक मत का अधिकार है और साधारण से साधारण नागरिक को भी वही एक मत का अधिकार है । राज्य सरकार का दायित्व उन राजाओं की सुरक्षा के प्रति भी वही है जो एक आम साधारण नागरिक के प्रति है । तो इस हमारे संविधान के मुख्य मुद्दे को देखकर व्यवस्था की जावे तो खर्चा कम हो सकता है ।

मैं फिर एक बात कहूंगा हमें पुलिस की ओर सुधार की दृष्टि रखनी चाहिये । उनके प्रति आज सहानुभूति की भी आवश्यकता है और फिर इन दो बातों का उनके प्रति उपयोग होने पर भी भ्रष्टाचार की उनकी प्रवृति रहे तो फिर दण्ड दिया जावे । इन तीन बातों को सामने रख कर कार्य किया गया तो अवश्य ही यह पुलिस प्रशासन काफी सुधर सकेगा ।

श्री भैरोंसिंह : वैसे समय हो चुका हैं । मेरा भी कट मोशन है, मूव कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी वाले लोग सहमत हो जावें कि आपके कटौती के प्रस्ताव जरूरी हैं रखने और उन पर प्रिसिडेन्स ले सकें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हमारी ओर से तो हम तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष : सभी विरोधी पक्ष की ओर से ?

एक माननीय सदस्य : We have

मेजर फतहसिंह : We have no objection, sir.

श्री मोघजी भाई : फिर तो सबको टाइम दिया जावे ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : यह ध्यान रखना है कि ४।। बजे यह वाद-विवाद समाप्त हो जावे ।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन इसके बाद मेरा कट मोशन है ।

श्री अध्यक्ष : वह व्यवस्था जरा बदल दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका सम्बन्ध पुलिस कर्मचारियों

(श्री भैरोंसिंह)

की तनख्वाहों से है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय राज्य सरकार का बजट इस सदन में प्रस्तुत हुआ उस समय से लेकर यह डिमान्ड इस सदन में विचारार्थ आई। उस समय तक राजस्थान राज्य के पुलिस कर्मचारी इस बात की प्रतीक्षा में थे कि सदन में उनकी तनख्वाहों को लेकर जो चर्चा होगी उससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। पर चर्चा अवश्य हुई। उनके सम्बन्ध में मैं इस समय केवल एक संकेत करना चाहता हूं कि आज राज्य पुलिस कर्मचारी और खास तौर से उनमें जो कॉन्स्टेबल्स हैं, उनकी यदि हालत देखी जावे तो उससे कुछ ऐसा लगता है कि आज के इस आर्थिक रचना के अन्दर एक पुलिस का कॉन्स्टेबल जिस पर हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डालने की चेष्टा करते हैं और डालते भी हैं उनकी तनख्वाह पर्याप्त है या नहीं? इस सम्बन्ध में मैं यदि कोटेशन्स दूंगा तो स्वयं का अपना समय जावेगा। इकोनोमिक रिव्यू जिसमें राजस्थान का और अन्य दूसरे भी जो प्रान्त हैं उनकी औसत आमदनी का जो एक खाका खींचा है, उसके अनुसार राजस्थान में पर-कैपिटा आमदनी जितनी बढ़ी है यदि उन सारे आंकड़ों को सामने रख कर और जो पर-कैपिटा एक्सपेन्डीचर बढ़ा है उसको भी सामने रखकर देखें तो आज का पुलिस कान्स्टेबल जिसको ३० रुपया तनखा और बीस रुपया महंगाई अलॉउन्स और दूसरे अलॉउन्स और जो आर्डिनरी कोर्स में उनको टी. ए. डी. ए. मिलता है उस सब आमदनी को मिलाकर देखा जावे तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज का जो पुलिस का कॉन्स्टेबल है उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि जिसमें वह अपने घरवालों का और अपना भरण-पोषण ठीक ढंग से नहीं कर सकता। टी. ए. डी. ए. में उसके लिये व्यवस्था कर रक्खी है। डेली अलॉउन्स के रूप में उसको १) मिलेगा। पुलिस प्रशासन की यह मान्यता है कि कान्स्टेबल को १) खाने पीने का खर्चा चाहिये। अगर इस दृष्टिकोण को सामने रखकर कांस्टेबल की तनखा का अनुपात देखें तो राज्य सरकार की मान्यता के अनुसार वह एक कान्स्टेबल एक रुपये का खाना खा सकता है है और इस तरह से उसको जो तीस रुपये की तनख्वाह देते हैं तो दूसरे उसके जो घर वाले हैं उनके घरवालों का भरण पोषण का प्रश्न योंही लटका रह जाता है। तो फिर यह कहो कि न मालूम किस प्रकार से इस कलील तनख्वाह में अपने घर का जीवन-निर्वाह चलाते हैं। यह सरकार स्वयं सोचे।

मैं तो कहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो पुलिस यूनियन की चर्चा हुई थी वह इस सदन में बार बार न हो इसलिये सरकार को चाहिये कि उनकी तनख्वाह अविलम्ब बढ़ा दे, नहीं तो पुलिस में आज भी असन्तोष है। जिस किसी भी जिले में वे जाते हैं, वे यूनियन बनाने का प्रचार कर रहे हैं। यूनियन नहीं बननी चाहिये इस बात के मैं भी पक्ष में हूं। पर प्रश्न आता है आखिर वे करें क्या? जिन कारणों से मजबूर होकर वे यह करने जा रहे हैं, उन कारणों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में यदि पुलिस की तनख्वाह न बढ़ी तो बहुत मुमकिन है कि ऐसी स्थिति पैदा हो जावे कि चाहे राज्य सरकार कितने ही प्रेशर, टैक्टिक्स काम में ले, कितने ही एट्रोसिटीज़ के काम करे, उनका चालान करें, उनको दूर दूर फैंके, पर नीचे के स्तर में आग इस प्रेशर टैकटिक्स से, एट्रोसिटीज़ से, पनिशमेन्टों से, इधर उधर के दबाव से नहीं बुझने वाली है। यह तो तभी बुझेगी कि जब उनकी

(श्री भैरोंसिंह)

जो वाजिब मांगे हैं, उनकी वाजिब ग्रीवान्सेज हैं, उसके बच्चों के परिवार के भरण—पोषण का जो प्रश्न है उन्हें सहानुभूति से हल किया जावे। उन्होंने सरकार के सामने रिप्रेज़ेन्टेशन किया है उस पर गम्भीरता से विचार किया जावे और इसके साथ साथ उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें तुरन्त वृद्धि की जावे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर जिस समय जयपुर स्टेट और बाकी की स्टेटों का इन्टीग्रेशन हुआ उस समय अकलजात और तोपखाना की संस्था थी, उसमें जितने भी सिपाही थे वे सब के सब जयपुर स्टेट के अपने थे और इन्टीग्रेशन जब स्टेटों का हुआ तो उस समय इस अलग टुकड़ी का भी दूसरों के साथ इन्टीग्रेशन हुआ। इसके १६७ सिपाही थे और उन सब का इन्टीग्रेशन कर दिया गया और सन् ५० में उनके एरियर के पैसे उस डिपार्टमेन्ट से डिस्ट्रीब्युशन के लिए चले गये। लेकिन उन सिपाहियों की बदकिस्मती थी कि उस समय जो ए० आई० जी० फाइनेन्स थे, वह जीप लेकर पहुंचते हैं और पैसा वापिस ले लेते हैं और कहने लगे कि इस डिपार्टमेन्ट का इन्टीग्रेशन दूसरे डिपार्टमेन्ट मे होगा और उसी समय ही इसका सारा फिक्सेशन होगा। लेकिन सन् ५० से लेकर ५८ तक उन सिपाहियों का फिक्सेशन नहीं हुआ। उनके एरियर्स राज्य सरकार में यों के यों पड़े हैं और उन लोगों ने छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक इस प्रकार का रिप्रेज़ेन्टेशन किया है कि जिसके आधार पर उनके सारे ग्रिवान्सेज़ मीट आउट किये जायें। लेकिन राज्य सरकार की बदकिस्मती है कि उसने उन सिपाहियों को किसी तरह का भी सेटिस्फेक्शन नहीं कराया। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेन्ट के अन्दर एक असन्तोष की लहर चल रही है और वह असन्तोष की लहर तनख्वाहों के बारे में है और उससे मैंने सदन को अभी और पहले भी अवगत कराया है। इसके बाद में दूसरा सवाल प्रमोशन का आता है। इस प्रमोशन के मामले में यह देखा गया है कि सरकार ने एक आर्बिट्रेरी मैथड अपनाया है। इस सदन में इस विषय पर मैंने पहले भी काफी चर्चा की थी और आज भी इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय, बताऊं कि 'सी' ग्रुप के एक इन्सपेक्टर को आर० पी० एस० ग्रेड में लिया गया और मैं उसका नाम भी बता दूं, फतहलाल। उसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले दो जूनियर मोस्ट ऑफिसर्स को आर० पी० एस० की ग्रेड में यानी डिप्टी एस० पी० की ग्रेड में लिया गया। एक तो श्री बजरंगलाल थे और दूसरे कैलाशनाथ गुप्ता को एस० पी० का चान्स दिया गया। मैं नहीं समझता कि यह कार्यवाही राज्य सरकार की कहां तक उचित है, इसके बारे में तो मैं समझता हूँ माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे, उनको प्रमोशन देने के क्या कारण थे? अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जितने भी सब-इन्सपैक्टर्स के प्रमोशन्स होते हैं उनके प्रमोशन्स में भी इस बात की चिन्ता नहीं की जाती कि यह सब—इन्सपैक्टर 'ए' ग्रेड का है, 'बी' ग्रेड का है, 'सी' ग्रेड का है या 'डी' ग्रेड का है। जिस समय जिस प्रकार की इच्छा हुई, जिस प्रकार से ऑफिसर्स ने रिकमन्डेशन की, सारे रूल्स को बलाये ताक रख कर उनको प्रमोशन दे दिया जाता है। इसी प्रकार से हैड कान्सटेबल और दूसरे लोगों के प्रमोशन्स के बारे में है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रमोशन्स करते समय हमें रूल्स को दरगुजर नहीं करना चाहिए। इससे लोगों में अच्छी लहर की उत्पत्ति नहीं होती

(श्री भैरोंसिंह)

बल्कि इससे तो यूनिटों में डिससेटिस्फेक्शन होता जा रहा है। जिस व्यक्ति से हम सुरक्षा की उम्मीद करें उसके हृदय में कम से कम यह तो संतोष होना चाहिए कि मेरे हक़ूकों की रक्षा के लिए सरकार है और मुझे सरकार ने जनता की रक्षा के लिये रखा है। इस तरह सरकार द्वारा मेरी रक्षा होती है और मेरे द्वारा दूसरों की रक्षा होती है, इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन दोनों में होना चाहिए। अगर दोनों में को-ऑर्डिनेशन नहीं होता है तो मुझे डर है कि कहीं ऐसी स्थिति न बन जाये कि इस विभाग में यूनियन्स के नाम पर किसी प्रकार का वह फिसाद खड़ा कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि आज हमारे यहां राजस्थान के अन्दर फिफ्थ कालामिस्ट पनप रहा है। मैं जहां तक समझ पाया हूं आज हमारी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के रिलेशन्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इस कारण से उन फिफ्थ कालामिस्ट्स को पनपने नहीं देने की कोशिश हमारी राज्य सरकार को करनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन रही है कि काश्मीर के मामले को लेकर और नहरी पानी के विवाद को लेकर हमारी दोनों सरकारों के बीच कुछ मतभेद बढ़ता जा रहा है। वह तो खैर ऊपर की श्रेणी में बढ़ता है और इसकी हमें खास चिन्ता नहीं है और पाकिस्तान हमारे ऊपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा तो उसका मुकाबला करने के लिए तो तैयार हैं लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अन्दर फिफ्थ कोलॉमिज्म पनप रहा है। आज एक सम्प्रदाय कुछ भी एक्टीविटीज़ करता है तो वह राज्य सरकार से प्रोटेक्शन पाता है। बूंदी के अन्दर, जयपुर के अन्दर, बनेड़ा के अन्दर और पाली के अन्दर; कहने का मतलब है कि हर जगह जहां वर्षों से लोग गेर निकालते हैं वहां उनको निकालने से रोका। आपको मालूम होगा कि होली के बाद में छारन्डी का त्योहार आता है और लोग गेर निकालते हैं। इसको हमारे मंत्रियों ने भी मनाया है, हमारे यहां के राज्यपाल महोदय ने भी इसको मनाकर हमारे त्योहार की पुष्टि की है। तो मेरा कहना है कि यह गेर सभी जगह निकाली जाती है। ऐसी सूरत में भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जो अपने राष्ट्रीय त्योहार को मना सकता है राजस्थान में उसको मनाने के ऊपर पाबन्दी है। मैं अभी अभी झुंझुनू जिले के अन्दर होकर आया। उदयपुर में आज ११ दिन से हड़ताल है और वह इसलिए कि वहां के लोगों ने भी गेर निकाली थी और जब उन्होंने गेर निकाली तो पुलिस ने कहा कि तुम इधर से नहीं निकल सकते। आज वर्षों से उस राज्य के अन्दर गेर निकाली जाती थी लेकिन पता नहीं कि क्यों उस रास्ते से, जिस रास्ते से कि वर्षों से गेर निकाली जाती उस रास्ते से निकालने को मना कर दिया और कहा कि इस रास्ते से गेर नहीं निकालने देंगे। वहां का जो एस० पी० है उसने स्वयं ने माना कि यह गैर कानूनी बात कैसे हो रही है? लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि पुलिस स्वयं लाठी चार्ज किया और वहां के एस० डी० एम० ने कई व्यक्तियों को मारा पीटा। इस प्रकार की हालत हमारे यहां है।

बनेड़ा के अन्दर एक मोहर्रम का किस्सा चल रहा है और यह किस्सा आज चार वर्षों से चल रहा है। मोहर्रम को वहां के मान कुंड में दफनाया जाना था और इस पर बनेड़ा के लोगों ने आपत्ति की। इस पर वहां के लोगों ने फैसला किया कि वहां पर नहीं दफनाया जाये। इसके लिए अपील फिर तहसील पंचायत को की और उसने भी यही फैसला

(श्री भैरोंसिंह)

किया । इसके बाद में राज्य सरकार का भी उसमें हस्तक्षेप हुआ और वहां के महाराजाधिराज को इसके लिए कहा गया कि वह जजमेन्ट दें; वहां के महाराजाधिराज ने जजमेन्ट दिया कि इसमें नहीं दफनाया जाये और जो मौहर्रम दफनाया गया था उसको ४० दिन के बाद निकालकर दूसरे स्थान पर गड़वाया जाये । लेकिन यह पता नहीं था कि यह जजमेन्ट स्थाई रहेगा या अस्थाई । सन् १६५७ में जनरल इलेक्शन्स आये और इन जनरल इलेक्शन्स के टाइम पर वहां के मुसलमानों ने कहा कि अगर हमारे लोगों के वोट लेने हों तो हम अपना मौहर्रम इसी मान कुंड में दफनायेंगे, अगर इस पर आप राजी हो जाते हैं तो हम अपने सारे वोट दे देंगे । मैं तो यह कहूंगा कि हमारी सरकार की यह पराकाष्ठा है । उन्होंने कहा कि वोट दो और यही हुआ कि सन् ५७ के आम चुनाव के अन्दर उनको विश्वास दिला दिया और ज्योंही इस मौहर्रम का समय आया उन्होंने बिना पर्मिशन के मौहर्रम मनाया, जब कि मौहर्रम मनाने के लिये परमिशन लेनी होती है लेकिन बनेड़ा के लोगों ने परमीशन नहीं ली । इसके लिए वहां के कलेक्टर को ३० दिन पहले मजबूर किया और कलेक्टर की स्वयं की इच्छा नहीं थी कि यह जो राज्य सरकार का निर्णय है यह गलत थोपा जा रहा हैं । इसके लिए उदयपुर से कमिश्नर ने पुलिस को भेजा और डी. आई. जी. को भेजा । दो दिन तक पुलिस बनेड़ा में पड़ी रही और बनेड़ा के जितने भी हिन्दू नागरिक थे वे सब के सब जिस समय मौहर्रम दफनाया गया उस समय सारा गांव खाली करके चले गये । दोनों वर्गों में सामाजिक भिन्नता पैदा हो गई । लेकिन सरकार के सामने तो वोट लेने का प्रश्न था ।

इसी प्रकार की स्थिति पाली में भी आई । पाली के लोगों को भी कहा गया कि जिस रास्ते से गेर निकलती थी वह नहीं निकलेगी, उनको गेर निकालने से रोका गया । मैं इसके अलावा और भी कुछ बातें....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : On a pointof order Sir, इस प्रकार की वहां कोई भी चीज़ नहीं थी कि इस रास्ते से गेर निकाली जाय या नहीं । माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं । मैं वहां के रास्तों को अच्छी तरह जानता हूँ, जिस ढंग से गेर निकली ।

श्री भैरोंसिंह : गलत बातें आपकी दृष्टि से हो सकती हैं क्योंकि आपने आश्वासन दिया था और मेरी दृष्टि से यह सही है । अगर आप देखें तो मैं दिखा सकता हूं कि पाली के पचास लोगों के दस्तखत की एक कॉपी मेरे पास पड़ी है ।

श्री अध्यक्ष : गेर पर तो कोई कटौती का प्रस्ताव है ही नहीं ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि ऐसी स्थिति में आज इस प्रकार की एक्टीविटीज़ बढ़ती जा रही हैं उन सबको रोकने के बारे में कोई व्यवस्था करनी चाहिये ।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक दो मिनिट के अन्दर मैं राजस्थान में क्राइम की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । जिस समय बजट पर आम बहस हो रही थी हमारे माननीय गृहमन्त्री महोदय ने 'राजस्थान पुलिस' इस प्रकार की एक किताब हाथ में लेकर राजस्थान पुलिस के सारे कारनामे इस सदन के सामने रखे थे और क्राइम के आंकड़े प्रस्तुत किये थे । आंकड़े प्रस्तुत करते हुए पुलिस विभाग की अच्छाइयों को रखा था ।

(श्री भैरोंसिंह)

उन्होंने कहा कि हर साल क्राइम की सिचुएशन सुधरती जा रही है और क्राइम का नम्बर घटता जा रहा है। मैं मानता हूँ कि नम्बर घटता जा रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि शिकायतों को रजिस्टर्ड नहीं करें तो क्राइम्स का नम्बर घटता जा रहा है। लेकिन इसकी दूसरी साइड है और दूसरी साइड ऐसी है कि पुलिस में जितने केसेज़ रजिस्टर होते हैं उनमें सफल कितने होते हैं? लोगों को कितनों को सजायें मिलती हैं? कितने केसेज कोर्ट में जाकर सफल होते हैं? इसके लिये मैं उनकी उस किताब का पेज ५४ के लास्ट पेरेग्राफ को सदन में पढ़कर सुनाता हूँ:—

"With the reducation in the total number of crimes, the disposal of cases has also decreased, but this was not a healthy sign. In the year 1956, only 26118 cases were disposed of as compared to 32178 in 1951. Similarly, the percentage of convictions to true cases has also decreased. It was 40 percent in the year 1952 which came to 24 percent in the year 1956. The percentage of (अश्रव्य) cases to the true cases did not show any noticeable fall. In the year 1951, it was 46.14 percent, in 1952 52.02 percent and in 1956, 46 percent. All this indicates that the function of the investigation and prosecution machine is not satisfactory and that a good deal of improvement is yet to be made. Necessary steps are being taken in this direction."

अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था और सूक्ष्म में इतना बता दूं कि उन्होंने क्राइम का चार्ट सदन में रखा और, क्राइम का चार्ट हर थाने और पुलिस के हैड क्वार्टर में लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर राज्य सरकार इस बात का दावा करती है कि नम्बर में रिडक्शन हुआ है तो उसको यह चाहिये कि कम से कम वह इस प्रकार की स्थिति लाये कि जितने केसेज़ कोर्ट में भेजे हैं उन सारे केसेज़ में लोगों को सजायें मिलती हैं। जो केसेज़ इन्वेस्टीगेट किये हैं उन केसेज़ में सत्यता के आधार पर लोगों को सजा मिलती है कि नहीं? इस प्रकार की स्थिति न तो आज है और न इस प्रकार की स्थिति बनाने में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है।

अन्त में मैं केवल यह कह कर इसको समाप्त करूंगा कि इस बजट में रेलवे और आर. ए. सी., इन दो मदों के लिये काफी रुपया रखा गया है। आर. ए. सी. के सम्बन्ध में..........

श्री रामकिशोर व्यास : समाप्त कर दें।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह : आज तक रेलवे का सारा प्रबन्ध भारत सरकार की ओर से होता था। भारत सरकार पुलिस के सम्बन्ध में खर्चा देती है राज्य को या नहीं, लेकिन प्रश्न सरकार यह है कि रेलवे की आमदनी सारी भारत सरकार लेती है। उस रेलवे के प्रबन्ध के लिये राज्य सरकार यदि अपनी पुलिस के द्वारा प्रबन्ध करे तो रेलवे पुलिस का सारा खर्चा भारत सरकार को देना चाहिए और इसी प्रकार से आर. ए. सी. जो कि बोर्डर के प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में रखी हुई है उस आर. ए. सी. का सारा खर्चा ५०—५१ से लेकर

(श्री भैरोंसिंह)

आगे तक भारत सरकार दे रही है। राजस्थान सरकार की इस सम्बन्ध में क्लियर कर्ट पॉलिसी होनी चाहिये। बोर्डर प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में जितना खर्चा होता है वह भारत सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है।

(घन्टी)

बोर्डर, प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में जो खर्चा राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करे वह भारत सरकार पर छोड़ना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, हम देरी से महसूस कर रहे हैं कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते थे उनको टाइम नहीं देने से उनके बोलने में आजादी नहीं हो रही है। कई सदस्य देरी से महसूस कर रहे हैं और आपकी तरफ से हमको जवाब दे दिया गया है कि टाइम की कमी है, लेकिन सुबह ही एलॉटमेंट ऑफ टाइम कर देना चाहिए था। हमें यह महसूस हो रहा है कि उस वक्त अलग अलग पार्टीज़ को बुलाकर दो दो तीन-तीन, आदमियों को पूछ कर सब लोगों को विचार व्यक्त करने देना चाहिए था।....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़,

श्री मोहरसिंह : मैं यह महसूस कर रहा हूं कि हमारे साथ में उचित व्यवहार नहीं हुआ है, इन्साफ नहीं हो रहा है। यहां पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का टाइम जरूर दिया जाना चाहिए। इस चीज के लिए आपकी रूलिंग है कि आगे टाइम नहीं मिलेगा। इस चीज के लिए मैं अपना विरोध प्रकट करने के लिए इस वक्त हाउस से वॉक आउट करता हूँ।

(श्री मोहरसिंह द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस के लिए अनुदान के संबंध में विचार हुआ। काफी कट-मोशन्स इस पर आये। मुझे खेद है कि पूरे कट मोशन्स पर विचार नहीं हो सका है। उन सबके उत्तर में मैं अपना उत्तर पेश किये देता हूं।

सबसे ज्यादा जो बात कही गई है, जो ज्यादातर लोगों ने कहा है वह भ्रष्टाचार के बारे में कहा है कि पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है बहुत फैला हुआ है, और हर स्तर पर है; नीचे से लेकर ऊपर तक, कोई स्तर बाकी नहीं है। मैं यह बात तो मानने को तैयार हूं कि पुलिस में भ्रष्टाचार है और महकमों में भी है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हर स्तर पर हर जगह भ्रष्टाचार ही इसमें है और कोई अच्छी बात है ही नहीं। यह कहना कि पुलिस के हर स्तर पर, हर स्टेज़ पर भ्रष्टाचार है वह सत्यता के विरूद्ध है, वह वाकेआत के खिलाफ है और जो बातें हुई हैं उन पर आधारित नहीं हैं। मेरा यह कोई कहना नहीं है कि पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार उठ गया है। जब तक भले और बुरे इन्सान हैं, इन्सान और शैतान हैं, भलाई और बुराई रहेगी और थोड़े बहुत भ्रष्टाचार और करप्शन रहेगा ही। लेकिन सवाल मात्रा का है, सवाल डिग्रीज़ का है कि कितनी मात्रा में वह चीज़ घटी है या बढ़ी है, इस पर उस चीज़ का निर्णय करना होगा। मैं सम-

(श्री रामकिशोर व्यास)

झता हूं कि दुनियां से भ्रष्टाचार उठ जाय तो वह बिल्कुल गलत बात है । जैसा कि मानव स्वभाव होता है उसके लिहाज से कुछ न कुछ कमजोरी इन्सान में होती है, कमजोरी का एक्सप्रेशन समय समय पर आता है । मैं निवेदन करूंगा कि जनरल कमजोरी पुलिस में है, तो है । मेरे कहने का मतलब है कि प्रयत्न जरूर किया गया है, उससे कमी हुई है । यह कहना कि बढ़ी है. इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं । बड़ी मुश्किल का सवाल है कि किसी चीज के ऊपर उपाय नहीं सोचा जाय तो मुश्किल है और उपाय नहीं सोचा जाय तो मुश्किल है । अगर इस बात को मानकर कि इन चीजों को ठीक करना चाहिए, जहां तक हो गवर्नमेंट से करप्शन जाना चाहिए, उसके लिए मशीनरी स्थापित की जाय, उसके लिए एजेन्सी स्थापित की जाय । कार्य के संपादन के लिए जरिये तलाश किये जायं तो एतराज, और जरिये तलाश नहीं करें तो एतराज । दोनों का साथ चलना मुश्किल बात है । जो कुछ है वह करना पड़ेगा । सफलता कितनी मिलती है उस चीज का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए । हमको देखना चाहिए कि कितनी सफलता मिलती है । यह जानना चाहिए कि उस तरीके से पूरी सफलता नहीं मिलती है तो दूसरा तरीका एडॉप्ट करना चाहिए । मैं किसी एक पर्टीक्युलर तरीके पर कन्फाइन नहीं करता, मैं एक चीज पर अपने आपको कन्फाइन नहीं करता । एन्टी करप्शन के लिए एक बड़े अफसर को रखा है ताकि इस काम पर वे पूरा ध्यान दे सकें । उन्होंने कोशिश की है । कई दफा असेम्बली में सवाल आया है कि इस अर्से में क्या हुआ, एन्टी करप्शन बोर्ड पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, एन्टी करप्शन बोर्ड का जहां तक ताल्लुक है खर्चा ज्यादा नहीं हुआ है । पहले ३५ हजार रुपये के करीब थे और अभी कम हो गया है । जहां तक एन्टी करप्शन के हिस्से की बात है पहले डिस्ट्रिक्ट में कोई एजेन्सी नहीं थी । खास तौर से २–४ जगह थीं, उनको बढ़ाया है । इसलिए खर्चा बढ़ा है । जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है, बोर्ड का खर्चा ज्यादा नहीं है ।

जैसा कि आपने बताया कि बोर्ड ने कहां कहां किस किस आदमी पर क्या क्या कार्यवाही की है, मैं उसको सरसरी तौर से आपके सामने बता देता हूं ।

सन् १९५६–५७ में इन लोगों को डिसमिस इत्यादि) किया गया है :

Dismissed from service.

1. Supervisor Fisheries, Agriculture Deptt.

2. Naib Tehsildar, Jagir Deptt.

3. Lower Division Clerk, Transport Deptt.

4. Amin, Settlement Department.

5. Forester, Forest Department.

6. Forest Gaurd, Forest Department.

7. Sarpanch vill. Panchayat Khemli, Panchayat Deptt.

8. Mistri of Chambal Project, P. W. D.

9. 4 Patwaris of Revenue Department.

10. 3 Constables of Police Department

(श्री रामकिशोर व्यास)

Demoted.

1. Teacher of Vill. School Kasoli, Tehsil Hindaun.

2. Excise Inspector, Mandalgarh.

3. Patwari of Vill. Bagwara,

Resigned Before A Departmental Enquiry Could Be Held.

1. Assistant Engineer P.W.D. (B&R).

List Of Officers or Officials Punished As A Result Of Departmental Action for Corruption.

Transferred.

1. Extra Magistrate, Jaipur, Revenue Department.

2. Marketing Officer, Jaipur, Commerce & Ind. Deptt.

Dismissed from service.

1. Meter Reader, water works, Kotah.

2. Patwari Halqa Dungar Tehsil Shergarh.

Charge sheet to be put up in court.

1. Typiest (Clerk) Irrigation Department.

2. Clerk, State High Sohool Rajgarh.

Explanation Called.

1. Distt. Forest Officer, Baran, Forest Department.

2, Accounts Officer, Medical & Health Department.

Keeping watch on.

1, Chairman Revenue Board has been requested to keep watch on the activities of Tehsildar Bonli.

Warning

1. Development Officer, Hindaun, Revenue.

2. Head Master, New High School, Kotah in 2 cases.

Entry to be made in confidential file.

1. Director of Jail Industries, Jail Deptt.

2. Executive Engineer, P.W.D. (B & R) Kotah.

इसको समेराइज़ करेंगे तो इस तरह से होगा :

१६५६-५७ के साल में ६२२ कंपलेन्ट्स रजिस्टर्ड हुई थीं जिनमें से ४५७ केसेज़ में फैसला हुआ, १८ केसेज़ में गजटेड ओफिसर्स और ८७ केसेज़ में नोन गजटेड ओफिसर्स के खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करने का ओर्डर दिया गया । ६ गजटेड ओफिसर्स और ३४ नोन गजटेड ओफिसर्स को सस्पेन्ड किया गया, ३ को डिमोट किया गया और एक ने डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया । उसी तरह १ अप्रेल, १६५७ से १८ फरवरी, १८५८ तक २८३ शिकायतें पेश हुईं । कुल ३२० केसेज़ डिस्पोज़ ओफ किये गये । २० केसेज़ में गजटेड ओफिसर्स के खिलाफ और २८ में नोन गजटेड एम्पलोईज़ के खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करने की आज्ञा दी गई । २ गजटेड ओफिसर्स का तबादला किया गया । नोन गजटेड एम्पलोईज़ को सस्पेन्ड किया गया और २ को नौकरी से बर्खास्त किया

Page No.104

(श्री रामकिशोर व्यास)

गया। दो केसेज़ में नोन गज़टेड ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने का कहा गया।

श्री भैरोंसिंह : गज़टेड ऑफिसर्स कितने डिस्मिस किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी भी गज़टेड ऑफिसर डिस्मिस नहीं हुआ। दो केसेज़ में एक्सप्लेनेशन मांगा गया, ३ को वार्निंग दी गई और एक की निगरानी रखने को कहा गया और २ गज़टेड ऑफिसर्स की कोन्फिडेन्शियल फाइल में एन्ट्री करने को कहा गया।

इस तरह से पिछले डेढ़, दो साल के पीरियड में कुछ तो किया है। इसमें एक बात आप भी कहते हैं और मैं भी मानता हूं कि हायर ऑफिसर्स की संख्या कम है। हायर ऑफिसर्स आते ही कम हैं पकड़ में। इनमें से बहुत से तो बेईमानी करते नहीं हैं और जो करते हैं वे पकड़ में मुश्किल से आते हैं। उनकी संख्या भी कम है, यह आपकी नोलेज में होगा, लेकिन जो केसेज़ हमारे सामने आये हैं उनमें प्रोसीक्युशन किया है।

दूसरी बात कही गई है वेतन के बारे में। काफी हमदर्दी का इज़हार इस बारे में किया गया है। सिपाहियों की ४० रुपयों में जिन्दगी खरीदी जाती है और क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ४० रुपयों में वे अपनी जिन्दगी देंगे ? यह नामुमकिन है, कम से कम उनके करने चाहिये १०० रुपये वर्ना ५० रुपये तो करने ही चाहिये। जिस तरह से वे लोग सहानुभूति रखते हैं उसी तरह से कम से कम उतनी तो मैं भी उनसे सहानुभूति रखता हूँ। मैं भी चाहता हूं कि उनकी तनख्वाह बढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाय, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आई. जी. पी. और कांस्टेबल्स की एक सी ही पे हो जाय। ऐसी सोशियल पेटर्न ऑफ सोसाइटी हो जाय तो शायद हो सकती है, वर्ना आई. जी. पी. और कॉन्स्टेबल की तनख्वाह एक सी हो जाय, यह पोसिबल नहीं है। एक बात यह भी कही गई कि जितना डिफरेन्स आई. जी. पी. और कॉन्स्टेबल्स की तनख्वाह में है वह सोशियल पेटन में फिट-इन नहीं होता। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि जितना कम डिफरेन्स हो सके उतना कम डिफरेन्स होना चाहिये। लेकिन अभी का जो पेटर्न है उनमें ऐसा होने में काफी समय लग सकता है। यह खाली राजस्थान का ही सवाल नहीं है वरन् सारे हिन्दुस्तान का सवाल है, ऊंचे ऑफिसर्स की तनख्वाह कम होनी चाहिये। लेकिन आई. पी. एस. और आई. ए. एस. ऑफिसर्स ऑल इंडिया सर्विसेज़ के हैं और इनका वेतन ऑल इन्डिया बेसिस पर तय होता है। उनको वही सेलेरी यहां भी देनी पड़ेगी जो ऑल इंडिया बेसिस पर मुकर्रर है। इसी तरह से आई. ए. एस. ऑफिसर्स का सवाल है और जब आई. ए. एस. और आई. पी. एस. ऑफिसर्स की तनख्वाह इस तरह से मुकर्रर होती है तो हमको आर. पी. एस. और आर. ए. एस. लोगों को भी ठीक स्तर पर रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी जितना कम से कम फर्क हो सके उतना रखना चाहिये।

अपने यहां के कॉन्स्टेबल्स और सिपाहियों की तनख्वाह की क्या हालत है और दूसरे प्रान्तों में उनकी क्या स्थिति है और अब तक हमने उनके लिये यहां कुछ किया है या नहीं, इसको देखना है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बराबर चिन्ता हमको रहती है। शुरू में जब राजस्थान बना और युनिफिकेशन ऑफ पे स्केल्स बने उससे पहले कोवेनेन्टिंग स्टेट्स में

(श्री रामकिशोर व्यास)

अलग अलग तनख्वाएं थीं, कहीं कम थीं तो कहीं ज्यादा। एक युनिफोर्म स्टेन्डर्ड मानकर सब को एक ही स्टेन्डर्ड पर लाया गया। इसमें गवर्नमेन्ट को २० लाख रुपयों का इन्क्रीज़ ऑफ एक्सपेन्डिचर करना पड़ा। उसके बाद थोडे अर्से पहले ५ रुपये का डीयरनेस अलाउन्स सबका बढ़ाया गया और उसमें १७ लाख रुपये का एक्सपेन्डिचर बढ़ा। उसी तरह कुछ और फिक्सेशन, रिओर्गेनाइज़ेशन का मामला चल रहा है उसमें करीब ४ लाख रुपयों की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करते हैं, इतना खर्चा हो जायगा। इसके अलावा खाली पे ही मेन चीज नहीं है। इसके अलावा उनको कितने ही अलाउन्सेज़ और दूसरी तरफ के फायदे मिलते हैं। यह भी अहम बात है। दूसरों से ज्यादा उनको फायदा मिले ऐसी कोशिश की है और इस प्रकार का अकाउन्स-मेंन्ट भी किया है जिससे उनको फायदा हो। बजट में यह बात मौजूद है, उनको ज्यादा फायदा मिले, डाइरेक्टली तनख्वाह के फोर्म में न भी मिले फिर भी भैरोंसिंहजी का प्रस्ताव तो करीब करीब मंजूर किया है। ५ रुपये बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी........

श्री भैरोंसिंह : डियरनेस अलाउन्स में बढ़ाया है।

श्री रामकिशोर व्यास : (जारी) डियर-नेस अलाउन्स के रूप में नहीं है, टी० ए० के रूप में है, यह आगे बताऊंगा। आपकी बात आपने फरमाया उससे पहले ही मंजूर करली। तो रिसेन्टली जो फेसिलिटी दी है उससे १७ लाख रुपयों का खर्चा करीब करीब बढ़ता है। इसका ब्रेक-अप पुट अप करूं तो इस प्रकार है; अब तक जो पुलिस के सिपाही बीमार होते थे उनको शफाखाने में खाना फ्री नहीं मिलता था, अपना खाना उनको खाना पड़ता था। अब यह प्रोविज़न किया गया है कि जो बीमार सिपाही हॉस्पिटल्स में एडमिट हों उनको फ्री खाना मिले। इसमें १ लाख १४ हजार रुपये खर्च होंगे।

मेस अलाउन्स के बारे में यह कायदा था कि पुलिस लाइन्स में मेस चलते हैं जो सिपाही पुलिस लाइन्स में मेस चलाना चाहते हैं उनको ३ रुपये गवर्नमेन्ट की तरफ से दिये जाते हैं, अब बढ़ कर ५ रु० कर दिये गये हैं, २ रुपयों का इसमें इजाफा किया गया है। यही नहीं अब तक कायदा था कि खाली पुलिस लाइन्स में रहने वाले लोगों में से जो वहां खाना चाहते थे उनको यह अलाउन्स मिलता था लेकिन अब इसको एक्सटेन्ड करके थानों में भी जितने सिपाही हैं वे यदि मेस रन करना चाहें तो उनको भी ५ रु० महीना मेस अलाउन्स मिला करेगा। इस तरह से जो फेसिलिटी पुलिस लाइन्स में मिलती थी वह सारे थाने में एक्सटेन्ड की गई। इसमें ६ लाख १६ हजार रुपयों का इम्पलीकेशन है।

इसी तरह अब तक कॉन्स्टेबल्स, हैड कॉन्स्टेबल्स और सब-इन्सपेक्टर्स को, यदि वे अपने इलाके में ड्यूटी देते हैं, तो उनको टी. ए. नही मिलता था। अपने इलाके में दौरा करते थे उनको टी ए. नहीं मिलता था। उनके लिये यह किया गया है कि हर एक को फिक्सड अलाउन्स मिलता रहे। सब-इन्सपेक्टर को ३० रु०, हैडकांस्टेबल को १० रु० और कॉन्स्टेबल को ५ रु० फिक्स्ड मिलते रहें। मैं जो ५ रु० की बात अर्ज कर रहा था वे इस तरह से मिले। इस सब में ६ लाख ३ हजार रुपयों का इम्पलीकेशन होता है।

इसी तरह से इन्क्रीज़ इन युनिफॉर्म भी हुई। युनिफॉर्म के लिये पहले डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट

(श्री रामकिशोर व्यास)

को ५० रुपये मिलते थे, उनको युनिफॉर्म बनानी पड़ती थी, ५० रु० में युनिफॉर्म नहीं बन सकती इसलिये ५० रु० से बढ़ा कर ६० रु० किये गये। इन्सपेक्टर्स को युनिफॉर्म के ३० रु० मिलते थे उनको ४५ रु. मिलेंगे, इसमें १५ रु. की बढ़ोतरी हुई।

इसी तरह पुलिस लाइन्समें डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ जगह कंपाउन्डर्स थे और १७ जगह कंपाउन्डर्स नहीं थे, उन १७ जगहों के लिये नये कम्पाउन्डर्स दिये गये ताकि कम्पाउन्डर्स ट्रीटमेन्ट के लिये अवेलेबल हो सकें।

इसी तरह से जो पुलिस मेन एन्काउन्टर्स में घायल हो जाते थे वे होस्पिटल्स में दाखिल होने पर ऑन लीव माने जाते थे। मान लीजिये किसी को चोट लग गई उसको ६ महीनों तक शफाखाने में रहना पड़ा तो उनको ड्यूटी पर न मानकर लीव पर माना जाता था। अब यह तय किया गया है कि उनको ड्यूटी पर माना जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट कुछ फायदा नहीं करना चाहती है ऐसी बात नहीं है। उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा सके ऐसी कोशिश की गई है। जो सुविधाएं दी हैं उनसे काफी संतोष मिलेगा। थोड़ी सी बात मैं और कहूं कि कॉन्सटेबल की पे है, इसकी और स्टेट्स से तुलना करें, तो कुछ खराब नहीं है, कई स्टेट्स से अच्छी भी हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि यू. पी. में पे ३०-१-४५ है, डियरनेस अलाउन्स २० रुपये है, मध्य प्रदेश में ३०-१-३८ है और डीयरनेस अलाउन्स २५ है, जब कि अपने यहां ३०-१-५० है। तो हायर साइड में अपने यहां ज्यादा है, अपने यहां ग्रेड को ५० तक ले गये हैं। तो दूसरे स्टेट्स से कम्पेअर करें....

श्री भैरोंसिंह : अजमेर की बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : अजमेर में ज्यादा थी। इसको कहने में कोई तकल्लुफ थोड़े ही है। तो जो अड़ोसी-पड़ोसी स्टेट्स हैं, उनसे ज्यादा अपने यहां समझना चाहिए। जहां तक यह प्रश्न है कि यह और बढ़नी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन इसके लिए मीन्स नहीं हैं, फाइनेन्शियल पोज़ीशन इस प्रकार की नहीं है कि इसे हम और बढ़ा सकें। साथ ही यह सिर्फ पुलिस का ही सवाल नहीं है, अगर पुलिस की तनख्वाह बढ़ाते हैं तो फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स हैं; दफ्तरी हैं, चपरासी हैं, उनकी भी बढ़ानी पड़ेगी। सभी को हमें देखना पड़ेगा, किसी को हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते। लेकिन आर्थिक स्थिति की बात होने की वजह से हम बढ़ा नहीं सकेंगे। लेकिन हमने जो कन्वीनियेन्सेज़ दी है, उनसे राहत मिलेगी।

अब थोड़ा-थोड़ा कट मोशन्स के बारे में कहता जाऊं। श्री चन्दरसिंह जी का जो कट मोशन है वह भ्रष्टाचार से सम्बन्ध रखता है। उन्होंने एक केस के बारे में कहा कि किसी आदमी ने शिकायत की किसी थाने में जाकर कि एक औरत ने एबोर्शन कर दिया है, यानि उसके बच्चा था, उसको उसने गिरा दिया। वहां पुलिस कॉन्सटेबल गया, डाक्टर भी मौके पर गया, उन्होंनें रिश्वत ली और फिर डाक्टर ने मुआयना किया और उसके बाद थोड़े अर्से में उस औरत का इन्तकाल हो गया। मैं समझता हूँ उस औरत का इन्तकाल हुआ, उसका अफसोस तो होना चाहिए लेकिन इन्तकाल किस वजह से हुआ, उसके लिए वे भी सर्टेन नहीं हैं। नेचरल डेथ हुई, या और किसी कारण से डेथ हुई, लेकिन एबोर्शन से डेथ हुई, यह

(श्री रामकिशोर व्यास)

बात दिखाई नहीं देती। लेकिन आॅर्डिनरिली पुलिस क्या करती है कि अगर उसको कोई जानकारी दे, तो वह बच्चे को पेश करती है, उसको मौके पर जाना चाहिए, डाक्टर भी मौके पर जाता है। अगर किसी प्रकार की रिश्वत की बात है, उसने रिश्वत ली है, तो इस प्रकार का पक्का सबूत दें, तो उस पर इन्क्वायरी करा सकता हूं। It is for his information.

श्री तनसिंहजी के कट मोशन का प्रश्न है, उसमें उन्होंने कुछ केसेज़ की तरफ इशारा किया है। एक तो नरसिवा जाट का केस है, जिसमें उन्होंने बताया कि उसको कोर्ट में ले गये, वैसे उसे २४ घंटे में पेश करना चाहिए लेकिन चार दिन बाद उसे पेश किया और फिर बाद में उसे बेल पर रिलीज़ कर दिया अगर यह फेक्ट है तो बेजा है और I shall make inquiry in this matter. दो तीन केसेज़ का हवाला और दिया है, उनकी मैं जानकारी करूंगा, और उन पर उचित कार्यवाही होगी, वह करूंगा क्योंकि उनका पहले से नोटिस तो था नहीं।

श्री सूबेदारसिंहजी ने अपने कट मोशन में गेहूं की निकासी के बारे में कहा कि गेंहू कि निकासी हुई। जहां तक ख्याल पड़ता है इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट की परमिट इश्यू हुई और इस प्रकार निकासी हुई है; अगर हुई है, तो पुलिस इसमें क्या करे? आपको पूरी जानकारी करके जानकारी देनी चाहिए।

श्री सूबेदारसिंह : न तो परमिट इश्यु हुई और न गेहूँ की निकासी के आॅर्डर हुए?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट से परमिट इश्यु हुई।

श्री सूबेदारसिंह : बाद में पुलिस ने बंद कर दिया। एक आदमी को देना उचित नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के हाथ की बात है।

श्री सूबेदारसिंह : एक ट्रक के लिए परमिट मिला है, साढ़े पांच लाख गेहूँ का, एक ट्रक को इजाजत दे दी है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप पूरे फेक्टस दे दीजिये, उसके ऊपर इन्क्वारी करा ली जायगी।

श्री सूबेदारसिंह : इन्क्वायरी करा सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : दो आदमियों के खिलाफ इन्क्वायरी आॅर्डर कर सकता हूं। जितना हो सकता है...

श्री सूबेदारसिंह : आप इन्क्वारी कमेटी बिठा दीजिये, मैं पूरी मदद दूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा लिख कर दे दीजिये।

उन्होंने यह भी कहा कि दिन प्रति दिन चोरी-डकेतियां बढ़ती जा रही हैं। जो चोरी और डकेतियों के फिगर्स देखे हैं उनसे तो मालूम नहीं होता कि चोरी और डाके बढ़े हैं, लेकिन पहले जो चोरियां होती थीं, तो उस समय इतनी जनता में काॅन्शियंस नहीं थी, वे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब इतनी काॅनशियसनेस आ गई है कि अगर एक भी चोरी हो जाय तो बुरा मालूम होता है। बुरा मालूम होना भी चाहिए, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन चोरी और डाके होते हैं, तभी साल भर का औसत बैठता

(श्री रामकिशोर व्यास)

है और ऐसा भी नहीं है कि धौलपुर में चोरी नहीं हुई हो। लेकिन धौलपुर के फिगर्स हैं, उनके लिहाज से मैं आपको कह दूं कि ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि धौलपुर में चोरी ज्यादा हुई हैं। किसी महीने में हुई हों, औसत निकाल कर जो पिक्चर रहती है, वह देखने की बात होती है। फिर भी जो चोरियां हुई हैं, उनकी बरामदगी करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि अवश्य करनी चाहिए।

श्री रामेश्वरदयाल ने कट मोशन के बारे में डी.आई. जी. भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड के बारे में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कोटा एक इम्पोर्टेन्ट एरिया है और वहां अमृतलाल के गैंग से जनता को डेन्जर मालूम पड़ा। मैं निवेदन करूं कि रिऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ रेन्जेज़ होना चाहिये, डी. आई. जी. के बारे में रेन्जेज़ को किस तरह एडजस्ट करें और क्या पालिसी हो सकती है। इसके लिए अभी से कोई कमिट करने की चीज नहीं है। I shall consider it.

श्री डागाजी ने अपने कट मोशन में पुलिस बिल्डिंग पाली की बात कही। वे उस मौके पर रहते हैं. शायद उनको मालूम हो पाली में इस समय तीन पुलिस स्टेशन्स हैं और १० आउट पोस्ट्स हैं, जिनके पक्के मकान हैं, सरकारी मकान हैं। सिर्फ एक आउट पोस्ट मील में है। उसको आयन्दा जगह तलाश करके रख देंगे।

इसके अलावा पुलिस लाइन की बात कही, वह ठीक है। मैं उन्हें इन्फॉर्म करूं कि पाली में पुलिस लाइन्स बनाने की सेंक्शन हो चुकी है और साइट तलाश की जा रही है और हमने एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर को केस दे दिया है कि पुलिस लाइन्स का काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। जो होम डिपार्टमेंट का काम था वह हेन्ड ओवर कर दिया गया है। पुलिस लाइन्स की बिल्डिंग बन जायगी, इससे कुछ रिलीफ मिलेगा जब कि जो काम है वह पूरा हो जायगा। रहा सवाल पुलिस मकानात बनाने के लिए, रेज़िडेन्शियल और थाने की बिल्डिंग बनाने के लिए, तो जैसे जैसे रुपया मिलता है, वैसे वैसे बना रहे हैं। इससे अधिक फिर जानकारी दे सकूंगा।

श्री रामेश्वरदयाल : जी ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरी बात तफ्तीश के बारे में कही। इतना मुझे ठीक लगता है कि इन्वेस्टीगेशन में इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसके लिए जो कुछ एटेम्पट हो सकते हैं we will try to do.

श्री बहादुरसिंह ने प्रमोशन्स के बारे में कुछ कहा कि बहुत अनियमितताओं के साथ प्रमोशन किये जाते हैं, बेजा तरीके से किए जाते हैं। मैं आपसे कहूं कि प्रमोशन का विश्लेषण करें तो जहां तक आई. पी. एस. का ताल्लुक है, जहां तक एस. पी. के प्रमोशन का ताल्लुक है, उसकी कॉन्करेन्स यू. पी. एस. सी. से लेनी होती है। एस. पी. का जहां सवाल है वहां यू. पी. एस. सी. की कान्करेन्स लेनी पड़ती है, इसके लिए यू. पी. एस. सी. की रिपोर्ट आती है, उस पर मंजूरी आती है और जब एप्रूवल हो जाता है तब आई. पी. एस. को. एस. पी. की जगह लेते हैं। इसलिए इसमें इर्रेगुलेरिटी की बात नहीं हो सकती। अपन चाहें तब भी एप्रूवल न आए, अपन चाहें तो एप्रूवल आ जाय, यह उनके हाथ की बात है, इसमें कोई रूल्स के डिफेक्टिव होने की बात नहीं है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

आर. पी. एस. का जहां तक ताल्लुक है, उसकी पी. एस. सी. की एप्रूवल से नियुक्ति करनी पड़ती है। इसके लिए एक प्रोसीजर है कि एक कमेटी है, उसमें आई जी. पी. होम सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी कुछ और लोग हैं, जो पी. एस. सी. के मेम्बर हैं, कमेटी सब व्यक्तियों के रिकॉर्ड को देख कर कुछ निर्णय करती है कि कौन व्यक्ति इन्सपेक्टर के पद पर प्रोमोशन देने का अधिकारी है और फिर सलेक्शन करती है। एप्रूवल पी. एस. सी. से ली जाती है और फिर नियुक्ति की जाती है। यह हो सकता है कि उसमें कुछ न आयें और कुछ आ जायें, यह सिलेक्शन की बात है। कमेटी बैठती है वह सिलेक्शन कर ले और न भी कर ले, कमेटी पर हमारा कोई असर नहीं है। अब तक जो भी कमेटी की रिकमन्डेशन्स आई हैं, उनको एक्सेप्ट किया है। माननीय सदस्य ने दो मिसालें दीं, एक फतहलाल वाली दी है और दूसरी कन्हैयालाल की मिसाल दी है। कन्हैयालाल का जो केस है उसका मुझे पूरा ख्याल नहीं है, फतहलाल के केस का ख्याल है। यह केस इस तरह से था कि इस मामले को इस कमेटी के सामने रखा गया था कि उसने इनको ठीक नहीं समझा। कमेटी ने जो प्रमोशन दिये थे, उनके कुछ रिप्रेज़ेन्टेशन इन्होंने दिये कि पूरा रिकॉर्ड कमेटी के सामने नहीं गया है। इसलिए रिकॉर्ड कमेटी के सामने भेजा जाय और कमेटी जो राय बना सके वह बनाये। मैं आपको बताऊं कि यह रिकॉर्ड गलती से रह गया था, वह रिकॉर्ड भेज दिया गया और कमेटी ने मामले को रिकन्सीडर किया और इन्हें आर. पी. एस. के लिए भेजने के लिए मुनासिब समझा और पी. एस. सी. ने इनके रिकॉर्ड को देख कर इन्हें एप्रूव किया, इसलिये इसमें कोई गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया हो, चढ़ा दिया हो, ऐसी बात नहीं है। उसका रिप्रेज़ेन्टेशन आया कि उसकी पूरी एन्ट्रीज़ का रेकॉर्ड नहीं गया है, रह गया है इसलिये उस पूरे रेकॉर्ड को भेजा जाय, वह दुबारा भेजा गया और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया।

५ म० प०

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने ये सर्विस शीट्स सब इन्सपेक्टर्स की भेजी थी या खास खास की भेजी थी जिनमें फतहलाल का भी नाम शामिल था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो कमेटी सिलेक्शन करती है, उसके पास मेटर पूरा रहता है।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी सारी लिस्ट में से थोड़ा ही करती है।

श्री रामकिशोर व्यास : कमेटी सिले-क्शन करती है। जिनके नाम होते हैं, उनकी लिस्ट भेज दी है, उसके पास मेटीरियल तो सारा रहता है। किसी का देखना हो तो देख लेती है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है; सिलेक्शन कमेटी करती है तो उसके पास सिलेक्टेड के नाम भेजते हैं या कमेटी के पास पूरी लिस्ट रहती है उसमें से वह सिलेक्शन करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कमेटी के सामने पूरी लिस्ट रहती है, सब का रेकार्ड देखती है।

श्री भैरोंसिंह : यह इन्फॉर्मेशन आप और करेक्ट कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : करेक्ट है।

इन्सपेक्टर्स के प्रोमोशन के लिये डी. आई. जीज़ हैं उनका एक बोर्ड बैठता है, वह बोर्ड प्रोमोशन देता है। यही तरीका जो है वह कॉनिस्टेबल्स और हैड कानस्टेबल्स के लिये है, इसमें अनियमितता की बात तो नहीं होती है। इसमें बाज वख्त ऐसा होता है कि जो हमारे ताल्लुक के होते हैं, वह नहीं आते हैं, तो इसके लिये तो क्या किया जा सकता है, कमेटी करती है।

इसी तरह श्री फतहसिंहजी ने कुछ बातें कही थीं जो तो ५४-५५ के पुराने मामले हैं उनमें तो मैं इस वख्त कमिट नहीं करना चाहता, क्योंकि वे बहुत पुराने मामले हैं। अभी का ५७ का केस बताया, उसमें एक मुलम्मात बरदी थी, उसने थाना टाडगढ़ में रिपोर्ट की, रिपोर्ट पर ३६६। ३७६ में केस दर्ज हुआ, जिस कॉनस्टेबल के खिलाफ शिकायत थी, उसको सस्पेन्ड किया गया पर वह प्रूव नहीं हुआ फिर भी आपके पास और सबूत हों, आप कोई और सहादत दे सकते हों तो मैं इसे फिर से रिओपन कराने को तैयार हूं। The case can be reopened and examined further.

श्री फतहसिंह : Thank you.

श्री रामकिशोर व्यास : श्री बालमुकुन्द ने डूंगरपुर के बारे में बातें कहीं कि सिपाही, हैड कॉनिस्टेबिलों ने रिश्वत ली। एक शिकायत हमारे पास आई है जिसमें कॉनिस्टेबिल्स, हैड कॉनिस्टेबिल्स और सब-इन्स्पेक्टर्स के खिलाफ शिकायत थी। सब-इन्स्पेक्टर्स के खिलाफ यह शिकायत थी कि बस का रूट बदल दिया और कॉनिस्टेबिल और हैड कॉनिस्टेबिल्स के खिलाफ यह शिकायत थी की उन्होंने इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन लिया। उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जा रही है, पता नहीं माननीय सदस्य का मतलब इसी शिकायत से था।

श्री पी. के. चौधरी ने कुछ बातें बताई हैं, पुलिस की हाइहैंडेडनेस और अभी की हंगर स्ट्राइक के बारे में पुलिस ने पकड़ा, यह कहते हैं कि हंगर स्ट्राइकर्स के साथ बेजा हरकत की जाती है। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कह कर यही कहता हूँ कि यह ओफेन्स बनता है और मान भी लीजिए कि यह पुलिस की गलती हो तो कोर्ट में पेश कर दिया और कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोर्ट भी हमारे इन्फ्लुएन्स में आकर पार्शियेलिटी करता है, तो यह कहना कोर्ट के लिए कम से कम उचित नहीं होगा। कोर्ट के बारे में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : This is unprecedented.

श्री रामकिशोर व्यास : उनको तो बक्सना चाहिए, वह तो जायज बात ही मानेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : This is only a case of its kind in the whole of India.

श्री रामकिशोर व्यास : एक आपने कहा कि एप्लीकेशन दस्तखत करवा कर दी थी। उसमें जनरल एलिगेशन्स काफी थे, आपको वह मालूम है फिर भी कुछ एक्शन तो लिया ही गया है।

श्री पी० के० चौधरी : I resent the remarks of the D. I. G.

श्री रामकिशोर व्यास : इसी तरह आपने अजमेर के कुछ सब-इन्स्पेक्टर्स थे

(श्री रामकिशोर व्यास)

उनके रिवर्शन के बारे में कहा कि ५ सब-इन्सपेक्टर्स को रिवर्ट कर दिया। मैं अर्ज करूं कि अजमेर के थे इस वजह से रिवर्ट किया हो, यह बात नहीं थी। सब-इन्सपेक्टर्स किशनगढ़ से ट्रेन्ड होकर आये थे इस वजह से जो ओफिशियेटिंग सब–इन्सपेक्टर्स जूनियर मोस्ट थे, वे रिवर्ट हुए। अब आपकी यह दलील है कि कमेटी में तय हुआ था कि अजमेर से आये हुए स्टाफ को रिवर्ट नहीं करेंगे, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तो ओफिशियेटिंग थे, सब्स्टेन्टिव जिनका अपॉइन्टमेंट हो उनको रिवर्ट नहीं करने के बारे में कमेटी में तय हुआ था। अजमेर के मर्जर के कोई तीन-चार दिन पहले थानेदार बना दिये गये थे और किशनगढ़ से ट्रेन्ड सब-इन्सपेक्टर्स के आने के कारण जो जूनियर मोस्ट थे उनको रिवर्ट करना था, ये जूनियर मोस्ट थे इसलिए इनका रिवर्शन किया गया और कोई बात नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : सीनियोरिटी लिस्ट भी नहीं बनी है।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरे मुरलीधरजी ने उदयलाल सुनार का केस रखा, उनको जवाब दे चुका हूं। वे एक एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन्स तो चाहे जितनी लिखवा सकते हैं, मैं ला सकता हूं, प्रूव करने की बात है। We will again examine the matter.

फिर भी स्मगलिंग के मामले में पुलिस काफी सतर्क है, पुलिस ने काफी सोना पकड़ा है, बजट के मौके पर कहा था, मैं फिर वे आंकड़े बता दूं :

१६५६ में १२१० तोले सोना पकड़ा गया जो १२१०,०० की कीमत का था।

१६५७ में २६५३॥ तोले सोना पकड़ा गया जो २६५३,०८ की कीमत का था।

१६५८ में १११२ तोले सोना पकड़ा गया जो ११३२०० कीमत का था।

यों कुल मिला कर ५२६५,०८ रुपयों का सोना पकड़ा गया।

५६ में १६ मन १५ सेर अफीम पकड़ी गई, कीमती ४३५०३५।

५७ में १६ मन १७ सेर अफीम पकड़ी गई, ६२१६४५ रुपये की।

५८ में करीब १५ हजार रुपये की पकड़ी गई।

तो मैं बता रहा था पुलिस, स्मगलिंग का जो मामला है उसमें काफी सचेत है। पुलिस वाले गलती करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, दो केसेज़ में एक्शन लिया गया है और कार्यवाही की गई है, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हों तो कहा जा सकता है, ठीक है; पर जहां मालूम होता है एक्शन लेते हैं, एक्च्युअली लिया है और आयन्दा भी लेंगे। बस यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

एक माननीय सदस्य : मेवाड़ भील कोर्प्स के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा।

श्री रामकिशोर व्यास : मेवाड़ भील कोर्प्स को कम तनख्वाह दी जाती है, यह जो कहा गया यह सही नहीं है। वह रेगुलर युनिट का पार्ट है, उनको वही तनख्वाह मिलेगी जो और-और सिपाहियों को मिलती है।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहें वे खड़े हो जावेंगे। एक एक माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

अब कटौती के प्रस्तावों पर मतदान होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मीचन्द ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री तनसिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री तनसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री चन्द्रसिंह।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रसिंह यादव ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सूबेदारसिंह को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सूबेदारसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री लच्छूराम।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री लच्छूराम ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

श्री रामेश्वरदयाल : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामेश्वरदयाल को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामेश्वरदयाल : I withdraw my cut-motions.

श्री लक्ष्मण हीरात : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : He has said that he withdraws his cut-motion.

श्री अध्यक्ष : It is a mere form. प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मण हीरात को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

Page No.113

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा को अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री बहादुरसिंह : मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री बहादुरसिंह को अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बहादुरसिंह : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री फतहसिंह ने रखे हैं स्वीकार किये जाएं ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री शिवचरणदास ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री शिवचरणदास ने रखे हैं स्वीकार किये जाएं ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री गिरधारीलाल ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल ने रखे हैं स्वीकार किये जाएं ?

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री बालमुकुन्द ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री बालमुकुन्द ने रखा है स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw my cut-motions.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut-motions.

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने रखा है स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखे हैं स्वीकार किये जाएं ।

(अस्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

(विराम)

प्रश्न यह कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २९-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ३,६३,५५,००० तक की राशि प्रदान की जावे ।" यह मांग स्वीकार की जाए ?

(स्वीकृत)

यह मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५.१६ बजे कल दिनांक २० मार्च, १९५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, १६ मार्च, १६५८)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	४००६

पुलिस के सिपाहियों द्वारा बसों में बिना किराया दिये यात्रा करना ।

पशु-चिकित्सा संबंधी विशेष शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रों को विदेश भेजने की योजना ।

नगर विकास मंडल, जयपुर ।

राजनैतिक दलों की गति-विधि की सूचना देने वाले व्यक्तियों को दी जानेवाली सहायता ।

ग्राम ढीपरी, तहसील पीपल्दा में खाल को बंधाने संबंधी व्यवस्था ।

हाईस्कूल चाकसू हेतु नगरपालिका द्वारा स्वीकृत धन-राशि ।

अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद और प्रकाशन ।

अध्यक्ष, नगरपालिका सीकर ।

पंचायतों के वार्डों का विभाजन ।

राजस्थान प्रदर्शनी, १६५७ ।

नगर विकास मण्डल, जयपुर में हरिजनों का प्रतिनिधित्व ।

नगरपालिका बीकानेर ।

बंदियों की भर्ती ।

नगरपालिका, बाड़मेर ।

छोटी सादड़ी (चित्तौड़) में कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इवीक्शन एक्ट का लागू किया जाना ।

कृषि विभाग द्वारा ट्रकों की खरीद ।

पॉवर हाउस, निवाई ।

गवर्नमेन्ट डिस्पेन्सरी, आबूरोड ।

गम्भीरी बांध (चित्तौड़) ।

हरिजनों के लिये जयपुर में आदर्श बस्तियों की स्थापना ।

सुखानियां बांध (बांसवाड़ा) ।

सरकार द्वारा जिला बोर्डों को कन्ट्रीब्यूशन दिये जाने की व्यवस्था ।

ग्राम बेडमां (चित्तौड़) में पकड़ी गई अफीम ।

प्रसूति केन्द्र, सोजत सिटी ।

पम्पिंग सेट्स के लिए तकावी ।

भूमि कटाव ।

सरकार द्वारा बंद पड़ी कपड़ों की मिलों की पुनः चालू करवाने की व्यवस्था ।

नगरपालिकाओं की स्थापना ।

गौशाला सीकर ।

मनोनीत हरिजन पंच, तहसील पंचायत पदमपुर ।

सड़क निर्माण ।

	स्कम्भ
स्थगन प्रस्ताव	४०५६

तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू के थानेदार द्वारा सार्वजनिक कार्य कर्ताओं की गिरफ्तारी से सम्बन्धित श्री गिरधारीलाल के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई । इस सम्बन्ध में श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, द्वारा दिनांक २२ मार्च, १६५८ को एक वक्तव्य दिया जायगा ।

समितियों का मनोनयन	४०६०

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य सलाह-

स्कम्भ

कार समिति तथा गृह समिति, मनोनीत की जाकर उनके सदस्यों के नाम घोषित किये गये जो इस प्रकार हैं :—

(१) कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee). ४०६८

(१) श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।
(२) राजा श्री मानसिंह।
(३) श्री भैरोंसिंह (१४)।
(४) श्री हरिदेव जोशी।
(५) श्री मोहब्बतसिंह।

(२) गृह समिति (House Committee)

(१) उपाध्यक्ष महोदय।
(२) राजा श्री मानसिंह।
(३) श्री सज्जनसिंह।
(४) श्री रघुवीरसिंह।
(५) श्रीमती गंगादेवी डाटा।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ४०६०

श्री मोगजी, सदस्य, विधान सभा, को दिनांक १४-३-५८ से १८-३-५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

सार्वजनिक महत्व के विषय पर वक्तव्य ४०६१

कोटा से १८७३१ मन गेहूँ की निकासी पर रसद मंत्री का वक्तव्य

बारां की एक फर्म मेसर्स शिवजी माधवजी को १८,७३१ मन गेहूं, जो उसने राज्य सरकार से हाड़ोती के अकाल पीड़ित किसानों के हेतु सस्ते भाव पर खरीदा था, जोन्स से बाहर निकास करने का परमिट दिये जाने तथा उस फर्म द्वारा इस गेहूं के बदले दूसरे गेहूं को निकास करने का प्रयत्न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाकृष्ण विजय की सूचना पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, रसद और एवं खाद्य मंत्री, द्वारा एक वक्तव्य दिया गया।

स्कम्भ

अनुदानों की मांगों पर मतदान। ४०६७

मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-पुलिस।

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर ३० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निम्नांकित सदस्यों के भाषण हुए:—

१. श्री लक्ष्मीचन्द।
२. श्री तनसिंह।
३. श्री चन्द्रसिंह।
४. श्री सूबेदारसिंह।
५. श्री लच्छूराम।
६. श्री रामेश्वरदयाल।
७. श्री लक्ष्मण हीरात।
८. श्री मूलचन्द डागा।
९. श्री बहादुरसिंह।
१०. मेजर श्री फतहसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह की गिरफ्तारी सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न ४१३६

श्री भैरोंसिंह (१४) ने उक्त विशेषाधिकार प्रश्न उठाया, जिस पर विशद् वाद-विवाद के पश्चात् श्री उपाध्यक्ष ने अपना निर्णय कुछ दिनों के लिए स्थगित किया।

मांग संख्या १३-मुख्य-शीर्षक २६-पुलिस ४१५३

उपरोक्त मांग पर पुनः विचार प्रारम्भ हुआ तथा निम्नांकित सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये :

११. श्री शिवचरणदास।
१२. श्री गिरधारीलाल।
१३. श्री बालमुकुन्द।
१४. श्री पी. के. चौधरी।
१५. श्री मुरलीधर व्यास।
१६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर।
१७. श्री भैरोंसिंह (१४)।

इस मांग पर की गई बहस का उत्तर गृह मंत्री द्वारा दिये जाने पर १३ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिए गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तदुपरान्त उक्त मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

गुरुवार, दिनांक २० मार्च १९५८—की कार्य-सूची

अनुदान की मांगों पर मतदान।
(निर्माण तथा राजस्व)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८४ का उत्तर देखिये)

Statement showing names of persons who have been granted Loan for the purchase of pumping Sets in the Tehsils, Bayana, Weir and Rupbas of Bharatpur District.

S. No.	Name of Tehsil	Name of party	Date of payment	Amount Paid	Pumping Set purchased or not.	Officer certified purchase	Amount repaid or instalments are being paid regularly	Action against the defaulters taken with date.
1.	Weir	Shri Kehri Singh Pandey r/o Bhusawar,	7-2-51	4700	Not purchased	—	—	The defaulter was served a notice to refund the amount on 19-7-54. His shops etc. were attached. Now action under P.D.R. Act is being taken against him.
2.	Weir	Shri T. N. K. Acharya r/o Weir	6-3-51	3000	Purchased the Pumping Set.	Tehsildar Weir.	Due instalments are being paid regularly.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Rupbas	Shri Sukki Lal Vaish r/o Rupbas.	16-11-51	1350	Purchased the Pumping Set.	Tehsildar Rupbas.	Due instalments are being paid regularly.	
4.	„	Shri Nathilal Pancholi r/o Pichuna.	31-7-51	2500	-do-	-do-		
5	„	Shri Pooranchand Sindhi r/o Rupbas.	31-5-52	2882	Not purchased	—	Total amount recovered.	
6.	„	Shri Shyam Lal Phojdar r/o Ondeljat.	29-5-53	3000	-do-			The defaulter was served with a notice to refund on 15-3-54, the entire amount paid to him. His belongings have been attached and proceedings for auction are being taken.
7.	Weir	Shri Girdhar Singh Jat r/o Pathena.	7-1-54	1500	Pumping Set purchased	Tehsildar Weir.	Due instalments are being paid regularly.	
8.	„	Shri Bahadur Singh Jat r/o Pathena.	27-1-54	1500	-do-	-do-	-do-	
9.	„	Shri Dhurv Singh Jat r/o Pathena.	24-3-54	1500	-do-	-do-	-do-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Bayana	Shri Pritam Singh Panjabi r/o Kothikhera	7-1-56	1200	Pumping set purchased	Tehsildar Bayana.	Due instalments are being paid regularly.	
11.	Rupbas	Shri Babu Singh & Lalita Pd. r/o Mahalpur Chura	27-3-57	1750	Tehsildar Rupbas has reported that the pumping Set has been received but it has not been installed at any well as yet.		No instalment has become due.	

परिशिष्ट २

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

चिकित्सालय की स्थापना

६६३. श्री श्रीराम बासोतिया क्या (निम्बाहेडा) : स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या नवलगढ़ कस्बे में एक डिस्पेंसरी खोलने का सरकार का इरादा है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्न

डाक बंगलों का निर्माण

६६४. श्री शिवनाथसिंह (गुडा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. झुन्झुनू जिले में कितने सरकारी डाक बंगले हैं ?

२. पिछले दस सालों में किस किस जिले में कितने कितने डाक बंगलों का निर्माण हुआ है व इस समय जिलेवार कितने डाक बंगले हैं ?

३. क्या यह सही है कि कलेक्टर, झुन्झुनू तथा सहायक इन्जीनियर, झुन्झुनू के यहां से कई बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि इस जिले में डाक बंगलों या रेस्ट हाउसेज़ की बहुत कमी है ?

४. यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) एक है।

(२) सूची प्रस्तुत है।

(३) जी हां।

(४) सरकार के विचाराधीन है।

सूची डाक बंगलों की जो १० वर्ष में निर्मित किये गये।

क्रम संख्या	नाम जिला	निर्मित संख्या १० वर्ष में	डाक बंगला, सर्किट हाउस आदि।	योग
१.	जयपुर	—	१३	१३
२.	सवाई माधोपुर	—	६	६
३.	टोंक	—	२	२

१	२	३	४	५
४.	झुन्झुनू	—	१	१
५.	सीकर	१	—	१
६.	अलवर	—	२	२
७.	भरतपुर	—	७	७
८.	कोटा	—	८	८
९.	बूंदी	—	२	२
१०.	झालावाड़	—	५	५
११.	जोधपुर	१	३	४
१२.	नागोर	—	६	६
१३.	पाली	—	११	११
१४.	जालोर	२	१	३
१५.	सिरोही	—	१४	१४
१६.	बाड़मेर	५	२	७
१७.	जेसलमेर	२	१	३
१८.	बीकानेर	—	४	४
१९.	गंगानगर	—	७	७
२०.	चूरू	१	३	४
२१.	उदयपुर	४	५	९
२२.	चित्तौड़	—	५	५
२३.	भीलवाड़ा	—	३	३
२४.	बांसवाड़ा	—	१	१
२५.	डूंगरपुर	—	३	३
२६.	अजमेर	—	७	७

प्रश्न

रसद विभाग, भूतपूर्व कोटा राज्य की बकाया रकम

६९५. **श्री रामेश्वरदयाल (कोटा)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा जिले में भूतपूर्व कोटा राज्य के सिविल सप्लाई विभाग की कितनी बकाया लोगों से लेना है और अब तक यह वसूल क्यों नहीं हुई ? इस वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? एक सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) कोटा राज्य के सिविल सप्लाईज़ विभाग की १,६८,४०४।०।० रु० की रकम लोगों के नाम बाकी है।

(ख) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। जिसके कारणों का भी उल्लेख कर दिया गया है।

प्रश्न

नकशा रकम १,६४,४०४ रु० बकाया जो कोटा राज्य के समय का लोगों से लेना है।

संख्या	नाम व पता	रकम	कार्यवाही जो जारी है।
१.	श्री जानकीलाल गोरीलाल	६६४०८-८-६	रिवीज़न पिटीशन रेवेन्यू बोर्ड द्वारा रद्द करदी गई है। आगे कार्यवाही के लिये गौर किया जा रहा है।
२.	श्री सेठ हजारीलाल पुत्र श्री बहादुरलाल कुंजड।	१४१४०-१३-३	पार्टी ने कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है।
३.	श्री टिप्परचन्द भीमा शंकर।	५६-०-६	इसकी जांच की जा रही है।
४.	श्री मिश्रीलाल बजरंगलाल बाफना, कोटा।	२५१३-०-०	रकम जमा करने के लिये पार्टी को नोटिस दिया गया है।
५.	श्री फूलचन्द हरचन्द मनोहरनाथ।	१८८-३-०	वसूली पी० डी० आर० एक्ट के
६.	श्री जमनालाल बहारा अटरू।	१०३५-३-६	तहत चल रही है।
७.	श्री उम्मेदलम मांगरोल।	६०२-१५-३	वसूली पी० डी० आर० एक्ट के तहत चल रही है और पार्टी के काउन्टर क्लेम की जांच की जा रही है।
८.	श्री सूरजमल चमूनिया, कोटा।	१७५८-४-६	हिसाब की जांच की जा रही है।
६.	श्री बरकतुल्लाह खां, अटरू।	६५७-१४-६	तहसीलदार, अटरू द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
१०.	श्री रामनारायण दहीखेड़ा।	५६३१-११-६	पी० डी० आर० एक्ट के तहत एस० डी० ओ०, अकलेरा के द्वारा वसूली की कार्यवाही जारी है।
११.	श्री बैजनाथ विरधीलाल इटावा।	५२७-३-०	एस०डी०ओ०, कोटा को रकम वसूल करने के लिए प्रार्थना की गई है।
१२.	श्री अलीमोहम्मद, छीपाबडोद।	२६२४५-३-३	एस० डी०ओ०, छबडा द्वारा रकम वसूल की जा रही है।
१३.	श्री चौधरी माधोसिंह विजयलाल, बारां।	६६०८-७-०	पार्टी ने कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है।
१४.	श्री किस्तूरचन्द खुराडा।	१४३७-५-०	पार्टी ने काउन्टर क्लेम का सिविल सूट दायर कर रखा है।

परिशिष्ट

सिरोही में राजकीय भवनों का निर्माण

६६६. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Public Worsks Department be pleased to state :—

Is the Government contemplating to complete the bulidings of collectorate and other government offices at Sirohi ? If so, when this work is to be started ?

उत्तर

Yes. The work is likely to be started early during the year 1958-59.

Plans and Estimates have been prepared and are under scrutiny.

प्रश्न

बनीपार्क योजना, जयपुर

६६७. डॉ० चन्द्रकला, (किशनपोल, जयपुर) :— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि बनीपार्क योजना में पार्क, स्कूल तथा खेल मैदान के लिए छोड़ी हुई जमीनों को प्लॉट बनाकर बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा स्कूल के लिये दूसरी कौनसी जमीन निर्धारित की गई है ?

(२) क्या पार्क आदि के लिए खुली जगहों के पास की जमीन की कीमत कुछ अधिक ली गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(३) बनी पार्क क्षेत्र में पार्क आदि के लिए छोड़ी हुई जमीन के विकास के संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) खुली जगह के पास की जमीन की कीमत जयपुर सरकार के समय कुछ ज्यादा ली गई थी मगर यह क्यों हुआ, इसका विवरण उपलब्ध फाइलों से पता नहीं चलता ।

(२) यह सच है कि जो क्षेत्र स्टेट स्कूल के लिए छोड़ा गया था उसे स्कॉटिश मिशन स्कूल को व किसान छात्रावास को जयपुर सरकार ने दिया था । किसान छात्रावास का क्षेत्र उनके ही कब्जे में है, मगर मिशन स्कूल न बनने के कारण उसका क्षेत्र प्लॉट्स में विभाजित कर पब्लिक को दे दिया गया है । एक भूखण्ड गर्ल्स मल्टीपर्पज़ स्कूल के लिये निर्धारित किया गया और उसका निर्माण पी० डब्ल्यू० डी० की ओर से किया जा रहा है, टेन्डर्स निकल चुके हैं । लड़कों के स्कूल के लिए भी क्षेत्र निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है और शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी । प्लॉट नं० डी० ३ से डी० ८ तक के सामने की खुली जमीन पर गर्ल्स मल्टीपर्पज़ स्कूल का निर्माण होने जा रहा है जैसा कि प्रश्न नं० ३ में बताया गया है डी० ११ से डी० १३ तक की खुली जमीन में पार्क बनाने का विचार है परन्तु और पार्कों के निर्माण के बाद खर्चे की सुविधा को देखते हुए निर्माण किया जा सकेगा ।

(३) उपरोक्त उत्तरों से यह प्रतीत होगा कि दो खुली जमीनों पर पार्क निर्माण किये जा रहे हैं, बाकी खुली हुई जमीनों पर पार्क बनाने की योजना पीछे ली जावेगी ।

प्रश्न

सड़क निर्माण

६६८. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर) :—क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि तहसील बामनवास से गांव लवाली तक वर्षा के कारण ८ माह तक रास्ता खराब होने के कारण बन्द रहता है तथा गाड़ी आदि भी नहीं जा सकती हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग में पहले भी सरकार ने २ मील तक ही सड़क बनाकर छोड़ दी थी तथा कुछ पुलियों का निर्माण भी किया था ?

(ग) यदि हां, तो इस मार्ग को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(क) सम्भव है ।

(ख) बामनवास से लवाली तक कोई सड़क, पुलियां इत्यादि नहीं बनाई गई ।

(ग) कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न

सूरजगढ़, झुन्झुनू में व्यापार संघ द्वारा आयात व निर्यात होने वाले माल पर लिया जाने वाला कर

६६९. श्रीमती सुमित्रा (पिलानी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सूरजगढ़ मण्डी, जिला झुंझुनू में ५ आना प्रति सैकड़ा रुपया व ३ नये पैसे प्रति बोरा आयात व निर्यात होने वाले माल पर टैक्स लिया जाता है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि यह टैक्स व्यापार संघ नाम की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा वसूल किया जाता है और न दिये जाने पर माल-असबाब रोक कर नीलाम कर दिया जाता है ?

(ग) क्या इस टैक्स के लिए राजस्थान सरकार से कोई स्वीकृति ली गई थी ?

(घ) अगर हां, तो कब और नहीं, तो क्या कोई संस्था या व्यक्ति बिना सरकार की स्वीकृति के कोई टैक्स वसूल कर सकता है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(क) झुंझुनू जिले के अन्तर्गत मंडी सूरजगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा से बाहर है । सूचना नहीं है कि मन्डी सूरजगढ़ में आयात व निर्यात होने वाले माल पर कोई टैक्स वसूल किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न

कस्बा लबान में आवागमन हेतु सड़क की व्यवस्था

७००. श्री रामधन (दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या कस्बा लबान तक, जो एक तहसील का अच्छा कृषि केन्द्र है तथा जिसकी आबादी भी काफी है व जहां कितने ही सरकारी कार्यालय जैसे पोस्ट ऑफिस, स्कूल, पुलिस चौकी आदि भी हैं, सड़क की व्यवस्था किसी योजना में आई है या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक आशा की जावे ?

उत्तर

कोई योजना नहीं है। भविष्य के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला जालौर में सड़कों का निर्माण

७०१. श्री नरपतसिंह (जालौर):—क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिला जालौर में कौन कौन सी सड़कें बनाने की योजना सरकार ने बनाई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सत्य है कि उस योजना में बागोड़ा से जालौर तक की सड़क बनाने का टार्गेट बनाया गया था ? यदि हां, तो कार्य पूरा हुआ या नहीं ?

उत्तर

(क) सूची प्रस्तुत है।

(ख) सत्य नहीं है।

परिशिष्ट

FIRST FIVE YEAR ROAD PLAN (STATE SECTOR) -DISTRICT JALORE.

S. No.	Name of the work.	EstimateP Cost.	EstimateP Mileage.	Target during First Plan. Expenditure.	Target during First Plan. Mileage.	Actual Expenditure during Ist Plan. Cost.
1.	Metalled road from Sumerpur to Ahore Via Tikha tgarh.	Rs. 3 30,430/-	16	Rs. 1,40,000/-	7	Rs, 1,82,000/-
2.	Gravelled road bifurcating from Jodhpur-Pali Road Mile 19 to Ahore.	Rs. 1,02,590/-	17	Rs. 1,02,590/-	17	Rs. 1,02,590/-
3.	Metalled road from Jalore to Ahore.	Rs. 2,26,800/-	12	Rs. 2,26,800/-	12	Rs. 2,26,800/-
4.	Gravelled road from Sindri to Sanchore	Rs. 1,00,000/-	20	Rs. 1,00,000/-	20	Rs. 1,00,000/-
5.	Gravelled road from Sanchore to Raniwara.	Rs. 1,76,201/-	30	Rs. 1,76,201/-	30	Rs. 1,76,201/-
6.	Metalled road from Bagara Railway Station to Town.	Rs. 18,200/-	¾	Rs. 18,200/-	¾	s. 18,200/-
7.	Metalled road from Malwara Railway Station to Town.	Rs. 39,501/-	2	Rs. 39,501/-	2	Rs. 39,501/-
8.	Improving the Nallah crossing on road from Jalore town to Railway Station.	Rs. 26,700/-	-	Rs. 26,700/-	-	Rs. 26,700/-
9.	Causeway at Mile 4 on Jawai River on Ahore to Jalore Road.	Rs. 91,00/-	-	Rs.21.000/-	-	— nil
		Rs. 11,11,422/-	97¾	Rs. 8,50,992/-	83¾	Rs. 8,71,992/-

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १६ मार्च, १६५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४०१३	अन्तिम	मेरा ख्याल है भ-स्वामी की	मेरा ख्याल है भू-स्वामी की
४०१५	अन्तिम से ५	अधिनियिमों का हिंदी में अनुवाद	अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद
४०२१	शीर्ष	तारांतिक प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
४०२३	१२	श्री ब्रप्रीप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
४०२४	१५	शिकायतें आवेंगे	शिकायतें आवेंगी
४०२८	१५	इस बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्टल्ड	इस बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्ट
४०५४	२१	मकान आद में लगा	मकान आदि में लगा
,,	२२	अब रुपया इकट्ा	अब रुपया इकट्ठा
४०५५	१२	पु ाने जमाने में	पुराने जमाने में
४०५६	१६	कार्य कर्त्ताओं को करावास	कार्यकर्त्ताओं को कारावास
,,	अन्तिम	गृ मन्त्री महोदय ने	गृह मन्त्री महोदय ने
४०६४	अन्तिम से २	कार्यवाह की जाकर	कार्यवाही की जाकर
४०७३	३	(राज्य सरकर द्वारा	(राज्य सरकार द्वारा
४०७७	२२	स्वयं उन मु ाजिमान	स्वयं उन मुलजिमान
४०७८	अन्तिम से २	बड़ी असम्यता का	बड़ी असभ्यता का
४०८०	अन्तिम से ४	Procee ded against l gally for	Proceeded against legally for
,,	अन्तिम	शिष्टचार तक का ख्याल	शिष्टाचार तक का ख्याल
४०८३	अन्तिम से १०	तो तुन्हें खत्म	तो तुम्हें खत्म
४०८८	४	ओर इसका स्पष्टीकरण	और इसका स्पष्टीकरण
,,	६	श्री सुवेदारसिंह	श्री सूबेदारसिंह
४०६२	अन्तिम से २	ये जुल्म आये देन	ये जुल्म आये दिन
४०६५	अन्तिम	यानि भखे पेट तो	यानि भूखे पेट तो
४१०२	शीर्ष	–१६ मान्च, ५८	–१६ मार्च, ५८
४१०३	अन्तिम से २	इसके वहां के	इसके वहां के
४१०४	शीर्ष	–१६ मान्च, ५८	–१६ मार्च, ५८
४११३	१६	सिर्फ इन मकानों का	सिर्फ इन मकानों का
४११५	अन्तिम से ४	जवन्य कार्यों से	जघन्य कार्यों से
४११७	१२	जो विमषता और	जो विषमता और
४१४८	१०–११	Point of मानतीय	Point of order, Sir, माननीय

१	२	३	४
४१६३	अन्तिम से २	फैला हुआ है	फैला हुआ है
४१७२	२६	ustectsay the Cleliate	aspects of the debate
४१७६	अन्तिम से ७	धारा में लिख ा है कि :	भाग में लिखा है कि :
४१६५	२२	श्री मोध जी भाई :	श्री मोघजी भाई :
४१६६	७	दूसरे अलॉउंस	दूसरे अलॉउन्स
४१६७	१०	कान्स्टेबल एक रुपपे का	कॉन्स्टेबल एक रुपये का
४२०२	अन्तिम से ६	पलिस बनेड़ा में	पुलिस बनेड़ा में
४२०५	१७	केवल यह वह कर	केवल यह कह कर
४२०६	४	क्लियर कर्क्ट	क्लियर कट
४२०७	७	(श्री मोहरसिंह द्वारा बहिगमन)	(श्री मोहरसिंह द्वारा बहिर्गमन)
४२०६	१६	को डिसमिस इत्यादि) किया	को डिस्मिस इत्यादि किया
४२११	अन्तिम से ४	डिपार्टमेन्टल इन्वकायरी	डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी
४२१३	अन्तिम से ११	टीक स्तर पर खना	टीक स्तर पर रखना
४२१४	१६	इस प्रकार का अकाउन्स	इस प्रकार का अनाउन्स
४२१६	११	कपाउन्डर्स नहीं थे,	कम्पाउन्डर्स नहीं थे,
४२१८	अन्तिम से ६	तो पुलस इसमें	तो पुलिस इसमें
४२२६	४	श्री लच्छूराम	श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम
४२४३	१६	भुभुनू	झुंझुनू
४२४७	अन्तिम से १०	व्यपार संघ नाम की एक गैर सरका ी संस्था	व्यापार संघ नाम की एक गैर सरकारी संस्था